


००८४३

००८९३



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2008-09 की संख्या सी ए 14


००४९३

१० जुलाई 2009
संसद के दोनों संट्रों के पास एवं परमाणुक, दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2008-2009 की संख्या सी ए 14



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I- प्रस्तावना		
इस रिपोर्ट के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.4	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.5	4
अध्याय II – संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
डाक विभाग		
संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन	2.1	6
डाक घर बचत प्रमाण पत्रों के जारी, निपटान तथा लेखांकन में अनियमितताएं	2.2	10
दूरसंचार एवं रेल विभाग से कमीशन की कम वसूली	2.3	14
ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान	2.4	15
देयों एवं उस पर दण्डीय ब्याज वसूल करने की विफलता	2.5	16
सेवा कर का अधिक भुगतान	2.6	17
दुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान	2.7	18
डाक प्रभारों की कम वसूली	2.8	19
सेवा कर उदग्रहण में विफलता	2.9	21
ब्याज का अनियमित भुगतान	2.10	22
सामान्य लेखापरीक्षा सलाहकारी	2.11	23
दूरसंचार विभाग		
पृष्ठभूमि	2.12	24
अध्याय III – विदेश मंत्रालय		
स्थानीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति	3.1	36

	पैराग्राफ	पृष्ठ
भारत आधारित शोफरों की नियुक्ति के कारण अतिरिक्त व्यय	3.2	37
निरन्तर अनियमितताएं		
आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय	3.3.1	39
अधिक रोकड़ शेष के अविवेकपूर्ण प्रतिधारण के कारण ब्याज की हानि	3.3.2	40
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली	3.3.3	42
आवास के पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	3.3.4	42
राजस्व की हानि	3.3.5	43
गैर-वसूल वैट वापसियां	3.3.6	44
अध्याय IV – वित्त मंत्रालय		
राजस्व विभाग		
लोक लेखे के अन्तर्गत निधियों का संदेहास्पद उद्देश्य हेतु उपयोग : के.उ.सी.शु.बो.	4.1	53
राजस्व की वसूली न किया जाना	4.2	58
अध्याय V – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
असीमित क्रेडिट अवधि पर औषधियों की आपूर्ति	5.1	60
स्वास्थ्य विभाग		
भा.स.नि.लि. एवं डाक विभाग से के.स.स्वा.यो. प्रभारों को वसूली करने में विफलता	5.2	61
लाइसेंस शुल्क की कम/गैर-वसूली	5.3	61
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन		
दावों की निरूप्ताही संवीक्षा के कारण अधिक भुगतान	5.4	62
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सुचेता कृपलानी अस्पताल		
जल प्रभारों के कारण कर्मचारियों को अनियमित लाभ	5.5	63
अध्याय VI – गृह मंत्रालय		
कार्यालय भवन के निर्माण में विलम्ब के कारण किराए पर परिहार्य व्यय	6.1	65

	पैराग्राफ	पृष्ठ
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली	6.2	65
सीमा सुरक्षा बल		
सी.सु.ब. द्वारा अधिकारी मैस में कार्मिकों का अप्राधिकृत संयोजन	6.3	66
जमीन पर पड़े हेलीकाप्टर के संचालन एवं अनुरक्षण पर 55.65 लाख रु का परिहार्य व्यय	6.4	67
संभरक से परिनिर्धारित नुकसानी की अवसूली	6.5	68
आसूचना ब्यूरो		
अतिरिक्त व्यय - 59.61 लाख रु	6.6	69
अध्याय VII – मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		
अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण अव्ययित अनुदान का प्रतिधारण	7.1	72
राष्ट्रीय सहायता दल के सर्जन पर निष्फल व्यय	7.2	73
अध्याय VIII – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
प्रैस सूचना ब्यूरो		
निधियों की असामियक निर्मुक्ति	8.1	75
अध्याय IX – जनजातीय कार्य मंत्रालय		
अव्ययित अनुदान की अवसूली	9.1	77
अध्याय X – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		
अनुदान का अनियमित प्रतिधारण	10.1	79
अध्याय XI – संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान निकोबार प्रशासन		
अण्डमान लोक निर्माण विभाग		
जल आपूर्ति योजना की समाप्ति में अत्याधिक विलम्ब	11.1	81
जहाजरानी सेवाएं महानिदेशालय		
निष्फल व्यय	11.2	83
अनुचित लाभ के कारण निधियों का अवरोधन	11.3	84

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XII – सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही – संक्षिप्त स्थिति	12.1	86
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम – प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति	12.2	87
बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा गैर-वसूली योग्य देय राशि	12.3	88
द्वाफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	12.4	88
परिशिष्ट		
I लेखापरीक्षिती स्लपरेखा		91
II मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्टूबर 2008 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति		95
III मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्टूबर 2008 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति		96
IV विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		99
V 2007-2008 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों की विवरणी		101
VI द्वाफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर		102


प्राककथन

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सिविल मंत्रालयों, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष सम्मिलित हैं। रेलवे के अलावा संघ सरकार के लेखों पर निष्कर्षों को वर्ष 2007-08 हेतु प्रतिवेदन सं. सी ए 13 में शामिल किया गया है।

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों तथा वैज्ञानिक विभागों एवं इनकी इकाईयों/अस्तित्वों की लेखापरीक्षा से उजागर मामलों को पृथक प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 2007-08 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। पूर्णता की दृष्टि से, वे मामले, जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे, भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार, कुछ मामलों में मार्च 2008 के बाद के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष भी, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत हैं, उल्लिखित किये गये हैं।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के सामान्य, प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के अधीन सिविल मंत्रालयों तथा संघ शासित क्षेत्रों, डाक एवं दूर संचार विभाग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की भी अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत हुए विशिष्ट प्रकृति के लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन में 12 अध्याय अन्तर्विष्ट हैं। अध्याय I लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षिती की स्थपरेखा बताता है तथा विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश भी प्रदान करता है। अध्याय II से XI इन मंत्रालयों/विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत हुए विस्तृत निष्कर्षों/अभ्युक्तियों को प्रस्तुत करता है। अध्याय XII प्रोफोर्म लेखे की स्थिति के साथ-साथ मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत उपचारी/शोधक कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ आवश्यक निष्कर्षों का सारांश निम्न प्रकार है:

दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डाक विभाग

सामान्य लेखापरीक्षा सलाहकारी

इस प्रतिवेदन में पैराग्राफ 2.3 से 2.10, ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान, देयों एवं दाढ़िक ब्याज वसूलने में विफलता, सेवा कर एवं दुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान, डाक प्रभारों की कम वसूली तथा लेखापरीक्षित कुछ डाक परिमण्डलों में सेवा कर के उद्ग्रहण में विफलता को प्रस्तुत करता है। चूंकि अन्य डाक परिमण्डलों में भी समान उदाहरणों के विद्यमान होने का जोखिम है इसलिए डाक विभाग को अपने अनुदेशों की अनुपालना की समीक्षा करने तथा पुनरावृति न करने के प्रति निगरानी हेतु उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रियाएं स्थापित करने की सलाह दी जाती है।

पैराग्राफ 2.11

विदेश मंत्रालय

स्थानीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति

जर्मनी संघीय गणतंत्र में पूर्व महावाणिज्यक, हेमबर्ग ने वि.म. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में तीन स्थानीय पदों के प्रति नियुक्तियां की तथा भारत से सीधे कार्मिकों की नियुक्ति को सुसाध्य बनाया जिसका परिणाम 1.27 करोड़ रु. तक के अनियमित व्यय में हुआ।

पैराग्राफ 3.1

भारत आधारित शोफरों की नियुक्ति के कारण अतिरिक्त व्यय

तीन मिशनों नामतः दूशानबे, कीव एवं ओसलो में भारत आधारित शोफरों के परिनियोजन के परिणामस्वरूप 2007-08 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान 57.98 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतिरिक्त व्यय के अलावा शहरी सीमा के बाहर जानकारी की कमी तथा स्थानीय भाषा में निपुणता के अभाव के कारण भारत आधारित शोफरों के उपयोग की असमर्थता भी अन्य मुद्दे थे।

पैराग्राफ 3.2

आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

पूर्व के लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासनों के बावजूद विदेश में भारतीय मिशनों ने मंत्रालय के नियमों एवं विशिष्ट अनुदेशों का उल्लंघन करना जारी रखा तथा लम्बी अवधि हेतु नियमित प्रवृत्ति के कार्यों के लिए आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ को नियुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मई 2008 के दौरान 11 मिशनों के मामले में 58.10 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय हुआ।

पैराग्राफ 3.3.1

अधिक रोकड़ शेष के अविवेकपूर्ण प्रतिधारण के कारण व्याज की हानि

मंत्रालय के विशिष्ट अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए विदेश में भारतीय मिशनों ने छः सप्ताहों की आवश्यकता से आधिक्य में रोकड़ शेष का प्रतिधारण करना जारी रखा। अगस्त 2002 से मार्च 2008 तक, 14 मिशनों ने पांच से 29 महीनों तक की अवधियों हेतु अधिक रोकड़ शेष का प्रतिधारण किया जिसका परिणाम 50.85 लाख रु. की हानि में हुआ।

पैराग्राफ 3.3.2

लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

विदेश में मिशनों/केन्द्रों की अपने कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के भुगतान के संबंध में नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप 44 मिशनों द्वारा 36.55 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा के कहने पर यह राशि 2005-08 के दौरान वसूली गई थी।

पैराग्राफ 3.3.3

राजस्व की हानि

मंत्रालय द्वारा विदेश में मिशनों/केन्द्रों को जारी अनुदेश जब स्थानीय मुद्रा में अमरीकी डालर के प्रति 10 प्रतिशत या अधिक का अवमूल्य हो तो प्रवासी भारतीय नागरिकता (प्र.भा.ना.) कार्डों को जारी करने हेतु शुल्क के उद्धरणामी संशोधन हेतु प्रावधान करता है। दक्षिण अफ्रीका में मिशनों के संबंध में प्र.भा.ना. शुल्क को निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी भारत के महावाणिज्य दूतावास (भा.म.), जौहनसर्बग ने मंत्रालय के अनुदेशों के अनुस्र शुल्कों के संशोधन हेतु काई कार्रवाई नहीं की थी। परिणामतः दक्षिण अफ्रीका में तीन मिशनों ने घटे हुए शुल्क प्रभारित करना जारी रखा जिसका परिणाम जुलाई 2006 से मई 2008 की अवधि के दौरान 29.30 लाख रु के राजस्व हानि में हुआ।

पैराग्राफ 3.3.5

गैर-वसूल वैट वापसियां

पहले के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बावजूद, डरबन, कम्पाला, काठमाण्डु एवं निकोसिया में भारतीय मिशन वैट वापसियों की अनुपयुक्त फाईलिंग, अपर्याप्त मानीटरिंग तथा अनुसरण की कमी के कारण कुल 26.94 लाख रु के वैट वापसी दावे वसूल करने में विफल रहें।

सामान्य लेखापरीक्षा सलाहकारी

निरन्तर अनियमितताओं के मामले में जैसा कि पैराग्राफ 3.3.1 से 3.3.6 में दर्शाया गया है, मंत्रालय को या तो पुनरावृति के न होने को सुनिश्चित करना चाहिए या इस संबंध में अपने नियमों तथा आदेशों की पुनः जांच करनी चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए ताकि उन्हें विदेशों में विशिष्ट भारतीय मिशनों में मौजूदा वास्तविकताओं के साथ सीधी रेखा में लाया जा सके।

पैराग्राफ 3.3.6

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

संदेहास्पद उद्देश्य हेतु लोक लेखे के अन्तर्गत निधियों का उपयोग: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड(के.उ.सी.शु.बो.)

भारत की समेकित निधि से राजस्व के एक भाग के विनियोजन द्वारा के.उ.सी.शु.बो. के लिए भारत के लोक लेखे में कल्याण निधियाँ स्थापित की गईं। निधियों से व्यय का

औचित्य, सम्पूर्ण रूप से विवेकाधीन प्रकृति का होते हुए, संदेहास्पद है। उद्देश्यों, जिसके लिए निधियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

पैराग्राफ 4.1

राजस्व की वसूली न किया जाना

सरकारी राजस्व को सरकारी खाते में विलंबित प्रेषण के कारण बैंकों से दाण्डिक व्याज के रूप में 2.51 करोड़ रु. वसूल किया जाना था। क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, हैदराबाद, 1.78 करोड़ रु. की शेष राशि की वसूली छोड़ते हुए केवल 0.73 करोड़ रु. वसूल किये।

सामान्य लेखापरीक्षा सलाहकारी

चूंकि सरकारी खाते में राजस्व को क्रेडिट करने में विलम्ब का जोखिम है इसलिए वि.म., राजस्व विभाग को चूकर्ता बैंकों से वसूली करने हेतु के.प्र.क.बो. के सभी जेड.ए.ओ. में समीक्षा करने तथा अनुदेशों की गैर-अनुपालन के प्रति निगरानी हेतु उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रियाएं स्थापित करने की सलाह दी जाती है। कार्रवाई के परिणामों एवं उसके परिणाम के रूप में की गई वसूलियों को यथासमय मंत्रालय एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

पैराग्राफ 4.2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

असीमित क्रेडिट अवधि पर औषधियों की आपूर्ति

सरकारी औषधि भण्डार डिपों, मुम्बई द्वारा विभिन्न ग्राहक विभागों को क्रेडिट आधार पर औषधि की अप्रतिबंधित आपूर्ति के परिणामस्वरूप 19.73 करोड़ रु. के अवसूल देयों के संचय में हुआ।

पैराग्राफ 5.1

लाईसेंस शुल्क की कम/गैर-वसूली

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, (ले.हा.मे.का.) नई दिल्ली ने भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं, जो कई वर्षों से ले.हा.मे.का. के परिसर में थे, से निर्धारित दरों पर लाईसेंस शुल्क की वसूली नहीं की।

पैराग्राफ 5.3

दावों की निरुत्साही संवीक्षा के कारण अधिक भुगतान

मंत्रालय द्वारा अपनाए गए त्रुटिपूर्ण प्रतिपूर्ति/भुगतान प्रक्रिया के परिणामस्वरूप स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं (स्वै.स्वा.से.), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े एक गैर-सरकारी संगठन, को करों एवं प्रभारों के प्रति 77.33 लाख रु. के दावों की दोहरी प्रतिपूर्ति हुई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने स्वै.स्वा.से. को परियोजना के अंतर्गत 35.86 लाख रु. के व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जिसके लिए स्वै.स्वा.से. योग्य नहीं था।

पैराग्राफ 5.4

जल प्रभारों के कारण कर्मचारियों को अनियमित लाभ

ले.हा.मे.का. ने अपने स्टाफ के जल प्रभार जिसके लिए भुगतान सामूहिक मीटर द्वारा किए जाते थे, के लिए अप्राधिकृत रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की। यथानुपात आधार पर राशि वसूल करने के स्थान पर ले.हा.मे.का. ने अधिभोक्ताओं से नई दिल्ली नगर पालिका को अदा किए गए प्रभार से भी बहुत कम दर पर जल प्रभारों की वसूली की। 2002-03 से 2007-08 के दौरान कुल अनियमित लाभ 61.52 लाख रु. था।

पैराग्राफ 5.5

गृह मंत्रालय

कार्यालय भवन के निर्माण के विलम्ब के कारण किराए पर परिहार्य व्यय

प्राथमिक अनुमानों को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा कार्यालय भवन की पूर्णता में परिणामी विलम्ब के परिणामस्वरूप 3.98 करोड़ रु. के किराए का परिहार्य भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 6.1

लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के अंतर्गत, गृह मंत्रालय राज्यों को नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित जिलों में उनके द्वारा किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रति अनुदान जारी करता है। मंत्रालय ने असम राज्य सरकार को उपयुक्त राशि के आधिक्य में 75.34 लाख रु. की प्रतिपूर्ति की थी इस आधिक्य प्रतिपूर्ति में से 72 लाख रु. लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूल किए गए थे।

पैराग्राफ 6.2

सीमा सुरक्षा बल

सी.सु.ब. द्वारा अधिकारी मैस में कार्मिकों का अप्राधिकृत संयोजन

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह के निर्देशों पर जारी मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में बड़ी संख्या में कार्मिकों को उनकी फील्ड इकाईयों से अपर्वतक करके अपनी दो मैसों में अनियमित रूप से संयोजित किया। इस संयोजन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से जुलाई 2008 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 1.64 करोड़ रु. का अप्राधिकृत व्यय हुआ।

पैराग्राफ 6.3

जमीन पर पड़े हेलीकाप्टर के संचालन एवं अनुरक्षण पर 55.65 लाख रु. का परिहार्य व्यय

सी.सु.ब. ने जुलाई 2006 में अपने दो हेलीकाप्टरों के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मैसर्स सुमित ऐविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। सितम्बर 2006 में एक हेलीकाप्टर की उड़ान दुर्घटना हो गई। समझौते की शर्तों को अनदेखा करते हुए, सी.सु.ब. ने उड़ान बन्द किये हुए हेलीकाप्टर, जो निष्क्रिय हो गया था, के अनुरक्षण हेतु भुगतान करना जारी रखा, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा सितम्बर 2006 से सितम्बर 2007 के दौरान 55.65 लाख रु. का परिहार्य व्यय किया गया।

पैराग्राफ 6.4

आसूचना ब्यूरो

अतिरिक्त व्यय - 59.61 लाख रु.

आसूचना ब्यूरो (आ.ब्यू.) ने सितम्बर 2006 में अपने कार्यालय भवन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास बोर्ड (उ.प्र.आ.वि.बो.) से एक प्लाट खरीदा। आ.ब्यू. द्वारा मामले की लम्बित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वास्तविक प्रस्ताव से अधिक 59.61 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। परिहार्य व्यय मुख्यतः विलम्बित भुगतानों के कारण ब्याज एवं उ.प्र.आ.वि.बो. द्वारा प्रस्तावित छूट के अपवर्तन से था।

पैराग्राफ 6.6

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण अव्ययित अनुदान का प्रतिधारण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु बिहार सरकार को जारी किए गये अनुदानों के उपयोग को मानीटर नहीं किया था। यह 5 से 14 वर्षों के लिए बिहार सरकार द्वारा 8.73 करोड़ रु. के अनियमित प्रतिधारण का कारण बना।

पैराग्राफ 7.1

राष्ट्रीय सहायता दल की स्थापना पर निष्फल व्यय

मंत्रालय ने दोपहर के भोजन की योजना के पर्यवेक्षण, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु भारतीय शैक्षिक सलाहकार लिमिटेड के माध्यम से राष्ट्रीय सहायता दल (रा.स.द.) के अंतर्गत कार्मिकों की नियुक्ति द्वारा पदों के सृजन पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई रोक का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, रा.स.द. कभी परिचलनात्मक नहीं था तथा निष्फल परियोजना के अंतर्गत किया गया 82.82 लाख रु. का समग्र व्यय प्रस्तुत करते हुए नियुक्त कार्मिक मंत्रालय के साथ संयोजित रहे।

पैराग्राफ 7.2

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रैस सूचना ब्यूरो

निधियों की असामयिक निर्मुक्ति

मंत्रालय ने फरवरी 2006 में मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग हेतु राष्ट्रीय प्रैस केन्द्र की संरचना हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ स.ज्ञा. किया। के.लो.नि.वि. के संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में स.ज्ञा. की दोषपूर्ण शर्तों ने मंत्रालय पर रा.भ.नि.नि. को 7 करोड़ रु. के अग्रिम भुगतान की समयपूर्व रूप से जारी करने का भार डाला।

पैराग्राफ 8.1

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अव्ययित अनुदान की गैर-वसूली

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मार्च 1998 में बिहार सरकार को जारी किए गये 4 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान की वसूली/समायोजन करने में विफल रहा। यह 10 वर्षों से अधिक हेतु अनुदान के अनियमित प्रतिधारण का कारण बना।

पैराग्राफ 9.1

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अनुदान का अनियमित प्रतिधारण

मंत्रालय द्वारा वित्तीय नियंत्रण एवं मानीटरिंग के अभाव के परिणामस्वरूप भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को 97.76 लाख रु. का अनुदान जो इसे 2005-07 के दौरान जारी किया गया, का अनियमित प्रतिधारण हुआ।

पैराग्राफ 10.1

संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान निकोबार प्रशासन

अण्डमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.)

जल आपूर्ति योजना की समाप्ति में अत्याधिक विलम्ब

दक्षिणी अण्डमान में जल आपूर्ति योजना की समाप्ति में अ.लो.नि.वि. द्वारा अनुचित योजना एवं निष्पादन के कारण तेरह वर्षों के पश्चात भी उद्देश्यों को पूर्ण किए बिना 9.50 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

पैराग्राफ 11.1

जहाजरानी सेवाएं महानिदेशालय

निष्फल व्यय

सीमित क्षमताधारी यार्ड को जलयान निर्माण संविदा प्रदान करने के साथ-साथ निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप 54.99 करोड़ रु. की निधियों का अवरोधन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कि पोर्टब्लेयर और अन्य दक्षिणी द्वीप समूहों के बीच आवागमन बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

पैराग्राफ 11.2

अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 इस रिपोर्ट के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान, लागू विधि, नियमों विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में अपने वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से उनके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों¹ के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा मानक उन प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं जिसकी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करने में अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा मानक गैर अनुपालन और दुरुप्रयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन कमज़ोरियों को सूचित करने की अपेक्षा करता है जो वित्तीय प्रबन्धन एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उपचारी कार्यवाही करने के लिए कार्यकारी को सक्षम बनाने तथा ऐसी नीतियां तथा निर्देश जो संगठन के वित्तीय प्रबन्धन को सुधारने की ओर ले जाएगा, बनाने की अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार यह बेहतर शासन में सहायक होगा।

यह अध्याय, कुछ मुख्य सिविल मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षिती रूपरेखा के अतिरिक्त, योजनाओं तथा लेखापरीक्षा की सीमा के विस्तार का वर्णन करने तथा इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरों को भी समाविष्ट करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

इस प्रतिवेदन में भारत सरकार के कुछ मुख्य सिविल मंत्रालयों/विभागों की संक्षिप्त रूपरेखा परिशिष्ट-I में वर्णित है। डाक तथा दूरसंचार विभाग पर रूपरेखा का अध्याय-II में विचार किया गया है।

2007-08 के दौरान और पूर्ववर्ती दो वर्षों में भारत सरकार के विनियोग लेखे में समाविष्ट इन मंत्रालयों/विभागों के व्यय निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

¹ डब्लूडब्लूडब्लू. सीएजी.जीओवी.आईएन. → हमारे संबंध में →लेखापरीक्षा मानक

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग के नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार विभाग	5725.73	4631.02	5256.53
2.	संस्कृति	670.90	715.58	864.49
3.	विदेश मंत्रालय	4089.67	3949.69	4572.39
4.	वित्त (i) आर्थिक कार्य विभाग (ii) व्यय विभाग (iii) राजस्व विभाग	3928.79 26.77 2779.59	9811.12 39.53 4433.06	10525.86 37.02 6383.27
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (ii) आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	10544.84 354.23	11960.86 385.20	15345.36 463.49
6.	गृह मंत्रालय*	16870.79	17928.79	20209.66
7.	मानव संसाधन विकास (i) प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (ii) माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग	12030.65 5828.48	25694.82 6923.67	30916.08 6256.49
8.	सूचना एवं प्रसारण	1543.54	1462.45	1586.05
9.	श्रम एवं रोजगार	1401.21	2038.17	2927.96
10.	विधि एवं न्याय [‡]	376.26	673.24	507.22
11.	विदेशी भारतीय मामले	17.46	22.01	35.39
12.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	253.13	283.17	339.51
13.	योजना	104.54	85.86	81.90
14.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1657.12	1726.72	2231.15
15.	सांस्थिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1671.21	1673.04	1712.83
16.	जनजातीय मामले	1399.93	1655.91	1533.42
17.	महिला एवं बाल विकास	3929.37	4770.40	5595.57
18.	युवा मामले एवं खेल कूद	450.59	526.80	816.60

1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (भा.नि.म.ले.प.) द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 एवं 151 तथा

* गृह मंत्रालय के 'अन्य व्यय' से संबंधित अनुदान के अलावा।

[‡] चुनाव आयोग तथा भारतीय सर्वाच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुदान के अलावा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.एवं से.श.) अधिनियम² की धारा 13³ एवं 17⁴ के अन्तर्गत करता है। नि.म.ले.प. सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों जिनकी लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श. एवं से.श.) अधिनियम की धारा 19(2)⁵ एवं 20(1)⁶ के अन्तर्गत की जाती है के संबंध में एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प., नि.म.ले.प. (क.श. एवं से.श.) अधिनियम की धारा 14⁷ एवं 15⁸ के अन्तर्गत अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी करता है जो भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किये जाते हैं और जिनकी प्रारम्भिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि-तंत्र नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली 2007 में नियत हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रयत्न को लेखापरीक्षा के तीन विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा।

वित्तीय लेखापरीक्षा एक सत्य की वित्तीय विवरणियों की समीक्षा है जो यह आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है कि वित्तीय विवरणियाँ, आर्थिक गलत विवरण से मुक्त हैं तथा स्पष्ट एवं यथातथ्य वर्णन प्रस्तुत करते हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षिती सत्यों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित लेन-देनों की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं विभिन्न आदेशों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

² नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखे

⁴ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे भण्डार एवं स्टाक की लेखापरीक्षा एवं लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

⁵ संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा या बनाए गए कानूनों के अन्तर्गत स्थापित निगमों (जो कम्पनी नहीं हैं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा

⁶ राष्ट्रपति के अनुरोध पर, ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर जिस पर नि.म.ले.प. एवं सरकार के बीच सहमति हुई है, किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा

⁷ (i) भारत की समेकित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय, तथा (ii) किसी निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय जहाँ भारत की समेकित निधि से ऐसे किसी निकाय या प्राधिकरण का अनुदान या ऋण किसी एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रु. से कम नहीं हो, की लेखापरीक्षा।

⁸ भारत की समेकित निधि से किसी विशेष उद्देश्य हेतु किसी प्राधिकरण एवं निकाय को दिया गया अनुदान या ऋण, उस प्रक्रिया की संवीक्षा करना जिसके द्वारा संस्थीकृति प्रदाता प्राधिकारी शर्तों के पूर्ण होने, जिसके तहत ऐसे अनुदान या ऋण दिए गए हैं, से स्वयं को संतुष्ट करता है, की लेखापरीक्षा।

निष्पादन लेखापरीक्षा सत्त्व के कार्यक्रम, प्रक्रिया, संचालन या प्रबंधन प्रणाली की गहन जांच यह निर्धारण करने कि क्या सत्त्व उपलब्ध संसाधनों के नियोजन में मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावकारिता प्राप्त कर रहा है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक ईकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की समीक्षा/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा स्टेक धारक के सम्बन्ध पर आधारित के जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। पूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा निर्धारित की जाती है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को बनाया जाता है।

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अन्तर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान हो जाता है या अनुपालन हेतु पुनः कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2007-08 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों/संगठनों⁹ की 458 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा करने हेतु 5603 लेखापरीक्षा दल-दिवसों का उपयोग किया गया। हमारी लेखापरीक्षा योजना उन इकाइयों/अस्तित्वों को आवृत करती हैं जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार अर्थपूर्ण जोखिम के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह प्रतिवेदन सामान्य, प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सिविल मंत्रालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत हुए विषयों पर है। अपने पहले के प्रतिवेदनों के माध्यम से, हम नियत प्रावधानों से विचलन तथा अनुपालन में विफलता के कुछ उदाहरणों का वर्णन कर रहे हैं। ये त्रुटियाँ मंत्रालयों के कार्यक्षम कार्य करने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इन्हें सरकार द्वारा अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही के चिन्ता के चार विस्तृत क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

⁹ महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालयों से संबंधित आंकड़े।

(क) सरकारी देयों को पूर्ण रूप से वसूलने में विफलता तथा सरकारी खाते से अधिक भुगतान:

- डाक विभाग (पैराग्राफ 2.2 से 2.10) तथा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पैराग्राफ 5.2, 5.3 तथा 5.5) के अधीन कम वसूली एवं अधिक भुगतान
- वित्त मंत्रालय (पैराग्राफ 4.2) तथा विदेश मंत्रालय (पैराग्राफ 3.3.5 तथा 3.3.6) के अधीन राजस्व वसूलने में विफलता

(ख) निधियों की निर्मुक्ति:

- सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग के लाभ हेतु के.उ.सी.श.बो. द्वारा लोक लेखे के अन्तर्गत अलंग निधि का संचालन एक संदेहास्पद कार्य है जो कि संसदीय निरीक्षण को कम करता है (पैराग्राफ 4.1)
- प्रैस सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (पैराग्राफ 8.1) के अधीन निधियों की समयपूर्वक निर्मुक्ति
- जनजातीय कार्य मंत्रालय (पैराग्राफ 9.1) तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पैराग्राफ 10.1) के अधीन अव्ययित/गैर-समायोजित पड़े अनुदान

(ग) निष्फल व्यय

- अप्डमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन निष्फल व्यय तथा उद्देश्य प्राप्त करने में विफलता (पैराग्राफ 11.1 से 11.3)

(घ) निरंतर अनियमितताएं

- प्रतिवेदन उन अनियमितताओं जो कि निरंतर हैं का भी संकेत करता है (डाक विभाग के अधीन पैराग्राफ 2.4 तथा विदेश मंत्रालय के अधीन पैराग्राफ 3.3.1 से 3.3.6)
- प्रारम्भिक प्रतिवेदनों के प्रत्युत्तर में कार्यकारी द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति पर एक संक्षिप्त विवरण को भी अध्याय XII के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

अध्याय II : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डाक विभाग

2.1 संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन

2.1.1 विभाग के कार्य

भारत में डाक प्रणाली का देश हेतु लगभग 150 वर्षों से संचार अवसंरचना को सम्भालने का एक इतिहास है तथा वर्तमान में विश्व में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है।

डाक विभाग(डा.वि.) द्वारा दी जानी वाली मुख्य सेवाएं नीचे दी गई हैं

- संचार सेवाएं -पत्र पोस्टकार्ड, आदि
- परिवहन सेवाएं - पार्सल, लोजिस्टिक्स, आदि
- वित्तीय सेवाएं - बचत बैंक, मनीआर्डर, बीमा, आदि
- मूल्यवर्धित सेवाएं - स्पीड डाक सेवा, व्यापार डाक, सीधी डाक, आदि।

इसकी सार्वभौमिक सेवा बाध्यताओं के भाग के रूप में, डाक प्रणाली से समस्त देश में सभी उपभोक्ताओं को समर्थनीय मूल्य पर कार्यक्षम डाक सेवाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने की आशा की जाती है। मेल का प्रेषण तथा सुपुर्दग्गी डाक विभाग का मुख्य परम्परागत कार्य है। पिछले वर्षों में डा.वि. द्वारा बल्क मेल, व्यवसाय डाक तथा स्पीडपोस्ट जैसी कई मूल्य वर्धित सेवाओं को आरम्भ किया गया है।

डाकघर बचत बैंक योजना डाक विभाग (डा.वि.) द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, की ओर से निष्पादित किया गया एक अभिकरण का कार्य है जिसके लिए वित्त मंत्रालय समय-समय पर निर्धारित दरों पर डा.वि. को क्षतिपूर्ति करता है। अपने अभिकरण कार्यकलापों को करने में, डा.वि. देश में सबसे पुराने तथा बड़े बैंकिंग नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है तथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचतों के संचालन में आलोचनात्मक भूमिका निभाता है। डा.वि. के 'मनीआर्डर' तथा 'पोस्टल आर्डर' के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन के अन्तरण में लोगों की सहायता भी करता है।

डाक विभाग जीवन बीमा भी प्रदान करता है। डाक जीवन बीमा (डा.जी.बी.) सरकारी कर्मचारियों को 1884 से जीवन बीमा आवृत्त प्रदान कर रहा है। 1995 से डा.जी.बी. का ग्रामीण डाक जीवन बीमा नई योजना के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता तक विस्तार किया जा चुका है।

डा.वि. सेना तथा रेलवे पेंशनधारियों को पेंशन तथा परिवारिक पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा आवृत्त किए गए कायला खान कर्मचारियों तथा उद्योगों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के आबंटन के काम में लगा हुआ है।

2.1.2 सगठनात्मक डाचा

डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक भाग है। सचिव, डाक विभाग, विभाग के मुख्य कार्यकारी के रूप में डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष तथा महानिदेशक भारतीय डाक भी होता है। बोर्ड के तीन सदस्य होते हैं जो प्रचालन एवं विपणन, अवसंरचना तथा वित्तीय सेवाएं तथा कार्मिक विभाग सम्मालते हैं।

विभाग के पास 22 परिमंडल हैं, जो कि 33 क्षेत्रीय कार्यालयों में बटे हुए हैं तथा 445 डाक मंडलों एवं 46 डाक भंडार गृहों को नियंत्रित करते हैं। सशस्त्र सेनाओं की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आधार परिमंडल भी है। 31 मार्च 2008 को विभाग के कर्मचारियों की संख्या 4.94 लाख थी जिसमें 2.18 लाख विभागीय कर्मचारी तथा 2.76 लाख ग्रामीण डाक सेवक[§] थे।

बोर्ड, परिमंडलों ने मुख्य डाकपालों तथा डाक महानिदेशालय में वरिष्ठ/उप महानिदेशकों की सहायता से देश भर में डाक सेवाओं के प्रबंधन को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करता है। डा.वि. में व्यवसाय विकास निदेशालय (व्य.वि.नि.) की स्थापना 1996 में मूल्य वर्धित सेवाओं, जैसे:-स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, कारोबारी डाक, एक्सप्रैस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डेटा पत्र, ई-बिल डाक एवं ई-डाक, का केन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई थी। डाक जीवन बीमा (डा.जी.बी.) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्रा.डा.जी.बी.) योजनाएं मुख्य महाप्रबंधक, डा.जी.बी. की अध्यक्षता में डा.जी.बी. निदेशालय द्वारा मानीटर की जाती हैं।

2.1.3 डाक प्रवाह

2005-06 से 2007-08 तक पिछले 3 वर्षों में अपंजीकृत तथा पंजीकृत मेल के संबंध में डा.वि. द्वारा प्रत्याशित तथा वास्तव में संचालित किए गए डाक प्रभार की मात्रा अनुबंध-॥ में दी गई है।


अपंजीकृत मेल की वास्तविक मात्रा ने डाक स्टेशनरी, पार्सल तथा पत्रों की बिक्री जैसी परम्परागत सेवाओं के लगभग सभी वर्गों के संबंध में तीन वर्षों में गिरती हुई प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। तथापि पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अग्रेषण से संबंधित मेलों से राजस्व ने घनात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। पंजीकृत डाक सेवाओं के वर्गों में मनीआर्डर,

[§] देश में दूरस्थ क्षेत्र ग्राम में, डाक सेवाएं शाखा डाक घर के माध्यम से प्रदान की जाती है; ग्राम आधारित कार्मिकों जिन्हें "ग्रामीण डाक सेवक" कहा जाता है (पहले अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता कहा जाता था) जो अंशकालिक आधार पर कार्य करते हैं की सेवाओं का इस्तेमाल कर सीमित घंटों हेतु कार्य करते हैं।

बीमा तथा पंजीकृत पत्रों/पार्सलों जैसी संस्थापित सेवाओं के अंतर्गत मात्रा में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति का अपवाद स्पीड पोस्ट की मात्रा है जो कि 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि में लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

2.1.4 वित्तीय निष्पादन


2007-08 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों ने पिछले वर्षों में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित किया। तथापि, वृद्धि सकल राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में काफी कम थी जो पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक थी जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।



राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

2007-08 में डाक सेवाओं पर निवल हानि* 1511.44 करोड़ रु. थी। 2003-08 की अवधि हेतु तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

* निवल हानि की राजस्व प्राप्ति एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय, अर्थात् { (5490.90 रु + 266.32 रु) - 7272.66 रु } के अनाज के रूप में गणना की गई थी।



विभाग की निवल हानि जो 2004-05 में 1380 करोड़ रु. से अधिक थी उसमें बाद के वर्षों में गिरावट आई तथा 2006-07 में 1250 करोड़ रु. से कम थी। तथापि, 2007-08 की समाप्ति पर निवल हानि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 261.92 करोड़ रु. (20.96 प्रतिशत) की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ी तीव्रता से बढ़ते हुए 1500 करोड़ रु. से अधिक हो गया।

2.1.5 लेखापरीक्षा की भूमिका

डा.वि. की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह जांचने तथा निर्धारण करने का प्रयत्न किया कि क्या स्थापित प्रणालियां प्रभावी तरीके से कार्य कर रही थीं, अनुबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था तथा क्या वित्तीय औचित्य का पालन किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु विषय डाक ईकाईयों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों से संबंध जोखिमों के निर्धारण के आधार पर चयनित किए गए थे। जोखिम निर्धारण हेतु मापदण्डों में लेन-देन की मात्रा, भौतिकता, कार्य/सेवा के सापेक्ष महत्व, पूर्व लेखापरीक्षा परिणाम आदि शामिल किया गया था। डाक ईकाईयों की लेखापरीक्षा मुख्य रूप से राज्य-राजधानियों में स्थित 15 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालयों के माध्यम से की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखापरीक्षित की वित्तीय तथा प्रबंधकीय नियंत्रणों के क्षेत्रों जिन्हें कार्यक्षम तथा प्रभावी प्रबंधन हेतु ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है की पहचान करने में सहायता करती है। लेखापरीक्षा वस्तुतः राजस्व वसूलियाँ कराने में भी सहायक सिद्ध हुई है।

कुछ निरन्तर कमियाँ जो पिछले पांच वर्षों में डा.वि. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुई हैं, में शामिल हैं:

- (1) लो.भ.नि./मा.आ.यो.* पर ब्याज का अनियमित भुगतान।
- (2) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत किए गए ब्याज भुगतानों से स्रोत पर आयकर की कटौती न करना।
- (3) डुलाई प्रभारों पर अधिक भुगतान।
- (4) अनुपयुक्त प्रकाशनों से डाक प्रभारों की कम वसूली।
- (5) सेवा कर की उगाही न करना।

इस प्रतिवेदन में डा.वि. से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न हैं।

2.2 डाक घर बचत प्रमाण पत्रों के जारी, निपटान तथा लेखाकन से अनियमितताएँ

डाक विभाग ने डाक घर बचत प्रमाणपत्र में अनुपयुक्त निवेश को अनुमति किया जिसके कारण 21.32 करोड़ रु. के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ। इसके परिणामस्वरूप अभिकर्ता को 98.09 लाख रु. के कमीशन का अप्राधिकृत भुगतान भी हुआ।

डाक घर बचत बैंक देश में सबसे बड़ा बचत संस्थान हैं जो सर्वत्र भारत में 1.55 लाख से अधिक के डाक घरों के नेटवर्क के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को आवृत्त करता है। डाक घर बचत बैंक का प्रचालन तथा प्रबंधन वित्त मंत्रालय (वि.म.) की ओर से डाक विभाग (डा.वि.) द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता कार्य है। डाक घर बचत प्रमाण पत्र (डा.घ.ब.प्र.) बचत बैंक सावधि निवेश योजनाओं में से एक है जो स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले की अवधि से प्रचालन में है। डा.घ.ब.प्र. का उद्देश्य लघु बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए लाभकारी तथा सुगमता से उपलब्ध साधनों का प्रदान करना है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (रा.ब.प्र.), इन्दिरा विकास पत्र (ई.वि.प्र.), किसान विकास पत्र (कि.वि.प्र.) की शृंखला जैसी डा.घ.ब.प्र. योजनाओं की बड़ी संख्या को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है। हाल ही में सम्पादित डा.घ.ब.प्र., राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VIII वां संस्करण) तथा किसान विकास पत्र है।

रा.ब.प्र. की परिपक्वता की अवधि ३ वर्ष है। कि.वि.प्र. की परिपक्वता अवधि समय-समय पर संशोधित की जाती है; वर्तमान अवधि ८ वर्ष तथा 7 महीने की है। दोनों मामलों में परिपक्वता मूल्य निवेश की गई राशि का दोगुना होता है। निवेशों को अधिकतर प्राधिकृत लघु बचत अभिकर्ताओं के माध्यम से डाक घरों में प्राप्त किया जाता है। 28.52 करोड़ डा.घ.ब.प्र. की कुल संख्या जारी की गई थी तथा 2003-08 की अवधि के दौरान डाक घरों द्वारा 27.35 करोड़ का निपटान किया गया।

अप्राधिकृत निवेशकों को ब्याज का अनियमित भुगतान

विभागीय नियमावली अनुबोधित करती है कि 1 अप्रैल 1995 को या उसके उपरान्त, रा.ब.प्र./कि.वि.प्र. को केवल किसी व्यक्ति या कुछ समय के लिए लागू विधि के अंतर्गत

* लो.भ.नि.-लोक भविष्य निधि; मा.आ.यो.-मासिक आय योजना

पंजीकृत न्यास द्वारा खरीदा जाए। प्रतिष्ठान, संस्थान तथा हिन्दु संयुक्त परिवारों (हि.सं.प.) के कर्ता कि.वि.प्र./रा.ब.प्र. में निवेश करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। डाक घरों को यह सुनिश्चित करना होता है कि इन नियमों के उल्लंघन में खरीदा गया कोई कि.वि.प्र./रा.ब.प्र. धारक द्वारा तथ्य के उजागर होने पर जल्द ही भुना लिया जाएगा। किसी भी मामले में ऐसी धारिताओं पर ब्याज नहीं दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्टीकृत किया कि वे इस कारण से ब्याज के किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। डा.घ.ब.प्र. हेतु प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों को अनुपयुक्त बनाने का उद्देश्य ऐसे निवेशों को असली लघु निवेशकों के लिए ही सीमित करना था क्योंकि लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर अधिक थी।

पांच डाक परिमण्डलों* में 18 डाक घरों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि इन डाक घरों के डाकपालों ने संस्थानों, प्रतिष्ठानों, अपंजीकृत न्यासों तथा हिन्दु संयुक्त परिवारों (हि.सं.प.) के कर्ताओं को कि.वि.प्र./रा.ब.प्र. में निवेश करना अनुमत किया तथा 182.54 करोड़ रु. का निवेश स्वीकार किया। इनमें से 21.32 करोड़ रु. की कीमत के कि.वि.प्र./रा.ब.प्र. का भुगतान किया गया था जिन पर उतनी ही राशि के ब्याज का अनियमित रूप से भुगतान किया गया जैसा कि तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ रु. में)

कि.वि.प्र./रा.ब.प्र. के अनियमित जारी करने को दर्शाती विवरणी			
क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	निवेशित राशि	ब्याज भुगतान
1	आन्ध्र प्रदेश	106.67	10.73
2	कर्नाटक	75.29	10.39
3	गुजरात	0.40	0.19
4	उत्तर प्रदेश	0.12	0.00
5	महाराष्ट्र	0.06	0.01
योग		182.54	21.32

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्रबंधन ने बताया कि मामले को नियमन के लिए निदेशालय के साथ उठाया जाएगा।

इस प्रकार, डाकपालों की डा.घ.ब.प्र. में उपयुक्त निवेशकों तक निवेश को सीमित रखने में अयोग्यता के कारण 21.32 करोड़ रु. के ब्याज के अनियमित भुगतान अतिरिक्त लक्ष्यित वर्ग हेतु निवेश साधनों को प्रदान करने के उद्देश्य के साथ समझौता करने का कारण भी बना।

अभिकर्ताओं को कमीशन का अनियमित भुगतान

नवम्बर 2004 में, वित्त मंत्रालय ने दोहराया कि सभी मामले जहाँ प्राधिकृत अभिकर्ताओं ने बिना उचित प्राप्ति का इस्तेमाल किए तथा निर्धारित नकद सीमा से ऊपर व्यवसाय

* आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र

सम्पादित किया था उनकी पुनः समीक्षा की जानी थी तथा उन्हें अनियमित माना जाना था। ऐसे अनियमित लेन-देनों पर कोई कमीशन देय नहीं था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच परिमंडलों^८ में, डाकपालों ने अभिकर्ताओं के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक में रोकड़ में निवेशकों से जमा को स्वीकार किया तथा अभिकर्ताओं को कमीशन अनुमत किया। इसके परिणामस्वरूप 2003-08 की अवधि के दौरान अभिकर्ताओं को 98.09 लाख रु. की अनियमित कमीशन के भुगतान में हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(लाख रुपये में)

अभिकर्ताओं को कमीशन का अनियमित भुगतान दर्शाती विवरणी		
क्र.सं.	परिमंडल का नाम	कमीशन का अनियमित भुगतान
1	आन्ध्र प्रदेश	71.55
2	बिहार	0.39
3	गुजरात	0.12
4	उ.प्र.	21.80
5	पश्चिमी बंगाल	4.23
योग		98.09

इसके इंगित किए जाने पर, संबंधित डाकपालों ने उत्तर दिया कि अभिकर्ताओं से अधिक भुगतान की गई कमीशन की वसूली की जाएगी। तथापि, वसूलियों के ब्यौरे जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित थे।

स्त्रोत पर आयकर की कम कटौती

डा.वि. ने जून 2007 में अभिकर्ताओं को प्रदत्त कमीशन पर अप्रैल 2002 से लागू 5.25 प्रतिशत के स्थान पर जून 2007 से 10.3 प्रतिशत की दर पर टी.डी.एस. की वसूली हेतु निर्देश जारी किए थे।

चार* परिमंडलों में 13 चयनित डाक घरों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन डाक घरों ने पुरानी दरों पर टी.डी.एस. की वसूली करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप जून 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान 27.58 लाख रु. की राशि के टी.डी.एस. की कम वसूली हुई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

अभिकर्ताओं को प्रदत्त टी.डी.एस. पर कमीशन की कम वसूली को दर्शाती विवरणी		
क्र.सं.	परिमंडल का नाम	टी.डी.एस. की कम वसूली
1	आन्ध्र प्रदेश	20.71
2	गुजरात	2.18
3	तमिलनाडु	3.62
4	उत्तर प्रदेश	1.07
	योग	27.58

^८ आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उ.प्र. तथा पश्चिमी बंगाल

* आन्ध्र प्रदेश (2), गुजरात (3), तमिलनाडु (3) तथा उत्तर प्रदेश (5)

उत्तर में, स्थानीय प्रबंधन ने बताया कि कम संचयित कर की वसूली की जाएगी।

रोकड़ प्रमाणपत्रों का लेखांकन

परिमण्डल डाक लेखा कार्यालय (प.डा.ले.का.) परिमण्डल स्तर पर डा.घ.ब.प्र. हेतु लेखांकन इकाई है। यदि प.डा.ले.का. का उत्तरदायित्व है कि वह मुख्य डाक घर (मू.डा.घ.) से वापसी की प्राप्ति का अवलोकन और मानीटर करे तथा डा.घ.ब.प्र. के उचित लेखांकन को सुनिश्चित करे ताकि परिमण्डल में अदा किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र का उचित लेखांकन किया जाए।

मु.डा.घ. द्वारा प.डा.ले.का. को अदा किए गए मासिक संस्करणों के जर्नल के समय से निपटान, प्रमाणपत्रों तथा संस्करणों तथा निपटान के सही लेखांकन को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है। मु.डा.घ. से निपटान सारांश सूची की प्राप्ति पर प.डा.ले.का. का अपेक्षित जांच को करना चाहिए तथा कमियों, यदि कोई हो तो, को संबंधित डाकपाल को जानकारी में लाकर जल्दी से समाधान करना चाहिए। ये कार्य धोखाधड़ी/प्रमाणपत्रों की धोखे से भुनाने का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करने के आवश्यक जांचों तथा नियंत्रणों का प्रावधान करते हैं।

प.डा.ले.का. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जांच किए गए 11 परिमण्डलों में से 10 में नकद प्रमाणपत्रों के जारी तथा निपटान के लेखांकन का कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप डा.घ.ब.प्र. के जारी तथा निपटान की वास्तविक राशि को मापा नहीं जा सका था। यारह परिमण्डलों में से दस में यह कार्य 10 वर्षों से अधिक से बकाया था जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

परिमण्डल का नाम	दर्ज करने का कार्य जिस अवधि से बकाया
आन्ध्र प्रदेश	जून 1998
बिहार	मई 1997
दिल्ली	अक्टूबर 2004
गुजरात	जुलाई 2002
कर्नाटक	सितम्बर 1999
महाराष्ट्र	अप्रैल 1999
उत्तर-पूर्व	अप्रैल 2001
राजस्थान	मई 2004
पश्चिम बंगाल	अप्रैल 1991
उत्तर प्रदेश	दिसम्बर 2003

उचित लेखांकन तथा समाधान की निरंतर कमी धोखे का जोखिम तथा पता न लगाए गए/ध्यान में न आए जा रहे धोखा देने के प्रयासों से युक्त है। विभाग को गंभीर चिंता के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम प्रारम्भ करने चाहिए।

मामला दिसम्बर 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.3 दूरसंचार एवं रेल विभाग से कमीशन की कम वसूली

डाक लेखा कार्यालय पेंशन के संवितरण हेतु संशोधित दरों पर कमीशन की वसूली करने में विफल रहा परिणामतः रेल तथा दूरसंचार विभाग से 8.62 करोड़ रु. की कमीशन की कम वसूली हुई।

डाक विभाग (डा.वि.) विभिन्न मुख्य डाक घरों (मु.डा.घ.) के माध्यम से रेलवे तथा टेलीकॉम विभाग (दू.वि.) अन्य विभागों की ओर से पेंशन/परिवारिक पेंशन के संवितरण हेतु अभिकरण कार्य को निभाता है तथा अभिकरण सेवा हेतु समय-समय पर डा.वि. द्वारा निर्धारित कमीशन को प्रभारित करता है। पेंशन/परिवारिक पेंशन के भुगतान के उपरान्त मु.डा.घ. को संबंधित विभाग से वसूली करने के लिए डाक लेखा कार्यालय (डा.ले.का.) अगले माह की 2 तारीख तक भुगतान वाउचरों/विवरणों के साथ मासिक रोकड़ लेखा भेजना अपेक्षित होता है। रेलवे/दू.वि. आदि को पेंशन/परिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु कमीशन को निदेशालय द्वारा सूचित परिश्रमिक दरों को ध्यान रखते हुए वास्तविक लेनदेनों की संख्या के संदर्भ में निकाला जाना होता है।

जुलाई 2007 में डाक निदेशालय, नई दिल्ली के डाक लेखा एवं वित्त स्कंध (डा.ले.वि.स्कं.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निदेशालय, डा.ले.का. की पेंशन के संवितरण हेतु वर्ष 2002-03 से 2006-07 के वर्षों हेतु कमीशन की संशोधित दरों के संबंध में विभागीय निर्देशों को प्रचारित करने में विफल रहा। परिपत्रों की गैर प्राप्ति के कारण, डा.ले.का. ने संशोधित दरों के स्थान पर पुरानी दरों पर वसूली करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप 2002-07 की अवधि के लिए दूरसंचार विभाग तथा रेलवे विभाग से 8.62 करोड़ रु. की राशि की कमीशन की कम वसूली हुई जैसा कि निम्न तालिका में ब्यौरा दिया गया है।

विभाग का नाम	राशि (करोड़ रुपयों में)
दूरसंचार विभाग	2.28
रेलवे	6.34
योग	8.62

बकाया कमीशन को परिमण्डल-वार ब्यौरे अनुबंध -III में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, डा.वि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2007) कि कमीशन की कम वसूली अधिकांश भु.ले.का. के पास कमीशन के नवीनतम आदेशों की गैर-प्राप्ति के कारण थी तथा इसे दिसम्बर 2007 में सभी भु.ले.का. को दिया गया था। जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, हरियाणा एवं पंजाब परिमण्डल के भु.ले.का. ने संबंधित कार्यालयों के प्रति डेबिट को बढ़ाया था परन्तु अन्य भु.ले.का. द्वारा अभी भी ऐसा किया जाना था (दिसम्बर 2008)। वसूली विवरण दिसम्बर 2008 तक प्रतीक्षित थे।

इस प्रकार, डाक महानिदेशालय की फील्ड इकाइयों को आवश्यक निर्देशों को बांटने में विफलता के कारण 8.62 करोड़ रु. की कमीशन की कम वसूली हुई।

मामला मई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.4 ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान

दिल्ली डाक परिमंडल के अधीन वरिष्ठ पांच मुख्य डाकघर तथा आन्ध्र प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के अधीन प्रत्येक मुख्य डाकघर मासिक आय योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में निर्धारित वित्तीय सीमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसका परिणाम निर्धारित सीमा से अधिक 2.69 करोड़ रु. के जमा की स्वीकृति तथा ब्याज एवं कमीशन की 42.78 लाख रु. की राशि के अनियमित भुगतान में हुआ।

मासिक आय योजना वित्त मंत्रालय की ओर से डाक विभाग द्वारा किए जाने वाला एक अभिकरण कार्य है। डाकघर (मासिक आय योजना), नियमावली, 1987 अनुमत करती थी कि एक वैयक्तिक जमाकर्ता मासिक आय योजना (मा.आ.यो.) में एक से अधिक खाते खोल सकता है बशर्ते कि सभी खातों में जमा राशि मिलकर एकल खाते में 3 लाख रु. (1 अगस्त 2007 से 4.50 लाख रु.) तथा संयुक्त खाते में 6 लाख रु. (1 अगस्त 2007 से 9 लाख रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिये। मा.आ.यो. में निवेश हेतु मतार्थन के लिए राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। यह एजेंट इनके द्वारा बेची गई प्रत्याभूतियों पर एक प्रतिशत का कमीशन प्राप्त करने हेतु हकदार हैं।

नियमावली में यह भी प्रावधान है कि मा.आ.यो. खाते में निवेश के समय जमाकर्ता को इस आशय की घोषणा करनी चाहिये कि सभी खातों में उसका/उसकी जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। तथापि, जनवरी 2002 में, वित्त मंत्रालय ने निर्णय किया था कि अधिक जमा पर डाक घर बचत बैंक दर से जमा की तिथि से, जिस महीने अभिदाता ने मा.आ.यो. खाते से अधिक जमा निकाली हो उसके पहले वाली महीने की समाप्ति तक के ब्याज के साथ लौटा दी जाये। डाक विभाग ने अप्रैल 2002 में सभी परिमंडलों को इस निर्णय के बारे में बता दिया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पैराग्राफ 1.12, 3.5 तथा 2.6 (31 मार्च 2003, 31 मार्च 2005 तथा 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए 2004 की सं. 2, 2006 की 2 तथा 2007 की 2) में नियमों के उल्लंघन में, मा.आ.यो. में विभिन्न डाकघरों में खोले गये खातों पर ब्याज के अनियमित भुगतान के उदाहरणों का उल्लेख किया गया था। दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई कार्बवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि योजना के नियमों का पालन करने में डाक स्टाफ विफल रहा और बताया कि परिमंडलों के सभी अध्यक्षों को सितम्बर 2004 में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे कि डाकघरों का निरीक्षण का कार्य करने वाले अधिकारियों को डाकघरों में खोले गये खातों की प्रारम्भिक जांच प्रारम्भ करने का कार्य भी दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये सभी डाकघर खातों से संबंधित नियम कार्यालय में उपलब्ध हों। मार्च

2007 की अनुवर्ती कार्यवाही के द्वारा मंत्रालय ने अधिक भुगतान को स्वीकार किया है और सूचित किया कि जनवरी 2007 में एक बार फिर से अनुदेशों को दोहराया था।

दिल्ली के अधीन पांच मुख्य डाक घर (मु.डा.घ.) (फरवरी 2008), आन्ध्र प्रदेश परिमण्डल के अधीन एक मु.डा.घ. (जून 2008) तथा हिमाचल प्रदेश परिमण्डल के अधीन एक मु.डा.घ. (सितम्बर 2007) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन मु.डा.घ. के डाकपालों ने जून 2001 से जनवरी 2008 की अवधि के दौरान 208 प्रकरणों में निर्धारित सीमा से अधिक जमा के रूप में 2.69 करोड़ रु. स्वीकार किये थे और 42.78 लाख रु. की राशि के कमीशन के भुगतान के अतिरिक्त इन जमाओं पर ब्याज का भुगतान बैंक दरों के बजाए मा.आ.यो. दरों पर किया गया था (अनुबंध -IV)।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, इन मु.डा.घ. के डाकपालों ने तथ्य एवं आकड़ों का सुनिश्चित करते हुए उत्तर दिया (फरवरी 2008) कि अधिक्य में अदा किए ब्याज तथा ऐजेंटों से कमीशन वसूलने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार, डाक घर खाते के संबंध में नियमों की अनुपालना हेतु समय-समय पर परिमण्डल के सभी अध्यक्षों को जारी मंत्रालय के अनुदेशों/निर्देशों के बावजूद, अनियमितता जारी रही।

मामला मई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.5 देयों एवं उस पर दण्डनीय ब्याज वसूल करने की विफलता

तीन डाक परिमंडलों के अधीन नौ ईकाईयाँ ‘बुक नाओ पे लेटर स्कीम’ के अंतर्गत 110.79 लाख रु. के कुल डाक देयों एवं दण्डनीय ब्याज को एकत्र करने में विफल रही।

अधिकांश डाक भेजने वालों/सामूहिक ग्राहकों को प्रोत्साहित करके स्पीड पोस्ट हेतु बाजार अंश बढ़ाने के संबंध में, डाक विभाग (डा.वि.) ने ‘बुक नाओ पे लेटर स्कीम’ (बी.एन.पी.एल.) योजना प्रारम्भ की (नवम्बर 1990)। डा.वि. को योजना के अंतर्गत पंजीकृत ग्राहकों के लेखाओं को अनुरक्षित करना तथा प्रत्येक माह के अंतिम दिन बिल जारी करना था। ग्राहकों को भी अगले माह की 7वीं तिथि पर या पहले भुगतान करना अपेक्षित था जिसके ना करने पर राशि देय होने की तिथि से 12 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज प्रभारित किया जाना था।

अगस्त 2007 से फरवरी 2008 के दौरान पश्चिम बंगाल डाक परिमण्डल के अधीन पाँच व्यवसाय डाकघरों (व्या.डा.घ.), महाराष्ट्र डाक परिमण्डल के अधीन एक व्यवसाय विकास ग्रुप तथा झारखण्ड डाक परिमण्डल के अधीन तीन डाकघरों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान 193 ‘बी.एन.पी.एल.’ ग्राहक नियत तिथियों में भुगतान करने में विफल रहे। तथापि, डाक

ईकाईयाँ देयों को समय में एकत्र करने तथा अतिदेय राशि पर दण्डनीय ब्याज का उदग्रहण करने में भी विफल रही। इसके परिणामस्वरूप कुल 110.79 लाख रु. के देय वसूल किए बगैर रहे में हुआ (99.12 लाख रु. की अतिदेय राशि तथा 11.67 लाख रु. का दण्डनीय ब्याज जैसा कि अनुबंध-V में व्यौरा दिया गया है)।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जान पर, महाराष्ट्र डाक परिमण्डल के अधीन व्यवसाय विकास ग्रुप ने उत्तर दिया (जून 2008) कि 22.45 लाख रु. की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल डाक परिमण्डल के अधीन सहायक निदेशक ने बताया (जुलाई 2008) कि 8.45 लाख रु. की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे थे। झारखण्ड परिमण्डल के अधीन डाकपालों ने सूचित किया कि बकाया राशि के भुगतान हेतु चूककर्ता ग्राहकों को अनुस्मारक जारी कर दिए गए हैं।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.6 सेवा कर का अधिक भुगतान

मुख्य महानिदेशक डाकपाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात एवं केरल डाक परिमण्डल तथा महा डाकपाल, केन्द्रीय क्षेत्र, तमिलनाडु डाक परिमण्डल की सैनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप 92.18 लाख रु. की राशि के सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ।

सितम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई सैनवेट क्रेडिट नियमावली, कर योग्य सेवा के उत्पादक/प्रदाता को विशिष्ट अंतिम उत्पादें/उत्पाद सेवाओं के उत्पादन में या संबंध में इस्तेमाल विशिष्ट इनपुट पूँजीगत माल/इनपुट सेवाओं पर अदा किए शुल्क/सेवा कर के क्रेडिट लेने के लिए अनुमत करता है। इस प्रकार, उपलब्ध सैनवेट क्रेडिट निर्धारित शर्तों के अधीन किसी भी उत्पाद पर उत्पाद शुल्क के प्रभार या आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

डाक विभाग (डा.वि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सेवाओं को भारत सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2006 से सेवा कर के क्षेत्र में ले लिया गया था। डा.वि., एक आउटपुट सेवा प्रदाता होने से अपनी आउटपुट सेवाओं अर्थात् स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा, व्यवसाय सहायक सेवाओं आदि पर सेवा कर एवं शिक्षा उपकर एकत्रित करता है तथा इनपुट सेवाओं जैसे डा.वि. के टेलीफोन बिलों, कम्प्यूटर हेतु वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों, पूँजीगत माल की खरीद, आदि पर उठाए गए लाभ पर सेवा कर/उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर अदा करता है।

जुलाई 2007 से मई 2008 के दौरान मुख्य महा डाकपाल (मु.म.डा.), आन्ध्र प्रदेश, गुजरात एवं केरल डाक परिमण्डल तथा महा डाकपाल, केन्द्रीय क्षेत्र, तमिलनाडु परिमण्डल की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि यद्यपि 2006-07 के दौरान इन परिमण्डलों ने इनपुट सेवाओं पर उत्पाद शुल्क अदा किया फिर भी विभाग द्वारा 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान अपनी आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करते

समय उस पर ग्राह्य सैनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रु. की सीमा तक सेवा कर का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	परिमंडल का नाम	इनपुट/इनपुट सेवाओं पर अदा किए सेवा कर/उत्पाद शुल्क का व्यौरा	सैनवेट क्रेडिट का लाभ न उठाने के कारण परिमंडल द्वारा अदा किए सेवा कर/उत्पाद शुल्क का अधिक भुगतान (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	जैनसेटों की खरीद	89.13
2.	गुजरात	जैनसेटों एवं तोल स्कैलों की खरीद	29.91
3.	केरल	डा.वि. में लगे टेलीफोन तथा जैनसेटों की खरीद	42.96
4.	तमिलनाडु	डा.वि. में लगे टेलीफोन, कम्प्यूटरों की ए.एम.सी. आदि	11.99
योग			173.99

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, सहायक निदेशक, डाक सेवाएं, गुजरात परिमंडल ने उत्तर दिया कि संबंध नियमों की अनुपलब्धता के कारण सैनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सका, जबकि महाप्रबंधक (डाक लेखें एवं वित्त), तमिलनाडु डाक परिमंडल ने बताया (अक्टूबर 2007) कि सैनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सका क्योंकि वहाँ महानिदेशालय से सेवा कर क्रेडिट का लाभ उठाने हेतु कोई निर्देश नहीं थे। यह ध्यान में लाना है कि सैनवेट क्रेडिट नियमावली वित्तीय अधिनियम का संवैधानिक प्रावधान है जिसका डाक परिमंडलों द्वारा अनुपालन किया जाना है। लेखा निदेशक (डाक), आन्ध्र प्रदेश परिमंडल ने बताया (अक्टूबर 2008) कि 81.81 लाख रु. की राशि का समायोजन किया है। केरल परिमंडल में यह बताया गया था कि मामला आगे के स्पष्टीकरण हेतु महानिदेशालय के साथ उठाया गया है।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.7 ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान

मुख्य महा डाकपाल, तमिलनाडु डाक परिमण्डल की ढुलाई प्रभारों के भुगतान के संबंध में नियमों के पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप रेलवे को 62.66 लाख रु. की राशि के ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

डाक विभाग (डा.वि.) ने 1 अक्टूबर 2002 से सीट डिस्प्लेसमेन्ट मैथड द्वारा रेलवे को ढुलाई प्रभारों का अदा करने का निर्णय लिया था। डा.वि. ने जनवरी 2005 में पद्धति के अंतर्गत बिल बनाने की प्रणाली एवं रेलवे को ढुलाई प्रभारों के भुगतान के संबंध में अनुदेश भी जारी किए थे। ढुलाई प्रभारों के परिकल्पन हेतु पूरे डिब्बे को 90 सीटों (बड़ी लाईन) एवं 64 सीटों (छोटी लाईन) के रूप में माना जाना था, सीटों की ज्यादा संख्या वाले डिब्बे ऐसे समय तक इस्तेमाल किए गए थे। पूरे डिब्बे से कम स्थान हेतु शुल्क सूची को सीटों के आधार पर प्रभारित किया जाना था। इसने आगे अनुबंध किया कि

ट्रेन के साथ संयोजित डाक वैनों द्वारा लाई गई डाक के मामले में, डा.वि. द्वारा डाक वैनों पर निवेश की गई पूँजी पर दो प्रतिशत की छूट अनुमत की जाएगी तथा इसे रेलवे द्वारा डा.वि. के प्रति दावे प्रस्तुत करने से पूर्व बिल की राशि में से काटा जाना चाहिए।

मुख्य महा डाकपाल (मु.म.डा.पा.), तमिलनाडु परिमण्डल दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी रेलवे हेतु नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित था जिसके प्रति रेलवे द्वारा ढुलाई प्रभारों से संबंधित बिल प्रस्तुत किए जाने थे।

नवम्बर 2007 में मु.म.डा.पा., तमिलनाडु डाक परिमण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दक्षिणी रेलवे की तीन ट्रेनों में 1 मई 2005 से 30 जून 2005 तक की अवधि के दौरान 90 सीटों से 40 सीटों तक के काम में लाए गए स्थान में कटौती थी। तथापि, परिमण्डल ने कथित अवधि के दौरान डा.वि. द्वारा वास्तव में काम में लाई 40 सीटों तक भुगतान को सीमित करने की बजाय दक्षिणी रेलवे को 90 सीटों के पूर्ण स्थान हेतु ढुलाई प्रभारों को अदा किया। इसके परिणामस्वरूप 42.85 लाख रु. के ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया था कि मु.म.डा.पा., तमिलनाडु परिमण्डल ने उन ट्रेनों के संबंध जहाँ डाक अप्रैल 2004 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान डाक वैनों से लाई गई थी, ढुलाई प्रभारों पर दो दो प्रतिशत की कटौती का दावा नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 20.08 लाख रु. के ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, मुख्य प्रधान महाडाकपाल, तमिलनाडु परिमण्डल ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि अगले बिल में 42.58 लाख रु. की अधिक अदा की राशि के समायोजन हेतु मामला दक्षिणी रेलवे के साथ उठाया जा चुका है। छूट का लाभ न उठाने के संबंध में, यह बताया गया था कि 6.48 लाख रु. का समायोजन कर दिया गया था तथा शेष राशि के समायोजन हेतु मामला दक्षिणी रेलवे के साथ उठाया गया था। वसूली विवरण जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित थे।

मामला जून 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.8 डाक प्रभारों की कम वसूली

वरिष्ठ प्रवर अधीक्षक डाक, सुन्दरगढ़ डिवीजन, उड़ीसा डाक परिमण्डल तथा मुख्य डाकपाल, लखनऊ सामान्य डाक घर, उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल ने अयोग्य प्रकाशनों को रियायती शुल्क सूची प्राधिकृत की जिसके परिणामस्वरूप 62.11 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली हुई।

भारतीय डाक घर (भा.डा.घ.) अधिनियम, 1898 तथा भा.डा.घ. नियमावली, 1933 के प्रावधानों के अनुसार, प्रकाशन समाचार पत्र माना जाएगा बशर्ते कि इसकी 31 दिनों की आवधिकता तथा कम से कम 50 अभिदाताओं की वास्तविक सूची है जिन्होंने अपना शुल्क अदा किया है। इन मानदण्डों को पूरा करने वाला कोई भी प्रकाशन डाक विभाग

(डा.वि.) के साथ समाचार पत्र के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा पंजीकरण अधिकार के दौरान रियायती शुल्क सूचियों पर अन्तर्देशीय डाक द्वारा संचारण करने का हकदार होगा। डा.वि. ने आगे स्पष्ट किया (अक्टूबर 2002) कि अमूल्य आवधिक पत्रिकाओं को “बुक पैकेट” के रूप में वर्गीकृत तथा 1 जून 2002 से लागू “बुक, पेटर्न एवं नमूना पैकेट” हेतु निर्धारित उच्च दरों पर संचारित किया जाना चाहिए। यह प्रावधान दिसम्बर 2002 में डा.वि. द्वारा दोहराए गए थे। डा.वि. ने (दिसम्बर 2003) यह बताते हुए कि वास्तविक अभिदाता वह है जो समाचार पत्र पर मुद्रित प्रत्यक्ष मूल्य अदा करता है तथा प्रकाशन कोई मूल्य नहीं दर्शाता है एवं जनता को मुफ्त भेजता है, वह भारतीय डाक घर अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत समाचार पत्रों हेतु लागू रियायती दरों का लाभ नहीं उठा सकेगा, ने विधि मंत्रालय से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया।

जनवरी 2007 एवं अक्टूबर 2007 में सुन्दरगढ़ डिवीजन के अधीन मुख्य डाक घर (मु.डा.घ.), राऊरकेला, उड़ीसा डाक परिमण्डल एवं मुख्य डाकपाल तथा उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल के अधीन सामान्य डाक घर (सा.डा.घ.), लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने क्रमशः प्रकट किया कि उड़ीसा डाक परिमण्डल में एक अमूल्य आवधिक पत्रिका तथा उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल में दो अमूल्य आवधिक पत्रिकाओं का, बुक पैकेट हेतु लागू दरों के स्थान पर रियायती दरों पर पंजीकरण एवं प्रेषित किया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2003 से सितम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा (29.34 लाख रु.) तथा उत्तर प्रदेश (32.77 लाख रु.) परिमण्डलों में 62.11 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, सुन्दरगढ़ डिवीजन, उड़ीसा डाक परिमण्डल ने बताया (फरवरी 2007) कि उल्लेखनीय के अन्तर्गत आवधिक पत्रिकाओं हेतु पंजीकरण का नवीकरण, डा.वि. के अनुदेशों की प्राप्ति से पूर्व, दिसम्बर 2005 में जारी किया था, जबकि मुख्य डाकपाल, सा.डा.घ. लखनऊ ने आवधिक पत्रिकाओं का लाईसेंस रद्द करने के पश्चात, मार्च 2008 में मामला मुख्य महा डाकपाल, उत्तर प्रदेश परिमण्डल को भेज दिया।

समाचार पत्रों के पंजीकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान भा.डा.घ. अधिनियम, 1898 अनुबंधित थे तथा भा.डा.घ. नियमावली 1933 में अध्यादेशित थे। अतः, उड़ीसा के अधीन व.आ.डा.घ., सुन्दरगढ़ डिवीजन तथा उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल के अधीन मुख्य डाकपाल की विभागीय नियमावली के विद्यमान प्रावधानों की अनुपालना में विफलता के कारण 62.11 लाख रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली हुई।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.७ सेवा कर उद्ग्रहण में विफलता

गुजरात एवं महाराष्ट्र डाक परिमंडलों लिमिटेड/राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त कमीशन पर 55.65 लाख रु. की राशि के सेवा कर एवं शैक्षिक उपकर के उद्ग्रहण में विफलता।

वित्त अधिनियम, 2004 अनुबद्ध करता है कि अन्य बातों के साथ-साथ कारोबारी सहायक सेवा का अभिप्राय ग्राहक की ओर से सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कोई सेवा अथवा प्रासंगिक या सहायक सेवाएं जैसे बिल बनाना, जारी करना अथवा चैक, भुगतान आदि की वसूली का संग्रहण है। वित्त अधिनियम, 2006 अनुबद्ध करता है कि 'कर योग्य सेवा' का अभिप्राय कारोबारी सहायक सेवा से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा ग्राहक को दी गई या दी जाने वाली कोई सेवा है। इस प्रकार, डाक विभाग (डा.वि.) मई 2006 से दूरभाष राजस्व/ऊर्जा बिलों के संग्रहण के लिये भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.)/राज्य बिजली बोर्ड से अपने द्वारा प्राप्त कमीशन के लिये सेवा कर का उद्ग्रहण, संग्रहण एवं प्रेषण करने के लिये ग्राह्य था। डा.वि. ने भी परिमंडलों के सभी अध्यक्षों को जून 2006 में अनुदेश जारी करके उपर्युक्त स्थिति की पुष्टि की।

मई 2007 से मार्च 2008 के दौरान गुजरात एवं महाराष्ट्र डाक परिमंडलों के अधीन डाकघरों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन परिमंडलों के अन्तर्गत डाकघरों द्वारा दूरभाष राजस्व के संग्रहण के लिये भा.सं.नि.लि. से प्राप्त कमीशन पर तथा बिजली के बिलों के भुगतान का संग्रहण करने हेतु राज्य बिजली बोर्ड से निर्धारित दरों पर सेवा कर व शैक्षिक कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसका परिणाम मई 2006 से फरवरी 2008 की अवधि के लिये 55.65 लाख रु. की राशि के सेवा कर व शैक्षिक कर के उद्ग्रहण में विफलता में हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परिमंडल का नाम	सेवा कर देय
1	महाराष्ट्र	31.75
2	गुजरात	23.90
	योग	55.65

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, महाराष्ट्र डाक परिमण्डल के अधीन महानिदेशक डाकपाल, नागपुर क्षेत्र ने उत्तर दिया (अप्रैल-जुलाई 2008) कि सात डाकघरों के संबंध में 20.17 लाख रु. वसूल लिए गए हैं जबकि महाराष्ट्र परिमण्डल ने अन्य डाकघरों के संबंध में वसूली विवरण प्रतिक्षित थे। मुख्य महानिदेशक डाकपाल, गुजरात परिमण्डल ने उत्तर दिया (जून 2008) कि तीन डाकघरों से 1.63 लाख रु. की राशि वसूल ली गई है। यह भी बताया गया कि शेष राशि को वसूलने हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

मामला जून 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.10 ब्याज का अनियमित भुगतान

लोक भविष्य निधि (लो.भ.नि.) योजना के संबंध में अंशदान की निर्धारित वित्तीय सीमा सुनिश्चित करने में तीन डाक परिमंडलों की विफलता के परिणामस्वरूप 51.09 लाख रु. के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

विभागीय नियमावली बताती है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं या अवयस्क की ओर से जिसका वो संरक्षक है, लो.भ.नि. योजना में एक वर्ष में न तो 500 रु. से कम तथा न ही 70,000 रु. से अधिक की राशि का अंशदान कर सकता है। वर्ष के दौरान अभिदाता द्वारा किए 70,000 रु. से अधिक अंशदान अनियमित माना जाएगा तथा अभिदाता को बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा। खाता खोलने के समय आवेदन पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि अभिदाता कोई दूसरा लो.भ.नि. खाता अनुरक्षित नहीं कर रहा है तथा अभिदाता लो.भ.नि. योजना, 1968 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है।

डाक विभाग (डा.वि.) ने व्यक्तिगत द्वारा रखे गए असबंद्ध अनेक खातों (स्वयं अपने नाम पर या अवयस्क के संरक्षक के रूप में) एवं इसमें परिणामी अधिक जमा के मामलों का जल्दी पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए थे (मई 2004) तथा डा.वि. ने आगे इंगित किया कि भूल करने वाले डाक कर्मचारी जो इस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने में विफल थे, के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

मई 2007 से दिसम्बर 2007 के दौरान राजस्थान डाक परिमंडल के अधीन चार मुख्य डाकघरों (मु.डा.घ.) गुजरात डाक परिमंडल के अधीन एक मु.डा.घ. एवं सामान्य डाक घर (सा.डा.घ.) तथा असम डाक परिमंडल के अधीन एक सा.डा.घ. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2007 की समाप्ति तक निर्धारित सीमाओं से अधिक 1.15 करोड़ रु. के जमा स्वीकार किए थे जिसका परिणाम मार्च 2008 तक 51.09 लाख रु. के ब्याज के अधिक भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त, खाते खोलते समय आवश्यक घोषणापत्र प्रस्तुत किए बिना अभिदाताओं को अनेक लो.भ.नि. खाते, एक स्वयं अपने नाम पर एवं अन्य अवयस्क की ओर से, खोलने की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, प्रधार मुख्य महा डाकपाल, राजस्थान परिमंडल ने उत्तर दिया (अगस्त 2008) कि 13.92 लाख रु. की राशि वसूल ली जा चुकी थी या शेष राशि को वसूल करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। मुख्य डाकपाल, अहमदाबाद सा.डा.घ., ने बताया (दिसम्बर 2008) कि निवेशकों द्वारा किए गए अधिक अंशदान वापस कर दिये गये थे तथा ब्याज की 1.26 लाख रु. की राशि वसूल की गई थी। सा.डा.घ., गुवाहटी के वरिष्ठ डाकपाल ने बताया (जुलाई 2008) कि 9.15 लाख रु. की राशि का ब्याज वसूल किया जा चुका था।

लो.भ.नि. योजना के वर्तमान अनुदेशों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप निर्धारित सीमाओं के अधिक्य में जमा की स्वीकृति तथा उस पर 51.09 लाख रु. के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया था; उनका उत्तर जनवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

2.11 सामान्य लेखापरीक्षा सलाहकारी

इस अध्याय के अन्तर्गत पैराग्राफ 2.3 से 2.10 लेखापरीक्षित कुछ डाक परिमण्डलों में ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान, देयों एवं दण्डनीय ब्याज वसूलने में विफलता, सेवा कर एवं ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान, डाक प्रभारों की कम वसूली तथा सेवा कर के उद्घ्रहण में विफलता को प्रस्तुत करता है। चूंकि अन्य डाक परिमण्डलों में भी समान उदाहरणों के विद्यमान होने का जोखिम है इसलिए डाक विभाग को अपने अनुदेशों की अनुपालना की समीक्षा करने तथा पुनरावृति न करने के प्रति निगरानी हेतु उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रियाएं स्थापित करने की सलाह दी गई है।

दूर संचार विभाग

2.12 पृष्ठभूमि

1999 की नई टेलीकाम नीति (न.टे.नी.) सार्वभौम सेवा दायित्व (सा.से.दा.) पर बल डालने के लिए तैयार की गई थी तथा वहन करने योग्य एवं उपयुक्त कीमत पर सभी को आधारभूत टेलीकाम सेवाएं प्रदान करने हेतु वचनबद्ध थी। न.टे.नी. के आरम्भ के कारण आगामी दशक में टेलीकाम सेक्टर में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई। 1948 में, भारत में लगभग 0.02¹ के टेलीकाम घनत्व सहित केवल 0.1 अरब टेलीफोन कनेक्शन थे। तब से टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 31 मार्च 2008 तक 26.22 के टेलीफोन घनत्व को प्रदर्शित करते हुए 300.94 अरब तक बढ़ गई है। 270 अरब से अधिक कनेक्शनों सहित भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तथा उभरते हुए अर्थशास्त्र में दूसरी सबसे बड़ी धनराशि है।

2.12.1 विभाग के कार्य

निगमीकरण के पश्चात अर्थात भारत संचार लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) एक लोक क्षेत्र कम्पनी (पी.एस.यू.), के गठन के पश्चात टेलीकाम सेवाएं प्रदान करने का कार्य पी.एस.यू. को हस्तांतरित कर दिया था। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म.टे.नि.लि.) को पहले दिल्ली एवं मुंबई महानगरीय शहरों में टेलीकाम सेवाएं प्रदान करने हेतु संस्थापित किया गया था। दू.वि. प्राथमिक रूप से नीति निरूपण तथा आधारभूत एवं मूल्य वृद्धि सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रचालकों को लाईसेंस प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। दू.वि. सार्वभौम सेवा दायित्व (सा.से.दा.) निधि का प्रबंध भी करता है जिसे अप्रैल 2002 में संस्थापित किया गया था। सा.से.द. निधि को प्राथमिक रूप से देश के ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु आर्थिक सहायताएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, विभाग आवृत्ति निर्धारित करता है तथा अपने बेतार योजना एवं समन्वय (बे.यो.स.) स्कंध द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार की व्यवस्था करता है। बे.यो.स. देश के अंतर्गत स्पेक्ट्रम के उपयोग की योजना, प्राधिकृत करने एवं नियंत्रण करने हेतु नोडल अभिकरण है। यह रेडियो संचार प्रणाली हेतु स्पेक्ट्रम प्रबंधन की नीति, बेतार लाईसेंस, आवृत्ति आबंटन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की व्यवस्था के संबंध में कार्य करता है। बे.यो.स. देश में सभी उपभोक्ताओं के बेतार नियामक मापदण्ड एवं बेतार संचारण की मानिटरिंग हेतु भी उत्तरदायी है।

निर्धारण करने तथा लाईसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभारों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक 26 टेलीकाम परिमिलों में दूरसंचार लेखे नियंत्रक (दू.ले.नि.) के पास बनी रही।

¹ टेलीफोन घनत्व को कनेक्शनों की संख्या के प्रति सौ व्यक्तियों के रूप में बताया गया है।

2.12.2 प्रशासन, नियन्त्रण एवं वानियमन


अप्रैल 1989 में सरकार द्वारा संस्थापित टेलीकाम आयोग, दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं का संचालन करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। आयोग एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्यों एवं चार अंशकालिक सदस्यों से बना है। टेलीकाम आयोग एवं दूरसंचार विभाग (दू.वि.) भारत में टेलीकाम क्षेत्र के संबंध में नीति निरूपण, लाईसेंसिंग, बेतार स्वेक्ट्रम प्रबंधन, लो.क्षे.उ. (भा.सं.नि.लि., म.न.टे.लि., भा.टे.उ., टे.क.इ.लि.²) की प्रशासनिक मानिटरिंग, मानकीकरण का उन्नयन, अनुसंधान तथा विकास (मुख्यतः टे.वि.के.³ के माध्यम से) आदि हेतु उत्तरदायी है।

भारत में टेलीकाम क्षेत्र निजी प्रचालकों हेतु 1992 में प्रारम्भ किया गया था। यह अपने साथ स्वतंत्र विनियमन हेतु अपरिहार्य आवश्यकता को लाया। तथापि भारतीय टेलीकाम नियामक प्राधिकरण (भा.टे.नि.प्रा.) को संसद के अधिनियम, भा.टे.नि.प्रा. अधिनियम, 1997 द्वारा 20 फरवरी 1997 में स्थापित किया गया था। भा.टे.नि.प्रा. के पास से विवाद न्याय निर्णायक कार्यों को हटाते हुए तथा नव स्थापित दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील संबंधी न्यायधीकरण (दू.वि.नि.अ.न्या.) को कार्य प्रदान करते हुए, जनवरी 2000 में भा.टे.नि.प्रा. अधिनियम को संशोधित किया था। दू.वि.नि.अ.न्या. एक लाईसेंसदाता एवं लाईसेंस धारी के बीच, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच तथा सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता समूह के बीच किसी भी विवाद का निर्णय करता है। यह भा.टे.नि.प्रा. के किसी भी निर्देश, निर्णय या अनुदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई एवं निपटान भी करता है।

² भा.टे.उ.- भारतीय टेलीफोन उद्योग; टे.क.इ.लि.- दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड

³ टे.वि.के.- टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र

2.12.3 राजस्व



2007-08 के दौरान दू.वि. की कुल गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ 26729.27 करोड़ रु. थी, जिसमें से 11910.98 करोड़ रु. लाईसेंस शुल्क स्पेक्ट्रम प्रभारों एवं सार्वभौम अनुवृद्धि उदग्रहण के रूप में थे। ‘अन्य प्राप्तियों’ में तेजी (2005-06 में 2044.76 करोड़ रु. से 2007-08 में 14818.29 करोड़ रु.) मुख्यतः जनवरी 2008 में जारी किए गए 120 नए सार्वभौम अनुवृद्धि सेवा लाईसेंस (सा.अ.से.ला.) हेतु एक-बारी प्रवेश शुल्क के संग्रहण के कारण थी। पिछले तीन वर्षों के लिए दू.वि. के गैर-कर राजस्व का वर्ग-वार ब्यौरा अनुबंध-VI में दिया गया है।

2.12.4 लेखापरीक्षा की भूमिका

दू.वि. की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा यह जाँचने एवं निर्धारण करने कि क्या स्थापित प्रणालियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं, नियत प्रक्रियाओं का पालन किया गया था तथा क्या वित्तीय औचित्य पाया गया था का प्रयत्न किया। अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु विषय का चयन फील्ड इकाईयों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के साथ संबद्ध जोखिम के निर्धारण के आधार पर किया गया था। जोखिम निर्धारण करने हेतु पैरामीटरों में लेन-देनों की मात्रा, सारता, कार्य/सेवा का संबंधित महत्व, पिछले लेखापरीक्षा परिणाम आदि शामिल थे। लेखापरीक्षा वित्तीय एवं प्रबंधनीय प्रक्रियाओं, जिन्हें कार्यक्षम एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु ध्यान की आवश्यकता है, को पहचानने में सहायता करती है।

अनुबंध-॥

(पैराग्राफ संख्या 2.1.3 के संदर्भ में)

(क) अपंजीकृत डाक

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	मद	2005-06		2006-07		2007-08	
		प्रत्यायोजित	वास्तविक	प्रत्यायोजित	वास्तविक	प्रत्यायोजित	वास्तविक
1.	पोस्ट कार्ड	2574.96	1991.54	2109.87	1913.02	2189.04	1779.52
2.	छपे पोस्ट कार्ड तथा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड	871.99	879.19	931.43	765.88	915.24	650.78
3.	पत्र कार्ड (अन्तर्राष्ट्रीय)	2742.31	2333.79	2472.46	2224.74	2620.20	2164.62
4.	समाचार पत्र एकल बण्डल	904.37	968.68	1026.24	917.63	1087.56	972.57
5.	158.44	162.81	172.48	163.53	182.79	151.65	
5.	पार्सल	429.41	397.08	420.67	410.94	445.81	421.91
6.	पत्र	8066.95	7100.01	7521.87	7144.51	7971.33	6633.44
7.	बुक पॉकेट	791.92	875.17	927.17	817.15	982.57	893.22
8.	छपी किताबें	370.86	469.27	497.15	487.42	526.86	527.31
9.	अन्य आवधिक पत्रिकाएं	282.88	372.37	394.50	422.68	418.07	428.18
10.	स्वीकृति पत्र	778.53	716.83	780.99	663.00	803.03	669.71

(ख) पंजीकृत डाक एवं अन्य

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	मद	2005-2006		2006-2007		2007-2008	
		प्रत्यायोजित	वास्तविक	प्रत्यायोजित	वास्तविक	प्रत्यायोजित	वास्तविक
11.	मनी आर्डर (म.आ.)	1197.13	1229.31	1229.31	987.93	1193.47	989.45
12.	बीमा	95.45	86.65	91.80	88.01	97.28	84.84
13.	मूल्य भुगतान पत्र तथा पार्सल	98.46	80.44	85.22	85.56	90.31	78.18
14.	पंजीकृत पत्र तथा पार्सल	1996.92	1844.32	1953.90	1947.47	2070.66	1796.36
15.	स्पीड पोस्ट	1008.29	1086.00	1150.53	1286.00	1219.28	1725.50

पूर्ववर्ती दो वर्षों के वास्तविक ट्रैफिक के आधार पर विभाग द्वारा अपंजीकृत मेल हेतु प्रत्यायोजित ट्रैफिक की गणना की गई थी। वास्तविक ट्रैफिक अर्जित राजस्व के आधार पर था।

अनुबंध-III

(पैराग्राफ संख्या 2.1.4 के संदर्भ में)

(क) राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रुपयों में)

सेवा का नाम	2006-07	2007-08	वृद्धि प्रतिशतता/पिछले वर्ष में कमी
टिकटों को बिक्री	671.45	566.82	(-)15.6
रोकड़ में पोस्टेज	1680.47	1964.81	16.9
एम.ओ./आई.पी.ओ. पर कमीशन	2883.41	2886.74	0.1
अन्य प्राप्तियाँ	131.06	120.77	(-)7.9
अन्य डाक प्रशासनों से निवल प्राप्तियाँ	-43.95	-44.24	0
सकल राजस्व	5322.44	5494.90	3.2

(ख) राजस्व व्यय

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	2006-07	2007-08	वृद्धि प्रतिशतता/पिछले वर्ष में कमी
(क) वेतन एवं भत्ते, आकस्मिकताएं, बोनस, महंगाई भत्ता, आदि	4803.70	5114.10	6.5
(ख) पेंशन संबंधी प्रभार	1424.66	1608.84	12.9
(ग) टिकटे, पोस्ट कार्ड आदि	28.19	26.06	(-)7.6
(घ) स्टेशनरी एवं परिपत्र मुद्रण आदि	54.81	53.13	(-)3.1
(ङ) मेल का परिवहन (रेलवे तथा वायु मेल वाहकों को भुगतान)	265.77	261.74	(-)1.5
(च) अन्य व्यय	201.99	208.79	3.4
योग	6779.12	7272.66	7.3

अनुबंध-III

(पैराग्राफ संख्या 2.3 के संदर्भ में)

डाक घरों के माध्यम से रेलवे पेंशनधारियों को पेंशन के भुगतान पर कमीशन की कम वसूली को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	वर्ष	लेन-देनों की संख्या	प्रति लेन-देन देय कमीशन की दर	देय कमीशन की राशि	वास्तव में प्राप्त कमीशन की राशि	कम वसूली
1	असम	2003-04	13786	61	840946	703086	137860
		2004-05	10972	63	691236	566212	125024
		2005-06	11950	67	800650	728951	71699
		2006-07	11565	67	774855	705465	69390
2	बिहार	2003-04	202001	61	12322061	10302051	2020010
		2004-05	613225	63	38633175	15454768	23178407
		2005-06	199851	67	13390017	12190911	1199106
		2006-07	164553	67	11025051	10037733	987318
3	छत्तीसगढ़	2002-03	12165	58	705570	378125	327445
		2003-04	8948	61	545828	478628	67200
		2004-05	8006	63	504378	524966	-20588
		2005-06	3029	67	202943	184769	18174
		2006-07	2201	67	147467	134461	13006
4	दिल्ली	2002-03	5280	58	306240	180616	125624
		2003-04	4941	61	301401	338361	-36960
		2004-05	4901	63	308763	298961	9802
		2005-06	4696	67	314632	286456	28176
		2006-07	4402	67	294934	268522	26412
5	गुजरात	2002-03	8256	58	478848	261792	217056
		2003-04	8624	61	526064	458574	67490
		2004-05	8049	63	507087	489891	17196
		2005-06	7912	67	530104	478932	51172
		2006-07	7667	67	513689	467693	45996
6	हिमाचल प्रदेश	2004-05	1335	63	84105	81435	2670
		2005-06	1272	67	85224	77592	7632
		2006-07	1145	67	76715	69845	6870
7	हरियाणा	2004-05	2258	63	142254	137738	4516
		2005-06	2081	67	139427	126941	12486
		2006-07	1777	67	119059	114497	4562
8	झारखण्ड	2001-02	14510	51	740010	326476	413534
		2002-03	13564	58	786712	1105350	-318638
		2003-04	11425	61	696925	582675	114250
		2004-05	35615	63	2243745	857330	1386415
		2005-06	12644	67	847148	771284	75864
		2006-07	9191	67	615797	560651	55146

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	वर्ष	लेन-देनों की संख्या	प्रति लेन-देन देय कमीशन की दर	देय कमीशन की राशि	वास्तव में प्राप्त कमीशन की राशि	कम वसूली
9	जम्मू एवं कश्मीर	2002-03	72	58	4176	3672	504
		2003-04	54	61	3294	2754	540
		2004-05	60	63	3780	3450	330
		2005-06	58	67	3886	3538	348
		2006-07	56	67	3752	3416	336
10	केरल	2004-05	57161	63	3601143	3486821	114322
		2005-06	55139	67	3694313	3363479	330834
		2006-07	52922	67	3545774	3228220	317554
11	मध्य प्रदेश	2002-03	9922	58	575476	506022	69454
		2003-04	11760	61	717360	599760	117600
		2004-05	10320	63	650160	629642	20518
		2005-06	15616	67	1046272	952576	93696
		2006-07	14825	67	993275	904325	88950
12	उत्तर पूर्व	2003-04	96	61	5856	4743	1113
		2004-05	73	63	4599	3863	736
		2005-06	84	67	5628	5124	504
		2006-07	81	67	5427	4941	486
13	उड़ीसा	2002-03	28933	58	1678114	1475583	202531
		2003-04	27517	61	1678537	1494187	184350
		2004-05	24879	63	1567377	1517619	49758
		2005-06	21464	67	1438088	1309304	128784
		2006-07	24027	67	1609809	1465647	144162
14	राजस्थान	2004-05	61797	63	3893211	3769678	123533
		2005-06	60251	67	4036817	3675372	361445
		2006-07	55412	67	3712604	3380132	332472
15	तमिलनाडु	2002-03	212256	58	12310848	6379113	5931735
		2003-04	203034	61	12385074	10354734	2030340
		2004-05	196651	63	12389013	10029201	2359812
		2005-06	200885	67	13459295	16377066	-2917771
		2006-07	177814	67	11913538	10846654	1066884
16	उत्तरांचल	2002-03	15270	58	885660	778770	106890
		2003-04	24555	61	1497855	1497855	0
		2004-05	16146	63	1017198	984906	32292
		2005-06	9584	67	642128	584624	57504
		2006-07	9285	67	622095	566385	55710
17	उत्तर प्रदेश	2004-05	358375	63	22577625	21860875	716750
		2005-06	285740	67	19144580	17430140	1714440
		2006-07	226488	67	15174696	13815768	1358928

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	वर्ष	लेन-देनों की संख्या	प्रति लेन-देन देय कमीशन की दर	देय कमीशन की राशि	वास्तव में प्राप्त कमीशन की राशि	कम वसूली
18	पश्चिमी बंगाल	2002-03	295502	58	17139116	9705334	7433782
		2003-04	301758	61	18407238	15389658	3017580
		2004-05	287946	63	18140598	14685246	3455352
		2005-06	269996	67	18089732	16469756	1619976
		2006-07	266717	67	17870039	16269787	1600252
19	महाराष्ट्र	2004-05	44501	63	2803563	2714561	89002
		2005-06	37318	67	2500306	2276398	223908
		2006-07	45424	67	3043408	2770864	272544
					347735393	284313301	63422092

डाक घरों के माध्यम से रेलवे पेंशनधारियों को पेंशन के भुगतान पर कमीशन की कम वसूली को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	वर्ष	लेन-देनों की संख्या	प्रति लेन-देन देय कमीशन की दर	देय कमीशन की राशि	वास्तव में प्राप्त कमीशन की राशि	कम वसूली
1.	आन्ध्र प्रदेश	2004-05	100604	63	6338052	6136844	201208
		2005-06	101604	67	6807468	6197844	609624
		2006-07	97576	67	6537592	5952136	585456
2	छत्तीसगढ़	2004-05	40189	63	2531907	2451529	80378
		2005-06	13745	67	920915	838445	82470
		2006-07	11679	67	782493	712419	70074
3	दिल्ली	2000-01	123438	50	6233448	0	6233448
		2001-02	71358	55	3924690	1962345	1962345
		2002-03	75204	58	4361832	6361832	0
		2003-04	67360	61	4108960	4108960	0
		2004-05	55355	63	3487365	3487365	0
		2005-06	53022	67	3552474	3017412	535062
		2006-07	49346	67	3306182	0	3306182
4	गुजरात	2004-05	64331	63	4052853	3924191	128662
		2005-06	68288	67	4575296	4165568	409728
		2006-07	73955	67	4954985	4511255	443730
5	हरियाणा	2004-05	18270	63	1151010	1014470	136540
		2005-06	16916	67	1133372	1125455	7917
		2006-07	19558	67	1310386	1120000	190386
6	हिमाचल प्रदेश	2004-05	8901	63	560763	542961	17802
		2005-06	8620	67	577540	525820	51720
		2006-07	8655	67	579885	540627	39258
7	जम्मू एवं कश्मीर	2005-06	6024	67	403608	402630	978
		2006-07	5940	67	397980	388696	9284

2008-09 का प्रतिवेदन सं. सी ए 14

क्र.सं.	परिमण्डल का नाम	वर्ष	लेन-देनों की संख्या	प्रति लेन-देन देय कमीशन की दर	देय कमीशन की राशि	वास्तव में प्राप्त कमीशन की राशि	कम वसूली
8	मध्य प्रदेश	2004-05	25543	63	1609209	1558123	51086
		2005-06	65967	67	4419789	4023987	395802
		2006-07	68296	67	4575832	4166056	409776
9	महाराष्ट्र	2004-05	137297	63	8649711	8375117	274594
		2005-06	162939	67	10916913	9939279	977634
		2006-07	166676	67	11167292	10167236	1000056
10	राजस्थान	2004-05	32912	63	2073456	2007632	65824
		2005-06	33444	67	2240748	2040084	200664
		2006-07	32697	67	2190699	1994517	196182
11	तमिनाडु	2004-05	217224	63	13685112	13250664	434448
		2005-06	239558	67	16050386	14613038	1437348
		2006-07	171401	67	11483867	10455644	1028223
12	उत्तर प्रदेश	2003-04	137620	61	8394820	6437620	1957200
		2004-05	180340	63	11361420	12681900	-1320480
		2006-07	127426	67	8537542	7987114	550428
13	उत्तरांचल	2004-05	7417	63	467271	452254	15017
		2005-06	7528	67	504376	459940	44436
		2006-07	8318	67	557306	524943	32363
							22852853

अनुबंध - IV

(पैराग्राफ संख्या 2.4 के संदर्भ में)

ब्याज तथा कमीशन के अनियमित भुगतान को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	मु.डा.घ. का नाम	मामलों की संख्या जिनमें अनियमिताएं पाई गई	निर्धारित सीमा से परे अधिक जमा की गई	अधिक ब्याज भुगतान	अधिक निवेश पर अधिकता को प्रदत्त अनियमित कमीशन	निवेशकों को अनुमत कुल अधिक ब्याज तथा अधिकता को प्रदत्त कमीशन
दिल्ली डाक परिमण्डल						
1.	नई दिल्ली	38	4607000	745048	46070	791118
2.	लोधी रोड़	49	5713500	836215	57135	893350
3.	कृष्णा नगर	19	1880500	272607	18805	291412
4.	अशोक विहार	42	7365000	961232	73650	1034882
5.	इन्द्रप्रस्थ	44	4585500	775925	45855	821780
आन्ध्र प्रदेश डाक परिमण्डल						
6.	विकाराबाद	10	1760000	260027	17540	277567
हिमाचल प्रदेश डाक परिमण्डल						
7.	धर्मशाला	6	1010000	157999	10100	168099
		208	26921500	4009053	269155	4278208

अनुबंध - V

(पैराग्राफ संख्या 2.5 के संदर्भ में)

बकायों की गैर वसूली तथा उन पर दाण्डिक ब्याज को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपयों में)

परिमण्डल का नाम	वर्ष	बकाया राशि	बकाया राशि	दाण्डिक ब्याज	कुल योग
पश्चिमी बंगाल	2004-05	3.05	53.61	5.20	58.81
	2005-06	10.33			
	2006-07	8.99			
	2007-08	31.24			
महाराष्ट्र	2003-04	0.82	26.02	4.06	30.08
	2004-05	0.85			
	2005-06	3.60			
	2006-07	20.75			
झारखण्ड	2004-05	5.97	19.49	2.41	21.90
	2005-06	5.39			
	2006-07	4.02			
	2007-08	4.11			
योग			99.12	11.67	110.79

अनुबंध - VI

(पैराग्राफ संख्या 2.12.3 के संदर्भ में)

दू.वि. की गैर कर प्राप्तियों के घटक

(करोड़ रुपयों में)

	2005-06	2006-07	2007-08
लाइसेंस शुल्क	3432.51	3097.19	3448.59
स्पेक्ट्रम प्रभार	1371.97	2090.39	3056.59
सर्वभौम पहुँच उगाही	3215.13	3940.73	5405.80
अन्य प्राप्तियाँ एवं वापसियाँ	2044.76	4300.92	14818.29
योग	10064.37	13429.23	26729.27

अध्याय III: विदेश मंत्रालय

3.1 स्थानीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति

संघीय गणराज्य जर्मनी के पूर्व महावाणिज्यिक ने वि.मं. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में तीन स्थानीय पदों हेतु भारत से सीधे कार्मिकों की नियुक्ति की। चूंकि भर्ती की पूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, इसलिए इन कर्मचारियों के वेतन पर किया गया 1.27 करोड़ रु. का पूर्ण व्यव अनियमित है।

विदेश में प्रत्येक भारतीय मिशन/केन्द्र को भारत-आधारित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कार्मिकों की एक निश्चित संख्या संस्थीकृति की जाती है। विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने मिशन/केन्द्र द्वारा स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती में अनुपालन किए जाने वाले मानकों का निर्धारण किया है। स्थानीय कर्मचारियों को मिशन अध्यक्ष/केन्द्र अध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत संविदा आधार पर भर्ती किया जाता है। भर्ती स्थानीय समाचार पत्र में खाली जगह के विज्ञापन के द्वारा की जानी चाहिए तथा आवेदन (को) के साक्षात्कार/जांच के आधार पर की जानी चाहिए जो आयु शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता, अनुभव आदि योग्यता शर्तों से संतुष्ट करे। मिशन/केन्द्र में नियुक्त किए गए स्थानीय कर्मचारियों से स्थानीय परमिट/रेजीडेन्ट वीजा प्राप्त करने हेतु उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के स्थानीय कर्मचारियों को किसी अन्य स्थापना सरकार के साथ या अन्य प्रकार से कोई कार्य करने हेतु अनुमत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान मार्च 2008 में, यह पाया गया कि भारत के महावाणिज्यिक (भा.म.) ने जर्मनी में हैमबर्ग में मई 2002 तथा मई 2003 की अवधि के दौरान भारत से सीधे तीन स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती की थी। उपलब्ध दस्तावेजों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:-

- (क) जर्मनी में किसी स्थानीय समाचार पत्र में खाली जगहों का विज्ञापन नहीं दिया गया था जैसा कि वि.मं. द्वारा अनुबन्ध किया गया था।
- (ख) भावी आवेदकों के चयन हेतु आयु, शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता, अनुभव आदि के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे।
- (ग) पूर्व महावाणिज्यिक ने कोलकाता में जर्मनी में महावाणिज्यिक को एक प्रत्याशी के मामले में वीजा देने तथा जर्मनी के भारतीय दूतावास के साथ जर्मनी में विदेश मंत्रालय को मौखिक टिप्पणी जारी करने के लिए अनुसरण करने हेतु मौखिक टिप्पणी जारी करने, भारत में भावी आवेदकों के साथ सीधे पत्राचार करके भारत से सीधे ही कार्मिकों को भर्ती करने में बहुत रुचि दिखाई।
- (घ) देश एकस में प्राधिकारियों के साथ अनुमति/वीजा प्राप्त करने में प्रयासों के अतिरिक्त वाणिज्यिक दूतावास के कार्यालय घंटों के उपरान्त उसके द्वारा भर्ती किए गए दो स्थानीय कर्मचारियों हेतु 'मिनी जाब' प्राप्त करवाने में अनुचित रुचि दिखाई गई। मेजबान देश विदेश कार्यालय से ऐसी अनुमति प्रदान करने हेतु आग्रह

किया गया था। कार्य वि.म. के दिशानिर्देशों कि स्थानीय कर्मचारियों की किसी अन्य स्थापना, सरकार के साथ या अन्य प्रकार से कोई नियुक्ति नहीं की जानी है, के उल्लंघन में था।

- (ङ) एक स्थानीय कर्मचारी ने अपनी नियुक्ति के नौ माह के उपरान्त अपने कार्य से त्यागपत्र दे दिया। तथापि, व्यक्ति को मेजबान देश से निर्वासित नहीं किया गया था यद्यपि कार्य की समाप्ति पर निर्वासन का दायित्व मेजबान देश में कार्य कर रहे भारतीय दूतावास तथा महावाणिज्यिक पर था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जर्मनी में पूर्व म. ने वि.म. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में स्थानीय नियुक्तियों की तथा भारत से सीधे ही कार्मिकों की नियुक्ति करने में अपने राजनायिक स्तर का दुरुपयोग किया। चूंकि भर्ती की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, इसलिए इन कर्मचारियों के वेतन पर किया गया 1.27 करोड़ रु. का कुल व्यय अनियमित था।

केन्द्र ने इसके उत्तर (अप्रैल 2008) में भविष्य में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती हेतु जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना का विश्वास दिलाया।

अप्रैल 2008 में मामला अतिरिक्त सचिव (ए.डी. एवं सी.पी.वी.) वि.म. के ध्यान में लाया गया था। वि.म. द्वारा जुलाई 2008 में बताया गया कि कर्मचारियों की भर्ती भारत से की जानी थी क्योंकि भा.म. द्वारा प्रस्तावित किया गया वेतन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (i) संबंधित भा.म. ने अक्टूबर 2008 में पुष्टि की कि निर्माण कार्य, बिजली के कार्य, साफ-सफाई आदि जैसे व्यवसाय के अलावा वहाँ कोई क्रास सेक्टर सांविधिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं थी, (ii) भा.म. ने इसकी भी पुष्टि की कि अनियमित भर्तियों से पहले, स्थानीय भर्तियों लिपिकों के पदों के लिए की गई थी, (iii) उसी देश में अन्य मिशन/केन्द्र समाचार पत्रों में विज्ञापन करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती कर रहे थे।

वि.म. ने यह भी बताया कि स्थानीय तौर पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे थे किन्तु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। इस तथ्य का बाद में संबंधित भा.म. द्वारा खण्डन किया गया जिसने पुष्टि की कि स्थानीय समाचार पत्रों में खाली स्थानों की स्थिति के प्रकाशन न करने के कारणों को स्पष्ट करने के कोई अभिलेख/आदेश उपलब्ध नहीं थे।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2008 में पुनः प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2008 तक प्रतीक्षित था।

3.2 भारत आधारित शोफरों की नियुक्ति के कारण अतिरिक्त व्यय

भारत आधारित शोफरों की नियुक्ति से लोक धन से व्यय अपरिहार्य बना। विदेश में स्थित तीन मिशनों में, तीन वर्षों की अवधि के दौरान भारत आधारित शोफरों की तैनाती के परिणामस्वरूप 57.98 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ। वि.म. को व्यय में मितव्यिता लागू करने की दृष्टि से विदेशों में भारत आधारित शोफरों की तैनाती पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को निर्धारित आवश्यकता के आधार पर एक या एक से अधिक कारों को मुहैया कराया गया है। प्रत्येक मिशन/केन्द्र में एक कार फ्लैग

कार है तथा अन्य कारें स्टाफ कार हैं। फ्लैग कार सिर्फ मिशन/केन्द्र प्रमुख के एकमात्र प्रयोग के लिए है। विदेश मंत्रालय (वि.मं) ने प्रत्येक कार के लिए एक शोफर की संस्थाकृति प्रदान की है।

ये शोफर या तो भारत आधारित हैं या स्थानीय भर्ती किए गए हैं। भारत आधारित शोफरों की नियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का है। भारत आधारित शोफर मूल वेतन, पद के अनुसार ग्राह्य विदेशी भत्ते, अधिसमय भत्ते, बोनस, किराया-मुक्त सुसज्जित आवास चिकित्सीय सुविधा, घरेलू यात्रा रियायत तथा भारतीय मूल के कर्मचारियों को ग्राह्य अन्य लाभों के पात्र हैं। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए शोफर वेतन, जीवनयापन भत्ते की लागत, बोनस, अधिसमय भत्ता तथा स्थानीय नियम एवं विनियमन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र हैं।

लेखापरीक्षा ने यूरोप तथा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र मण्डल (सी.आई.एस.) में विभिन्न भारतीय मिशन/केन्द्रों में भारत आधारित शोफरों की नियुक्ति पर मितव्ययित के मूल्यांकन हेतु विश्लेषण किया। तीन वर्षों की अवधि (2005-06 से 2007-08) हेतु तीन मिशनों अर्थात ओसलो, कीव एवं दुशानबे में भारतीय दूतावासों में भारत आधारित शोफरों तथा स्थानीय रूप से भर्ती किए गए शोफरों पर किए गए व्यय को निम्न तालिका में दिया गया है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मिशन	शोफरों के स्वीकृत पद		शोफरों पर व्यय (तीन वर्षों की अवधि हेतु)		स्थानीय: भारत आधारित व्यय का अनुपात	अन्तर
		स्थानीय	भारत आधारित	स्थानीय	भारत आधारित ¹		
1	भा.दू. दुशानबे	1	1	15.09	31.32	1 : 2.07	16.23
2	भा.दू. कीव	1	1	12.98	38.58	1 : 2.97	25.60
3	भा.दू. ओसलो	1	1	49.39	65.54	1 : 1.33	16.15

जैसा स्पष्ट है, कि इन स्टेशनों पर भारत आधारित शौफरों की तैनाती पर किया गया व्यय स्थानीय शौफरों पर किए गए वयय से बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त, भारत आधारित शोफर अक्षम थे क्योंकि वे स्थानीय भाषा बोलने और पढ़ने में असमर्थ थे तथा स्थानीय चालन परिस्थितियों से भी अनभिज्ञ थे। मिशन की अपनी स्वीकृति के अनुसार, इन देशों में ये शोफर विशेषतौर पर अपेक्षित चालन निपुणता में अक्षम थे।

इस प्रकार, 2007-08 के अन्त तक तीन वर्षों के दौरान तीन मिशनों में भारत आधारित शोफरों की तैनाती के परिणामस्वरूप 57.98 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय में हुआ।

¹ भारत आधारित शौफरों पर यह व्यय उनको देय पेंशन लाभों को सम्मिलित नहीं करता तथा इसलिए, वास्तविक अधिक भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा में मामले को इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2008) में बताया कि भारत आधारित कर्मियों की नियुक्ति, सुरक्षा तथा प्रचालन की गोपनीयता, उचित निपुणता की उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों के बीच अंग्रेजी बोलने की निपुणता, निम्नतम स्तर पर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति में पूर्व के अनुभवों आदि जैसे विभिन्न तर्कों पर 'ध्यानपूर्वक विचार' करने के पश्चात की गई थी और इन कारणों की मितव्ययिता के आधार पर अवहेलना नहीं की जा सकती थी।

मंत्रालय का उत्तर उठाए गए मामलों के अनुरूप नहीं है। 15 मिशनों/केन्द्रों में, जहाँ से लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध कराई गई थी, केवल पांच स्टेशनों (ओसलो, बर्न, कीब, दुशानबे और एथेंस) में भारत आधारित शौफर नियुक्त पाए गए थे। तथ्य यह है कि एक के अलावा सभी पांच स्टेशनों में भारत आधारित शौफर फ्लैग कार से सम्बद्ध नहीं थे जो इंगित करता है कि प्रचालन की गोपनीयता कोई तर्क नहीं था। इसके अतिरिक्त, सिर्फ एक स्टेशन पर जहाँ भारत आधारित शौफर का मिशन प्रमुख द्वारा सेवा ली जा रही थी वहाँ उसके निष्पादन पर प्रतिपुष्टि बहुत ही खराब थी। अधिकतम खर्च के बावजूद, शहर सीमा के बाहर भारत आधारित शौफरों की सेवा लेने की अयोग्यता, उनकी अच्छी जानकारी की कमी, भाषा निपुणता के अभाव इत्यादि की दृष्टि से भारत आधारित शौफर हेतु एक मार्गरक्षी आवश्यकता का होना मिशन प्रमुख द्वारा इंगित किए गए थे।

उपरोक्त के परिपेक्ष में, वि.मं. को बहुत मितव्ययिता को लागू करने की दृष्टि से, विदेश में भारत आधारित शौफरों की तैनाती की समीक्षा करनी चाहिए।

3.3 निरन्तर अनियमितताएं

3.3.1 आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

विदेशों में स्थित मिशनों/केन्द्रों ने स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के रोजगार को अधिशासित करने वाले मंत्रालय के नियमों तथा विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन में आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों की नियुक्ति को जारी रखा जिसके परिणाम स्वरूप 58.10 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय हुआ।

1999 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कम से कम सात प्रतिवेदनों² ने आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित विभिन्न मिशनों/केन्द्रों द्वारा भारत सरकार के विदेश में प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्ति की अनुसूची-I तथा मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन पर विशेष बल दिया है। मंत्रालय ने जनवरी 2001, जुलाई 2002, दिसम्बर 2004 एवं जून 2005 में अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि नियमों एवं विनियमों के पालन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए मिशनों एवं केन्द्रों को

² भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के सघ सरकार - सिविल की प्रतिवेदन (1999 की सं. 2) के पैराग्राफ सं. 4.1.1, प्रतिवेदन (2000 की सं.2) के पैराग्राफ सं. 8.6, प्रतिवेदन (2002 की सं.2) के पैराग्राफ सं. 9.2, प्रतिवेदन (2003 की सं. 2) के पैराग्राफ सं. 4.1, प्रतिवेदन (2004 की सं. 2) के पैराग्राफ सं. 2.3, प्रतिवेदन (2006 की सं. 2) के पैराग्राफ सं. 4.2 तथा प्रतिवेदन (2007 की सं. 2) के पैराग्राफ सं. 7.2

निर्देश जारी किए जा चुके थे जिसकी असफलता की स्थिति में, दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

पूर्व की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को दिए गए सुस्पष्ट आश्वासन के बावजूद, 11 मिशनों³ के नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मंत्रालय के उन्होंने अपने अनुपालन को दुहराते हुए, नियमों तथा विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करना जारी रखा तथा मंत्रालय के आदेशों की अवहेलना में प्रत्यायोजित प्राधिकार से बाहर दीर्घकालीन अवधि के लिए नियमित प्रकृति के कार्यों हेतु आकस्मिता से भुगतान किए जाने वाले श्रेणी-IV के कर्मचारियों तथा श्रेणी-III के कर्मचारियों को नियुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप 58.10 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय में हुआ जैसाकि अनुबंध-VII में विवरण दिया गया है।

जनवरी 2009 में मंत्रालय ने बताया कि दो मिशनों के संबंध में व्यय का नियमन/आंशिक नियमन कर दिया गया था तथा अन्य मिशनों के संबंध में नियमन प्रक्रियाधीन था।

उत्तर मिशनों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के उल्लंघन के आधारभूत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का पता नहीं लगाते हैं। सक्षम प्राधिकारी का कार्योत्तर अनुमोदन का मुद्दा, कार्योत्तर औचित्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

मंत्रालय लोक लेखा समिति को दिए गए अपने आश्वासन हेतु अनुपालन में मिशन द्वारा इसके विशिष्ट निर्देशों के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में उत्तरदायित्व नियत करें। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के आदेशों में अनुबंधित शर्तों की पूर्ति के तहत विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए बजट के अन्दर व्यय को सीमित करने हेतु निर्देशों के साथ आकस्मिकता कर्मचारियों हेतु विशिष्ट बजट आबंटन द्वारा समुचित बजटीय नियंत्रण का पालन करें।

3.3.2 अधिक रोकड़ शेष के अविवेकपूर्ण प्रतिधारण के कारण ब्याज की हानि

पूर्व में कई अवसरों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद विदेशी मिशनों और केन्द्रों द्वारा आवश्यकता से अधिक रोकड़ शेष नहीं धारण करने की मंत्रालय के निर्देशों की लगातार अनुपालना का परिणाम नमूना जांच किए गए मामलों में कम से कम 50.85 लाख रु. की ब्याज की हानि में हुआ।

1996 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कम से कम नौ प्रतिवेदनों⁴ ने विभिन्न विदेशी मिशनों एवं केन्द्रों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक रोकड़ शेष के प्रतिधारण के दृष्टांतों को उजागर किया था। इस विषय पर भारत के नियंत्रक-

³ जोहान्सबर्ग, सूवा, अन्कारा, हॉग-कॉग, बैंकाक, बहरीन, दार-ए-सलम, त्रिपोली, खरतोम, लुकासा एवं इस्लामाबाद

⁴ मार्च 1996, मार्च 1997, मार्च 1999, मार्च 2000, मार्च 2001, मार्च 2002 मार्च 2003, मार्च 2004 एवं मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं. 2 के क्रमशः पैराग्राफ 4.4, 4.5, 8.14, 8.7, 9.4, 4.7, 2.14, 6.13 एवं 4.3 का संदर्भ लें।

महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल) की 2006 की प्रतिवेदन सं. 2 के पैराग्राफ 4.3 हेतु जनवरी 2008 की अपनी 'कार्यवाही टिप्पणी' में, मंत्रालय ने बताया कि मिशनों के पास समय था तथा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण को सुप्रवाही बनाने हेतु दोबारा निर्देश दे दिए गए थे तथा विदेश में मिशनों/केन्द्रों के रोकड़ शेषों को ध्यान से मानीटर करने हेतु एक क्रियाविधि संस्थापित कर दी गई थी।

विदेश में मिशनों और केन्द्रों की अप्रैल 2007 तथा जून 2008 के बीच संचालित अनुवर्ती लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लगातार लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, अगस्त 2002 से मार्च 2008 के दौरान 14⁵ मिशनों एवं केन्द्रों ने 5 से 29 महीने के बीच की अवधि तक अपने छः सप्ताह की आवश्यकता से अधिक रोकड़ शेष को प्रतिधारित किया था जहाँ प्रत्येक मामले में भारत की संचित निधि से बाहर रोकड़ के अधिक प्रतिधारण का ब्याज प्रभाव 1.00 लाख रु. से अधिक था। 14 मिशनों में से नौ⁶ मिशन ऐसे हैं जिनकी मंत्रालय के निर्देशों की सतत अवहेलना पिछले पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आरेखित की गई थी। इन 14 मिशनों और केन्द्रों द्वारा संगत अवधि के दौरान धारित कुल अतिरिक्त रोकड़ शेष तथा उन विशिष्ट वर्षों में सरकार के उधार लेने पर लागू उधार की औसत लागत के संदर्भ में इस लेखे पर अनुमानित ब्याज की हानि 50.85 लाख रु. परिकलित होगी (अनुबंध-VIII)।

इसे इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने जनवरी 2009 में मिशनों के उत्तर को साश्यांकित किया जिसने रोकड़ शेष के प्रतिधारण को एक या अधिक कारणों जैसे कि (i) भारतीय नौसेना जहाज का आगमन (ii) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने को (iii) रोकड़ खाते के गैर-समाधान (iv) निधियों के हस्तांतरण में सम्मिलित समय-अन्तराल (v) विशेष प्रेषण की प्राप्ति (vi) गैर-परवर्तनीय स्थानीय मुद्रा तथा (vii) कांसुल संबंधी प्राप्तियों ने घातीय वृद्धि को आरोपित किया।

मंत्रालय का उत्तर कांसुल संबंधी प्राप्तियों में अचानक तीव्र बढ़ोतरी जबकि वह कभी-कभार ही बढ़ती हैं, की पहचान करने में विफल रहता है, यह इस प्रतिवेदन में सम्मिलित मामलों में 5 तथा 29 महीनों की लम्बी अवधि के बीच रोकड़ शेष को रखने के कारण के रूप में प्रकट नहीं कर सकता। मंत्रालय के निर्देशों की लगातार सतत अवहेलना, जो आवर्ती ब्याज प्रभाव का कारण बनी, केवल अतिगम्भीरता के साथ मामले के सम्बोधन को रेखांकित करती है। मंत्रालय को, जहाँ आवश्यक हो जवाबदेही निर्धारित करने सहित, अपने स्वयं के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु अधिक प्रभावी उपाय लेने चाहिए।

⁵ अंगोल, बीजिंग, बेर्ली, कोलम्बो, हाँग काँग, जोहान्सबर्ग, मांडले, मनीला, मापुटो, निकोसिया, पोर्टलुइस, प्रीटोरिया, सुडान, वेलिंगटन

⁶ बेर्ली, हाँग काँग, मनीला, मापुटो, निकोसिया, पोर्टलुइस, प्रीटोरिया, सुडान तथा वेलिंगटन

3.3.3 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

विदेश में मिशन/केन्द्र अपने कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों आदि के भुगतानों के संबंध में नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना करने में विफल रहे जिसका परिणाम 44 मिशनों द्वारा 117 मामलों में 36.55 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ जिसे 2005-08 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूला गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2007 के प्रतिवेदन सं. 2 के पैरा 7.9 में लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विदेश में मिशनों/केन्द्रों के कर्मचारियों से 36.14 लाख रु. के वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली को प्रदर्शित किया था।

विदेश में विभिन्न भारतीय मिशनों/केन्द्रों के अभिलेखों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि मिशनों ने निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं से विचलन जारी रखा जिसका परिणाम उनके कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विविध भुगतानों के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा दृष्टांत पर 2005-2008 के दौरान 44 मिशनों/केन्द्रों ने 117 मामलों में 36.55 लाख रु. के अधिक भुगतानों की वसूली की जैसा कि अनुबंध-IX में ब्यौरेवार है।

जैसा कि पहले अनुशासित किया गया था, मंत्रालय को सभी मिशनों/केन्द्रों द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के कठोर अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा इस प्रकार के अधिक भुगतानों की पुनरावृत्ति के विरुद्ध सुरक्षा करनी चाहिए।

मामला सितम्बर 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

3.3.4 आवास के पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय

शौफर हेतु निजि आवास पट्टे पर लेना जबकि चांसरी परिसर में उनके लिए उपलब्ध जगह को अप्राधिकृत उद्देश्य हेतु प्रयोग करने का परिणाम 29.51 लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ

विदेशों में मिशनों में सेवा कर रहे अधिकारियों के लिए आवासों के मान भारतीय विदेशी सेवा (पी.एल.सी.ए.) नियमावली में निर्धारित किए गए हैं जो अनुबंधित करते हैं कि भारत-आधारित शौफर को दूतावास या चांसरी परिसर के बाहरी कमरों में आवास प्रदान किया जाना जिसके असफल होने पर उन्हें निर्धारित मानों के भीतर पृथक आवास प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ सामान्यतः समकक्ष स्तर के व्यक्ति रहते हैं।

चांसरी परिसर में सरकारी स्वामित्व वाले रिहायशी आवासों की उपलब्धता के बावजूद अक्तूबर 2000 में भारत के महावाणिज्यदूतास (भा.म.) न्यूयार्क द्वारा शौफर हेतु निजि आवास को पट्टे पर लेने के मामले में नवम्बर 2003 तक 28.36 लाख रु. के परिहार्य व्यय पर 2005 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं 2 के पैराग्राफ सं. 6.6 में भी टिप्पणी की गई थी। अक्तूबर 2004 तक किराये पर 9.02 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया गया

था। अभी तक मंत्रालय द्वारा इस व्यय को नियमित करने हेतु कोई औपचारिक संस्थीकृति जारी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति तथा नियमों के उल्लंघन के बावजूद, केन्द्र ने मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना नवम्बर 2004 में अनुकर्ता शौफर हेतु अन्य निजी आवास पट्टे पर लिया। इस स्तर पर भी, केन्द्र द्वारा इस प्रयोजन हेतु चांसरी में उपलब्ध जगह के प्रयोग की व्यवहारिक्ता पर विचार नहीं किया गया था। इसने नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2007 की आवधि के दौरान 20.49 लाख रु. का और अतिरिक्त व्यय का भर डाला। इस व्यय के लिए भी अभी तक मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक संस्थीकृति जारी नहीं की गई थी। केवल दिसम्बर 2007 में ही शौफर को चांसरी परिसर में अंतिम रूप से आवास आबंटित किया गया था।

मामला लेखापरीक्षा द्वारा केन्द्र के साथ उठाया गया था (नवम्बर 2007)। उत्तर (नवम्बर 2007) में, केन्द्र ने बताया कि दोनों मामलों के व्यय के नियमन का मामला मंत्रालय के साथ पत्राचाराधीन था। इसके अतिरिक्त चांसरी में शौफर हेतु उपलब्ध जगह का गेस्ट रूम के रूप में महावाणिज्य दूतावास (भा.म.) के घरेलू संहायक हेतु आवास तथा भण्डार प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक अधिकारी के घरेलू नौकर हेतु पृथक आवास हेतु वहाँ कोई प्रावधान नहीं था तथा न ही मंत्रालय से जगह को गेस्ट रूम के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुमोदन था। इसके अतिरिक्त, बाहरी आवास को पट्टे पर लेने तथा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना दोबार अतिरिक्त व्यय वहन करना जारी रखा तथा जबकि पूर्व प्रतिवेदन पर कार्रवाई टिप्पणी लम्बित थी यह नियमों के सम्पूर्ण उल्लंघन को दिखाता है।

इस प्रकार, शौफर हेतु निजी आवास पट्टे पर लेना जबकि चांसरी परिसर में उनके लिए उपलब्ध जगह को अप्राधिकृत उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2003 से दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान 29.51 लाख रु. (9.02 लाख रु. + 20.49 लाख रु.) का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

3.3.5 राजस्व की हानि

भारत के महावाणिज्यदूतावास, जौहनसर्बग की प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्डों के जारी करने हेतु शुल्क में संशोधन करने में विफलता का परिणाम दक्षिणी अफ्रीका मिशनों में 29.30 लाख रु. के राजस्व की हानि में हुआ।

विदेशों में मिशन/केन्द्रों द्वारा वीजा तथा कांसुल संबंधी सेवा शुल्क की वसूली में त्रुटियों के कारण राजस्व की हानि को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों⁷ में इंगित किया गया था।

⁷ 2002 का प्रतिवेदन सं. 2 का पैराग्राफ सं. 8.2 तथा 2002 का प्रतिवेदन सं. 2 का पैराग्राफ सं. 9.7

भारत सरकार ने अगस्त 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय नागरिकता (प्र.भा.ना.) कार्ड के जारी करने हेतु 275 अमरीकी डालर अथवा समकक्ष स्थानीय मुद्रा का शुल्क निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त स्थानीय मुद्रा में अमरीकी डालर के प्रति 10 प्रतिशत या उससे अधिक का अवमूल्यन हुआ तो अक्टूबर 2005 में जारी निर्देश शुल्क के ऊर्ध्वगामी संशोधन अनुबंद्ध करते थे।

दक्षिणी अफ्रीका में मिशनों हेतु वीजा तथा प्र.भा.ना. कार्ड सहित अन्य कान्सूल संबंधी सेवाओं हेतु शुल्क भारत के महावाणिज्यदूतावास (भा.म.), जौहनसबर्ग, द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जून 2008 में भा.म., डरबन की लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि यद्यपि 20 जून 2006 को स्थानीय मुद्रा में अमरीकी डालर के प्रति 10 प्रतिशत से अधिक का अवमूल्यन हुआ तथा आगे यह 3 अक्टूबर 2006 को 10 प्रतिशत से अधिक तक घट गया, भा.म., जौहनसबर्ग ने प्र.भा.ना. कार्डों हेतु शुल्क के संशोधन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामतः डरबन, जौहनसबर्ग तथा प्रिटोरियो स्थित मिशनों ने इसे जून तथा अक्टूबर 2006 में क्रमशः 1947 रेण्ड तथा 2165 रेण्ड पर संशोधित करने के स्थान पर 1835 रेण्ड का शुल्क प्रभारित करना जारी रखा। जुलाई 2006 से मई 2008⁸ की अवधि हेतु इन तीन मिशनों में प्र.भा.ना. कार्डों के जारी करने हेतु शुल्क में संशोधन न करने के कारण 29.30 लाख⁹ रु. के समकक्ष 562642 रेण्ड के राजस्व की हानि परिकलित होती है।

इंगित किए जाने पर भा.म., जौहनसबर्ग ने जून 2008 में 1 जून 2008 को प्रचलित दरों पर प्र.भा.ना.कार्डों हेतु शुल्क को 2200 रेण्ड पर संशोधित किया।

मामला अगस्त 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

3.3.6 गैर-वसूल वैट वापसियां

पाँच मिशनों/केन्द्रों में वैट वापसियों हेतु दावों की अपर्याप्त मानीटरिंग एवं अनुसरण का परिणाम 26.94 लाख रु. के वसूली किए बिना रहे।

2004 से कम से कम भारत के महानियंत्रक लेखापरीक्षक की चार¹⁰ प्रतिवेदनों ने मिशनों द्वारा वैट वापसियों हेतु दावों की मानटरिंग एवं अनुसरण में कमियों को उजागर किया था।

मई 2007-जुलाई 2008 के दौरान चार मिशनों/केन्द्रों¹¹ की अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि वैट वापसी दावों की अनुप्रयुक्त फाईलिंग, अपर्याप्त मानीटरिंग तथा अनुसरण

⁸ प्रिटोरिया स्थित मिशन के मामले में मार्च 2008 तक।

⁹ मार्च 2008 की विनिमय दर पर परिकलित।

¹⁰ 2004 का पैरा 2.1, 2005 का 6.3, 2006 का 4.5 तथा 2007 का 7.6

¹¹ डरबन, प्रीटोरिया, कम्पाला, काठमान्डू तथा निकोसिया

में कमी 26.94 लाख रु की अवसूली का कारण बनी जैसा कि अनुबंध-X में विवरण किया गया है।

यूगांडा स्थित मिशन ने जून 2008 में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है तथा लम्बित दावों के शीघ्रता से प्रस्तुतीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। डरबन स्थित मिशन ने जनवरी 2009 में बताया कि यह प्रबल रूप से बकाया वैट राशि के अविलम्ब प्रतिपूर्ति हेतु मामले का अनुवर्तन करेगा।

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेश में मिशन वैट वापसियों के अपने दावे उपयुक्त दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्तुत करे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दावा गैर-संसाधित न रहे तथा सरकार को देय वापसी अविलम्ब से वसूल की जा सके, लंबित दावों की आवधिक संवीक्षा करनी चाहिए।

मामला सितम्बर 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

सामान्य लेखापरीक्षा सलाहकारी:

निरन्तर अनियमितताओं के मामले में जैसा कि पैराग्राफ 3.3.1 से 3.3.6 में दर्शाया गया है, मंत्रालय को या तो पुनावर्तन के न होने को सुनिश्चित करना चाहिए या इस संबंध में अपने नियमों तथा आदेशों की पुनः जांच करनी चाहिए तथा उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए ताकि उन्हें विदेशों में विशिष्ट भारतीय मिशनों में मौजूदा वास्तविकताओं के साथ सीधी रेखा में लाया जा सके।

अनुबंध -VII

(पैराग्राफ सं. 3.3.1 के संदर्भ में)

मिशनों एवं केन्द्रों द्वारा आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर किए गए अप्राधिकृत व्यय का विवरण

मिशन/केन्द्र	पद	अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	अनियमितता की प्रकृति	मंत्रालय का उत्तर
भा.म., जोहान्सबर्ग	लिपिक- 3	मई 2005 से जून 2006	3.58	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना निर्धारित सीमा से परे नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.उ., सूवा	लिपिक सह टंकक-2 स्वागतकर्ता - 1 संदेश वाहक/सफाई वाला-3	अप्रैल 2004 से मार्च 2007	7.66	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.दू., अंकारा	विपणन सहायक - 1	जनवरी 2006 से मई 2007	7.34	नवम्बर 2005 में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा पद के तुरन्त वापसी के आदेश करने के बावजूद मिशन ने एक विपणन सहायक की नियुक्ति की।	मिशन से आंशिक सूचना प्राप्त हुई। मिशन ने 07 जनवरी 2009 को अधिक सूचना भेजने का आग्रह किया
	लिपिक सह स्वागतकर्ता-2 पुस्तकालय लिपिक- 1	दिसम्बर 2007 से मार्च 2008	1.80	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सामान्य प्रकृति के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था।	
भा.म., हॉगकॉग	वीजा लिपिक- 2	नवम्बर 2005 से अप्रैल 2007	2.91	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	व्यय का नियमन कर दिया गया।
भा.दू., बैंकाक	वीजा लिपिक - 1	अप्रैल 2006 से मार्च 2007	1.62	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सामान्य प्रकृति के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.दू., वहरीन	माली- 1 संदेश वाहक - 1	मई 2007 से अप्रैल 2008	2.01	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	आंशिक सूचना प्राप्त हुई। मिशन ने अधिक सूचना भेजने का आग्रह किया

मिशन/केन्द्र	पद	अवधि	राशि (लाख रुपयों में)	अनियमितता की प्रकृति	मंत्रालय का उत्तर
भा.उ., दास-ए-इस्लाम	माली - 1 लिपिक - 1 झाईवर-1	अप्रैल 2006 से मार्च 2008	0.78	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.दू., त्रिपोली	लिपिक - 1	नवम्बर 2007 से फरवरी 2008	0.42	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.दू., खारतोम	चौकीदार- 1 लिपिक-1	नवम्बर 2005 से जनवरी 2006 जून 2006 से सितम्बर 2006	0.87	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सामान्य प्रकृति के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.उ., लुसाका	माली - 6	जून 2005 से मई 2007	3.11	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	फाईल नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
भा.उ., इस्लामाबाद	शौफर-4 माली तथा सफाई वाला - 19 चौकीदार- 1 जमादार- 1	जून 2006 से मई 2008	26.00	आकस्मिकता प्रदत्त कर्मचारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।	मार्च 2007 तक व्यय का नियामन कर दिया गया था। फाईल अप्रैल 2007 से नवम्बर 2008 की अवधि के लिए नियमन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।
योग			58.10		

अनुबंध -VIII

(पैराग्राफ सं. 3.3.2 के संदर्भ में)

मिशनों/केन्द्रों द्वारा अधिक रोकड़ शेष के प्रतिधारण के कारण व्याज की हानि को प्रदर्शित करता विवरण

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र	लेखापरीक्षा की अवधि	महीने की सं. जिसके दौरान अधिक रोकड़ धारण किया गया	इन महीनों के दौरान कुल राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशतता में व्याज दर (प्रति वर्ष)	व्याज की हानि (लाख रु. में)
1.	अंगोला	जुलाई 2005 से मार्च 2006 अप्रैल 2006 से मार्च 2007 अप्रैल 2007 से मई 2008	29	3.41	8.1	2.30
				3.45	8.1	2.33
				1.83	7.9	1.20
2.	बीजिंग	मई 2006 से अप्रैल 2007	6	4.40	8.1	2.97
3.	बेर्स्ट	मई 2006 से मई 2008	7	7.53	8.1	5.08
4.	कोलम्बो	अप्रैल 2006 से मार्च 2007	5	3.04	8.1	2.05
5.	हाँग-काँग	जुलाई 2005 से मार्च 2006 अप्रैल 2006 से मार्च 2007	19	5.33	8.1	3.60
				2.27	8.1	1.53
6.	जोहान्सबर्ग	मई 2005 से अप्रैल 2007	10	3.26	8.1	2.20
7.	मान्डले	जुलाई 2002 से मार्च 2003 अप्रैल 2003 से मार्च 2004 अप्रैल 2006 से मार्च 2007	25	0.99	9.5	0.78
				1.09	8.8	0.80
				2.32	8.1	1.57

क्र.सं.	भिशन/केन्द्र	लेखापरीक्षा की अवधि	महीने की सं. जिसके दौरान अधिक रोकड़ धारण किया गया	इन महीनों के दौरान कुल राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशतता में व्याज दर (प्रति वर्ष)	व्याज की हानि (लाख रु. में)
8.	मनीला	जुलाई 2005 से मार्च 2006 अप्रैल 2006 से मार्च 2007	12	2.06 6.14	8.1 8.1	1.39 4.14
9.	मापुटो	जुलाई 2004 से मार्च 2005 अप्रैल 2005 से अप्रैल 2007	18	4.90 2.00	8.5 8.1	3.47 1.35
10.	निकोसिआ	जून 2004 से अप्रैल 2007	8	4.27	8.1	2.88
11.	पोर्ट लुईस	जून 2004 से मार्च 2007	6	6.97	8.1	4.70
12.	प्रीटोरिया	जून 2005 से अप्रैल 2007	5	2.07	8.1	1.40
13.	सुडान	मई 2005 से मार्च 2006 अप्रैल 2006 से मई 2008	21	2.33 1.81	8.1 8.1	1.57 1.22
14.	वेलिंगटन	जुलाई 2004 से अप्रैल 2007	6	3.43	8.1	2.32
योग				74.90		50.85

अनुबंध-IX

(पैराग्राफ सं. 3.3.3 के संदर्भ में))

लेखापरीक्षा दृष्टांत पर मिशन/केन्द्र के प्रति प्रभावित वसूलियां

(क) कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, लन्दन		
मिशन का नाम	मामलों की सं.	योग (रु.)
भा.दू., हेलसिकी	02	100380
भा.म. एडिनबर्ग	01	95652
भा.दू., मेंडरीड	04	49853
भा.दू., बुचारेस्ट	01	22981
भा.दू., मास्को	04	32785
भा.दू., जिनीवा	02	145072
भा.दू., दुशाबैं	01	4262
भा.दू., सोफिया	02	72388
भा.दू., पैरिस	01	508545
भा.दू., एथेस	03	47049
भा.दू., प्राग	01	26078
भा.म., मुनीच	01	82257
भा.दू., कोपहैगन	01	5000
भा.दू., वीयना	05	134000
भा.दू., बर्लिन	04	217961
भा.म., वर्मिंगहम	01	62982
भा.दू., हॉग	01	18872
भा.म., बलदिवस्तक	03	162876
भा.दू., बरनी	01	81230
भा.दू., ब्रुसेल्स	01	32220
भा.दू., कीव	05	253347
भा.दू., बैलग्रेड	01	8670
भा.दू., रोम	03	48588
भा.दू., वारसा	02	80379
योग	51	2293427

(ख) कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वांशिंगटन		
मिशन का नाम	मामलों की सं.	योग (रु.)
भा.म., सैन फ्रांसिस्को	02	20744
भा.दू., वेनीजुएला	02	68618
भा.म., टोरोंटो	10	167370

भा.उ., शिकागो	01	8860
भा.म., होस्टन	03	46060
भा.उ., उटावा	05	86823
भा.दू., पनामा	06	75101
भा.दू., अर्जेंटीना	01	44300
भा.उ. जमाइका	05	147289
भा.उ. पोर्ट आफ स्पेन	04	47616
पी.एम.आई., न्यूयार्क	05	195887
भा.दू., वाशिंगटन	06	121646
भा.म., वेन्च्यूवर	07	65892
योग	57	1096206

(ग) कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली			
मिशन का नाम	मामलों की सं.	योग (रु.)	
भा.उ., लुआंडा	01	30392	
भा.उ., मापुटो	01	1651	
भा.उ., प्रीटोरिया	01	127578	
भा.दू., तेल, अविव	03	70068	
भा.दू., रियाद	01	5109	
भा.उ., सिंगापुर	01	25569	
भा.दू., दोहा	01	4806	
योग	09	265173	
कुल योग	117	3654806	

अनुबंध -X

(पैराग्राफ सं. 3.3.6 के संदर्भ में)

वैट वापसी दावों की अवसूली के विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र	अवधि	राशि	अध्ययितयाँ
1.	भा.म. डरबन	अप्रैल 2003 से मार्च 2004	3.30	अप्रैल तथा मई 2003 के दावे पुराने अभिलेखों की छाटाई करते समय भा.उ.आ. प्रीटोरिया में पाए किए गए थे। मार्च 2008 के दावों के साथ पुनः प्रस्तुत किए गए।
		अप्रैल 2004 से मार्च 2008	15.63	दावे फाइल किए गए थे परन्तु आगे नहीं बढ़ाए। कुछ दावे दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा दावों की अशुद्धि अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीद, इनवाइस में वैट-राशि को सम्मिलित न करने, भुगतान के प्रमाण की कमी आदि के कारण स्वीकार नहीं किए गए थे।
2.	भा.उ.भा., युगान्डा, कम्पाला	अप्रैल 2005 से जनवरी 2007	1.45	दावे अस्वीकृत कर दिए थे क्योंकि यह निर्धारित ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
		अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2007	2.54	दावे मिशन द्वारा मई 2008 तक फाइल नहीं किए गए थे।
3.	भा.दू. नेपाल काठमान्डू	मई 2007	3.64	दावों को नेपाल विदेश मंत्रालय द्वारा गलत जगह पर रख दिया गया था परन्तु नवम्बर 2007 से मिशन द्वारा मामला आगे नहीं बढ़ाया गया था
4.	भा.दू. निकोसिया	मार्च 2005	0.38	दावे बिना उपयुक्त सहायक दस्तावेजों के फाइल किए गए थे तथा आगे नहीं बढ़ाए गए थे।
कुल			26.94	

अध्याय IV : वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

4.1 लोक लेखे के अन्तर्गत निधियों का संदेहास्पद उद्देश्य हेतु उपयोगः
के.उ.सी.शु.बो.

भारत की समेकित निधि से राजस्व के एक भाग के विनियोजन द्वारा के.उ.सी.शु.बो. के लिए भारत के लोक लेखे में कल्याण निधियाँ स्थापित की गई। निधियों से व्यय का औचित्य, सम्पूर्ण रूप से विवेकाधीन प्रकृति का होते हुए, संदेहास्पद है। उद्देश्यों, जिसके लिए निधियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अधिकारी एवं कर्मचारी के कल्याण, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.) के कर्मचारियों के निष्पादन पुरस्कार के लिए तथा प्रति-तस्करी उपकरण का अधिग्रहण करने के लिए भारत सरकार के लोक लेखा में मंत्रालय द्वारा तीन पृथक निधियों का प्रचालन किया जा रहा है। 2002-08 के दौरान इन निधियों में से प्राप्ति एवं व्यय का प्रत्येक वर्ष औसत क्रमशः 17.60 करोड़ रु. एवं 12.59 करोड़ रु. था।

● मंत्रालय ने 1987 में तीन निधियाँ
 (i) सीमा शुल्क एवं कर्दीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि;
 (ii) निष्पादन पुरस्कार निधि एवं
 (iii) प्रति-तस्करी उपकरण के अधिग्रहण के लिए विशिष्ट निधि का सत्यापित किया था।
 ● जब एक गण-सामाजी के विक्रम आगम तथा शुल्क एवं जुर्माना/दण्ड के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत के साध्यम से वित्तापापित

31 मार्च 2008 तक इन निधियों के अन्तर्गत उपलब्ध शेष 162.20 करोड़ रु. था।

निधियों का नियंत्रण

निधियों का, के.उ.सी.शु.बो. के अध्यक्ष एवं सदस्यों, मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार तथा आयुक्त (प्रचालन विरोधी) से बने हुए शासी निकाय द्वारा संचालन किया जाता है। व्यय तथा व्यय की मद के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत प्रस्तावों को नियमित करने वाली नीति इस शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाती है। व्यय की अनुमोदन प्रक्रिया शासकीय वित्तीय नियमावली और लोक निधियों से व्यय को नियंत्रित करने वाले आदेशों अर्थात् सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, चिकित्सा परिचर्चा नियमावली, मूल नियमावली सी.एन.ई.¹ कार्यवाही तथा समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए मितव्ययी आदेशों से स्वतंत्र है। इस प्रकार, वित्तीय औचित्य के संबंध में आश्वासन कि लोक धन से व्यय को प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय आदेश एवं कंडे मितव्ययिता को लागू करना तथा सभी नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना उच्च नहीं था।

¹ योजनेतर व्यय की समिति

निधियों के उपयोग की लेखापरीक्षा जाँच ने निम्न को उजागर किया:

कल्याण तथा निष्पादन पुरस्कार निधि

कल्याण तथा निष्पादन पुरस्कार निधि से अनुदान, कर्मचारियों तथा मनोरंजन कक्षों के लिए समुदाय कल्याण, कैन्टीन, पुस्तकालयों, शिशु सदनों, व्यायाम/खेलकूद केन्द्रों/मनोरंजन, निजी अस्पतालों में उपचार, अवकाश गृहों, नकद पुरस्कार, विभागीय अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, प्राकृतिक आपदा में विभागीय कर्मचारियों को हुई हानि के कारण राहत, आवासीय घरों के निर्माण के लिए कर्मचारियों को पूरक ऋण, उत्कृष्ट प्रबंधित/अनुरक्षित इकाईयों/परिमण्डलों/मण्डलों को निष्पादन प्रोत्साहन, होटलों में किराया रहित आवास, उपचार पर गैर-प्रतिपूर्ति योग्य चिकित्सा खर्चों हेतु वित्तीय सहायता, के.उ.सी.शु.बो. के कर्मचारियों/अधिकारियों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों को जमा तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह वित्तीय सहायता आदि हेतु प्रदान किए गए थे।

- कई गैर-चार्टर्ड मदों या नियमावली के अन्तर्गत उपलब्ध उन मदों के अतिरिक्त लाभ
- वित्तीय औचित्य के आधार पर संदेहास्पद

उक्त इंगित अधिकांश अनुदानों के लिए, सरकार ने के.उ.सी.शु.बो. के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित सभी केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याण हेतु हितों के लिए अलग से प्रावधानों या योजनाओं को अनुमोदित किया है। वे मदें, जिनके लिए कोई अनुमोदित प्रावधान या योजना नहीं है, उन्हें वैध के रूप में या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सेवा की निबन्धन एवं शर्तों के अधीन सुविचारित नहीं किया गया है। वे मदें जो सरकार द्वारा सामान्य रूप से लागू नियमों के अन्तर्गत, एक प्रथा अथवा सरकार द्वारा मान्य नीति के अनुसरण में न होते हुए उपलब्ध कराई गई है के अतिरिक्त, विविध मदों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, सरकार के वित्तीय औचित्य के आधार पर संदेहास्पद है।

हितों का विवेकाधीन विस्तार

शासी निकायों एकीकृत वित्त ईकाई, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (के.उ.सी.शु.बो.) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में उनकी नियुक्ति के दौरान तथा पुर्नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा सी.ई.एस.टी.ए.टी.² विभाग के कर्मचारियों को समावेश करने का अनुमोदन किया। व्यय के क्षेत्र तथा प्रकार में ऐसे विस्तार का अधिकांश मामलों में कार्मिक एवं व्यय विभाग और/या कैबिनेट का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

उदाहरणीय दृष्टांत

कल्याण एवं निष्पादन उपहार निधियों से व्यय के कुछ प्रकरणों का विश्लेषण इंगित किया कि प्रत्येक प्रकरण में व्यय का औचित्य संदेहास्पद था। अधिकतर मामलों में, व्यय की मदें सामान्य रूप से लागू केन्द्रीय (सिविल सेवा) नियमावली के अन्तर्गत अन्य रूप से आवृत्त हैं।

² सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय द्रीव्यूनल

⇒ चिकित्सा उपचार के कारण वित्तीय सहायता जोकि केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियमावली के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग्य नहीं - 2.26 करोड़ रु.

कर्मचारियों के उस वर्ग के हिस्से को, जो चिकित्सा परिचर्चा नियमावली द्वारा आवृत नहीं था, को सामान्य रूप से लागू चिकित्सा सहायता नियमावली के क्षेत्र से बाहर, को अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

के.उ.सी.शु.बो. के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के चिकित्सा उपचार हेतु निजी अस्पतालों को दिए गए जमा।

⇒ स्वाभाविक मृत्यु, कर्तव्य निर्वाह के दौरान मृत्यु तथा वे विभागीय अधिकारी/कर्मचारी जिनकी मुख्य सिरियल बम विस्फोट के कारण मृत्यु हुई या घायल हुए थे, के कारण शोक संतप्त कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह वित्तीय सहायता-1.22 करोड़ रु.

सामान्य रूप से लागू नियमों के कार्य क्षेत्र से परे एक विशेष संगठन से संबंधित कर्मचारियों के एक वर्ग को अनुग्रह वित्तीय सहायता;

कार्य के दौरान मृत्यु के रूप में निर्वाह के दौरान श्रेणीबद्ध मृत्यु को इस योग्यता के आधार पर कि कार्य के दौरान मृत्यु हुई स्थापित नहीं किया गया था। सङ्क दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण को भी कार्य के दौरान मृत्यु पर आरोप्य माना गया था; तथा

परिवार के सदस्य या कर्मचारी या अधिकारी, जिनकी किसी आपदा में मृत्यु हुई हो या दुर्घटनाग्रस्त हुए हो, जोकि सामान्य जनता को पूर्णरूप से प्रभावित करता है ना कि सिर्फ एक विभाग के कर्मचारियों को, से क्षतिपूर्ति करने के लिए के.उ.सी.शु.बो. की कोई बाध्यता नहीं थी।

⇒ कार्यालय हेतु भूमि/पूर्वनिर्मित कार्यालय भवन, विभाग के लिए फ्लैट/विभागीय आवासीय परिसर/कॉलोनी को बनाने, निजी कम्प्यूटर के किराए के लिए तथा कर अनुपालन हेतु प्रचार के लिए आयुक्तालयों/निदेशालयों को ऋण का संवितरण- 23.20 करोड़ रु.

कार्यालयों के लिए भूमि, निर्मित कार्यालय भवन, व्यक्तिगत कम्प्यूटर इत्यादि की खरीद के लिए विशिष्ट प्रावधान संघ बजट में विभाग के अनुदान में विद्यमान होता है और अलग से नियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

विभागीय आवासीय परिसर/कॉलोनियां बनाने का उत्तरदायित्व सम्पदा निदेशालय के पास है।

⇒ मनोरंजन क्लब/जिम/स्पोर्ट्स सेन्टर, स्पॉर्ट्स बोर्ड तथा खिलाड़ियों को सहायता इत्यादि -1.14 करोड़ रु.

संघ बजट में विशिष्ट प्रावधान विद्यमान है; सामान्य प्रयोजनीयता के अलग नियमों तथा आदेशों से नियंत्रित किया गया था;

सरकारी नियमों से बाहर इन निधियों में से विभाग के खिलाड़ियों को अनुमोदित की गई वित्तीय सहायता; और

केन्द्रीय राजस्व स्पोर्ट्स बोर्ड हेतु उपलब्ध बजटीय विनियोग।

⇒ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयोग करने के लिए गैस्ट हाऊस और अवकाश गृहों को स्थापित करने/सजाना और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को किराया मुक्त आवास प्रदान करने के लिए होटलों को भुगतान, विभाग की आवासीय कॉलोनी के लिए जेनरेटर की खरीद गृ.कि.भ. के अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये शयनागार आवास के लिए कर्मचारियों से प्रति अतिदेय चुकाने के लिए वित्तीय सहायता-2.04 करोड़ रु.

अवकाश एवं अवकाश यात्रा रियायत के दौरान विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के उपयोग करने के लिए अवकाश गृहों के निर्माण, किराए पर देना तथा पट्टे पर देना इसके

अतिरिक्त जबकि वे केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए के.लो.नि.वि. द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं;

अनुदान की मांगों के प्रावधान किए गए अनुमोदित बजट शीर्षों में से विशिष्ट केन्द्र सरकार विभाग द्वारा गैस्ट हाउसों को सुसज्जित करना;

के.उ.सी.शु.बो. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किराया मुक्त होटल आवास उपलब्ध कराने के लिए निधियों के उपयोग का औचित्य संदेहास्पद है; तथा

विभाग की आवासीय कॉलोनी के लिए जेनरेटर की खरीद कॉलोनी का अनुरक्षण कर रहे के.लो.नि.वि. के अनुरक्षण बजट से बाहर होना चाहिए।

क्रमांक/सुनामी/भूकम्प/बाढ़ के विभागीय पीड़ितों को राहत- 82 लाख रु

मुम्बई में 191 बाढ़ नुकसान पीड़ित कर्मचारियों को कुल मिलाकर 35.02 लाख रु तथा सूरत में 155 कर्मचारियों को 21.62 लाख रु. की राहत अनुदान संदेहास्पद है क्योंकि अनुदान जारी करना एक सामान्य मुद्दा है न कि एक विभागीय।

कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति/नकद पुरस्कार-1.16 करोड़ रु.

विभागीय कर्मचारियों के बच्चों को बोर्ड की परीक्षा में उनके कार्य के लिए नकद पुरस्कार, तथा

व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे विभागीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कर्मचारियों के एक वर्ग को लाभ; अन्य केन्द्र सरकार कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं।

सीटों के आरक्षण के लिए विद्यालय को अनुदान- 3 करोड़ रु.

प्रवेश में अध्यक्ष के.उ.सी.शु.बो. के नामज्ञद हेतु सीट के आरक्षण के लिए तथा सीमा शुल्क सेवा के अधिकारियों के बच्चों को भी प्राथमिकता देने के लिए एक विद्यालय को 3.00 करोड़ रु का अनुदान दिया गया।

अध्यक्ष के विषेष पर एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों के हितों के लिए लोक धन का उपयोग संदेहास्पद औचित्य है।

सीमा शुल्क विशिष्ट उपकरण निधि

यह निधि विशिष्ट प्रकार के प्रति-तस्करी उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए सृजित की गयी थी। इस निधि के उपयोग के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 23.19 करोड़ रु³, के कुल व्यय में से, 7.88 करोड़ रु. वाहनों की खरीद हेतु उपयोग में लाए गए थे जबकि प्रति-तस्करी उपकरण के खरीद पर 8.22 करोड़ रु. प्रयुक्त किया गया था। विशिष्ट उपकरण निधि में से महानिदेशक (प्रणाली) को 12 नए स्थानों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन्टरफेस (ई.डी.आई.) कार्यक्रम के विस्तार हेतु अपेक्षित कम्प्यूटर सर्वर के क्रय के लिए 3.60 करोड़ रु. का एक अस्थायी ऋण जारी किया गया था।

सामान्य बजट प्रावधान के माध्यम से उपलब्ध धन के अतिरिक्त वाहनों की खरीद तथा ऋण प्रदान करने ने वित्तीय नियंत्रण को प्रस्तुत किया तथा प्रक्रिया को व्यर्थ स्थापित किया। वाहनों की खरीद ने वाहनों के बेड़े में सरकार के रोक आदेशों का पूर्णरूप से उल्लंघन करने के स्पष्टीकरण का संदर्भ दिए बिना वृद्धि की।

³ 2002-07 की अवधि के दौरान

बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता

निधियाँ भारत की समेकित निधि से लोक लेखा को एकमुश्त राशि के आन्तरण द्वारा वार्षिक विनियोग के माध्यम से वित्तपोषित की जाती है। सामान्य वित्तीय नियमावली

2005⁴ के अनुसार अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों को पूर्ण लेखावर्गीकरण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। वित्तीय रिपोर्टिंग में मंत्रालय ने लेखे⁵ के मानकीकृत उद्देश्य शीर्षों को नियत किया है जिसके अन्तर्गत सभी अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अनुदानों हेतु मांगे, अनुदान हेतु विस्तृत मांगों में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। तथापि, तात्कालिक प्रकरण में लोक लेखा को अन्तरण के लिए अनुदान हेतु मांग एक-मुश्त प्रावधान "सीमा शुल्क कल्याण निधि में अंतरण"⁶ के माध्यम से है। निधियों के उपयोग के कुछ उदाहरण जो मद शीर्षों के एक या अन्य प्रकार के अन्तर्गत आएंगे वे 'पुरस्कार', 'चिकित्सा उपचार', 'कार्यालय व्यय', 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'लघु कार्य', 'सहायता अनुदान', 'छात्रवृत्ति/वजीफा', 'मोटर वाहन' आदि हैं। मर्दें, जिन्हें बजटीय प्रक्रिया तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को मिलाने वाले अनुदान हेतु विस्तृत मांगों में शामिल किया जा सकता है, पर ऐसी अन्तरित निधियों का लोक लेखा में एक मुश्त अन्तरण तथा उपयोग।

विभाग की प्रतिक्रिया

मंत्रालय की ओर से विभाग ने जनवरी 2008 में बताया कि निधियाँ सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद अधिनयम, सोना नियंत्रण अधिनियम तथा फेरा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पता लगाए गए अभिग्रहण कर के अतिक्रमण या अपवंचन आदि के मामलों में सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु भारत सरकार की उदारीकरण नीति के रूप में संस्थापित किया गया था। इसने आगे बताया कि सरकार द्वारा गठित शासी निकाय में निधियों को नियंत्रित करने हेतु नियम बनाने की पूर्ण शक्ति निहित थी। इसने यह भी बताया कि निधियों को सरकार की मान्य नीति के रूप में सृजित किया गया था और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण हेतु शासी निकाय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इसका विस्तार किया गया था। उत्तर में यह भी कह गया कि निधियों में धन अन्तरण सम्पूर्ण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था जो तस्करीरोधी एवं प्रति-अपवंचनरोधी कार्य का निष्पादन करते समय अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और ऐसी योजनाएं उनके मनोबल को बनाए रखने में मद्द करती हैं।

तथ्य यह रहा कि सरकारी कर्मचारियों के वर्ग के लाभ हेतु लोक निधियों का उपयोग किया जा रहा है। विशेषतौर पर उन सभी संदेहास्पद औचित्य के व्ययों को विशेष रूप से सृजित एक निधि से पूरा किया गया, को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए उपयुक्त बजटीय विनियोगों के माध्यम से पूरा किया जा सकता था।

⁴ अनुबंध-3 के साथ पठित नियम 48 एवं 49

⁵ वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 नीचे भा.स.आ.(1)

अनुशंसा

तथ्य के प्रकाश में कि कुछ उद्देश्यों जिनके लिए निधियों का उपयोग किया गया है उन्हें वित्तीय औचित्य के आधार पर संदेहास्पद के रूप में देखा जा सकता है, हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को मामले का पुनरीक्षण, अपने वास्तविक प्रचालन के साथ निधियों की स्थापना की तर्कपूर्णता के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए तथा आगे की कार्रवाई हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

4.2 राजस्व की वसूली न किया जाना

सरकारी राजस्व के विलंबित प्रेषण के कारण बैंकों से दण्डस्वरूप ब्याज के रूप में **2.51 करोड़ रु.** वसूल किया जाना था। क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, हैदराबाद ने **1.78 करोड़ रु.** की शेष राशि को छोड़ते हुए केवल **0.73 करोड़ रु.** की वसूली की।

ऑन लाइन कर लेखाकरण प्रणाली (ओ.एल.टी.ए.एस.) संबंधी लेखाकरण पद्धति में यह विचार किया गया कि बैंकों के निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा वसूल किए गए कर संग्रहण को प्रतिदिन अविलम्ब सरकारी खाते में जमा किए जाने हैं। बैंक की नोडल शाखाएं सभी निर्दिष्ट शाखाओं द्वारा उनकी प्राप्तियों को शामिल करते हुए संग्रहण/वापसियों के तुरन्त और सही अन्तरण एवं लेखांकन के लिए उसे प्रतिदिन सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। कर संग्रहण को केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सी.ए.एस.), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के सरकारी खाते में जमा करने के लिए अनुमत अधिकतम दिवस, जहाँ संग्रहण शाखा एवं फोकल पाइंट शाखा उसी शहर/समूह में है, स्थानीय लेनदेन के लिए, उपकरण अथवा रोकड़ की प्राप्ति के $T_1 + 3$ कार्य दिवस के भीतर है; तथा बाह्य शाखा लेनदेन के लिए जहाँ संग्रहण शाखा तथा फोकल पाइंट शाखा अलग-अलग शहर/समूह में होते हैं उसके लिए $T_1 + 5$ कार्य दिवस अनुमत हैं। निर्धारित अवधि के बाद विलम्ब के मामले में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बॉ.) के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय लेखा अधिकारी (जेड.ए.ओ.) चूककर्ता बैंकों से आठ प्रतिशत की दर से दण्डस्वरूप ब्याज निर्धारित और वसूल करेगा तथा ऐसे संस्थापना तथा स्वीकृति के दो सप्ताह के भीतर दाण्डिक ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उन पर दबाव डालेंगे।

लेखापरीक्षा में यह पाया कि जुलाई 2004 से मार्च 2008 की अवधि में क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, हैदराबाद द्वारा विविध बैंकों पर दण्डस्वरूप ब्याज के रूप में लगाई गई 2.51 करोड़ रु. की राशि के प्रति 1.78 करोड़ रु. के बकाया को छोड़ते हुए केवल 0.73 करोड़ रु. की राशि वसूली गई थी।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2008) कि मामला बैंकों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय का उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

चूंकि सरकारी खाते में राजस्व की क्रेडिट करने में विलम्ब का जोखिम है इसलिए वि.म., राजस्व विभाग को चूककर्ता बैंकों से प्रभावी वसलियां करने हेतु के.प्र.क.बॉ. के सभी जेड.ए.ओ. में समीक्षा करने तथा अनुदेशों की गैर-अनुपालना के प्रति निगरानी हेतु

⁶ टी-वह दिन जब बैंक शाखा में धन उपलब्ध है।

उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रियाएं स्थापित करने की सलाह दी जाती है। कार्रवाई के परिणाम एवं उसके परिणाम के रूप में की गई वसूलियों को यथासमय मंत्रालय एवं लेखापरीक्षा को सूचित करें।

अध्याय V : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

5.1 असीमित क्रेडिट अवधि पर औषधियों की आपूर्ति

सरकारी औषधि भण्डार डिपो, मुम्बई द्वारा विभिन्न ग्राहक विभागों को क्रेडिट आधार पर औषधि की अप्रतिबंधित आपूर्ति का परिणाम 1990 से 2008 तक 18 वर्षों की अवधि से 19.73 करोड़ रु. के अवसूल देयों के संचय में हुआ।

सरकारी औषधि भण्डार डिपो, मुम्बई (स.ओ.भ.डि.) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार विभागों तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों/औषधालयों द्वारा अपेक्षित औषधियों एवं चिकित्सा सामानों के प्राप्तण एवं आपूर्ति के काम में लगा है।

स.ओ.भ.डि. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (मई 2006/जून 2008) कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी अस्पतालों एवं औषधालयों को आपूर्तियां क्रेडिट आधार पर तथा गैर-सरकारी विभागों को आपूर्तियां नकद आधार पर की जा रही थी। ग्राहक विभागों को क्रय के वित्तीय वर्ष में भुगतान करना था। अगस्त 2008 तक, 19.73 करोड़ रु. उन विभिन्न संगठनों से वसूल किया जाना शेष था जिन्होंने 1990 से 2008 की अवधि के दौरान क्रेडिट आधार पर आपूर्तियाँ प्राप्त की थी। बकाया राशि में से 53 प्रतिशत से अधिक अकेले महाराष्ट्र सरकार द्वारा देय थी।

बकाया देयों की राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य/माँगकर्ता	माँग कर्ताओं की कुल संख्या	चूककर्ता माँगकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि (रु.)	पाँच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि
महाराष्ट्र	263	131	106192598	103286620
के.स.स्वा.से.	5	0	62783551	0
केन्द्र सरकार	155	0	14129825	12719334
बिहार	12	12	6384785	5440890
गुजरात	10	10	3866429	0
मध्यप्रदेश	17	17	3427554	0
कर्नाटक	1	1	515757	515757
योग	463	171	197300499	121962601

स.ओ.भ.डि. ने बताया (अप्रैल/जून2008) कि क्रेडिट आधार पर की गई आपूर्तियों हेतु माँगकर्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा था तथा अधिकतर माँगकर्ताओं ने अपने देयों को चुका दिया था। इसने आगे बताया कि महाराष्ट्र सरकार नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा था तथा कि उनके देयों को चुकाने तक उन्हें औषधियों की आपूर्ति रोक दी गई थी।

तथापि, तथ्य यह रहता है कि एक तिहाई से अधिक माँगकर्ता चूककर्ता थे तथा शेष के लगभग दो तिहाई पिछले पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देय शीघ्रता से चुकाए गए हैं अधिक प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

जिससे सरकारी अस्पतालों को लाभकारी दरों पर औषधियों की आपूर्ति को नुकसान न हो।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2008 तक प्रतीक्षित था।

स्वास्थ्य विभाग

5.2 भा.सं.नि.लि. एवं डाक विभाग से के.स.स्वा.यो. प्रभारों को वसूली करने में विफलता

भारत संचार निगम लिमिटेड एवं डाक विभाग से के.स.स्वा.यो. इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सेवा के कारण 11.90 करोड़ रु. की वसूली करने में विफलता

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। विभिन्न विभागों के लाभभोगियों को प्रदान की गई सेवाओं हेतु अशंदान अदा करना अपेक्षित है। अदा करने वाले विभागों से वसूल की जाने वाली अंशदान की दरें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती थी।

के.स.स्वा.यो. इलाहाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (नवम्बर 2007) कि 9.73¹ करोड़ रु. की राशि भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) एवं डाक विभाग से उनके कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने 1978-79 से 2004-05 की अवधि हेतु के.स.स्वा.यो. इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को चुना था, अभी भी वसूल की जानी थी। 2005-06 से लागू भा.सं.नि.लि., स्वायत्त स्थिति सहित, ने के.स.स्वा.यो. से बाहर होना चुना। 2005-08 के दौरान, डाक विभाग के लाभभोगियों द्वारा वसूली योग्य अंशदान की दरों को मंत्रालय द्वारा अभी भी निर्धारित नहीं किया गया है (जनवरी 2008)। 2004-05 में लागू दरों के आधार पर, 2005-08 हेतु डाक विभाग से वसूल की जाने वाली अनुमानित राशि का कुल योग 2.17 करोड़ रु. है।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

5.3 लाइसेंस शुल्क की कम/गैर-वसूली

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा इसके परिसर में क्रियाशील सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, डाक घर तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं से फरवरी 1978 से जून 2008 की अवधि में लाइसेंस शुल्क तथा जल/विद्युत प्रभारों की कम/गैर-वसूली का वित्तीय निहितार्थ 3.64 करोड़ रु. था।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (अस्पताल) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को बिना कोई अनुबंध किए तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से बहुत कम दर पर कार्यालय स्थान उपलब्ध करवाया था।

¹ भारत संचार निगम लिमिटेड (5.31 करोड़ रु.) एवं डाक विभाग (4.42 करोड़ रु.)

इसके अतिरिक्त, यह डाकघर तथा 12 अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं² (दो मामलों के अलावा वो भी आंशिक रूप से), जो कई वर्षों से इसके परिसर में अप्राधिकृत रूप से अपना व्यवसाय ढाला रहे थे, से लाइसेंस की वसूली करने में भी विफल रहा था। इसके अतिरिक्त बैंक तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं से कभी भी विद्युत तथा जल प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी। फरवरी 1978 से 30 जून 2007 तक इन स्थानों से अस्पताल द्वारा वसूली योग्य 3.19 करोड़ रु. के कुल किराये के प्रति, इसने निर्धारित दर पर केवल 6 लाख रु. की वसूली की जिसका परिणाम 3.13 करोड़ रु. की कम वसूली में हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अस्पताल ने अगस्त 2007/मई 2008 में लाइसेंस शुल्क (2.95 करोड़ रु.) तथा विद्युत एवं जल प्रभारों³ (0.27 करोड़ रु.) की वसूली हेतु नोटिस जारी किए तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगी से बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापनाओं को खाली कराने मई 2008 में कार्रवाई आरम्भ की थी। अस्पताल अक्टूबर 2007 तथा जुलाई 2008 में केवल 1.85 लाख रु. (डाकघर : 1.35 लाख रु. तथा बैंक: 0.50 लाख रु.) की वसूली कर सका है। जून 2008 तक कुल कम वसूली 3.64 करोड़ रु. थी (लाइसेंस शुल्क: 3.36 करोड़ रु. तथा विद्युत एवं जल प्रभार : 0.28 करोड़ रु.)।

अस्पताल प्रशासन को स्थापनाओं द्वारा आवासों का अधिग्रहण जारी रखने की समीक्षा करनी चाहिए तथा जिन्हें जारी रखना है उन्हें प्राधिकृत अधिकारी की संस्थीकृति, औपचारिक समझौता करके या आबंटन हेतु शर्तों एवं अनुबंधों को समाहित करके स्थीकृति आदेश जारी कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा शेष को समय बाधित तरीके से खाली कराया जाना चाहिए।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2008 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

5.4 दावों की निरुल्लासी संवीक्षा के कारण अधिक भुगतान

त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं मंत्रालय द्वारा दावों की संवीक्षा में, तमिलनाडु में एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन को 1.13 करोड़ रु. के अधिक भुगतान का कारण बनी।

स्वै.स्वा.से.⁴, चैन्स, गैर-सरकारी संगठन, तमिलनाडु, राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु रा.ए.नि.स.⁵ से अनुदान प्राप्त करता है।

² कैन्टीन/कैफेटेरिया: 5, एस.टी.डी. बूथ: 2 इन्टरनेट कैफे: 1, दर्जा: 1 टंकण केन्द्र: 1, किताब की दुकान: 1 तथा सामान्य दुकान: 1

³ अस्पताल द्वारा विद्युत प्रभारों का आंकलन के.लो.नि.वि. द्वारा की गई गणना के आधार पर तथा जल प्रभारों का आंकलन 60 रु. प्रति माह की दर पर किया गया।

⁴ स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं

रा.ए.नि.का. परियोजना के अंतर्गत अप्रैल 2007 में स्वै.स्वा.से. चैन्नई को रा.ए.नि.सं. द्वारा 2004-05 तथा 2005-06 की अवधि से संबंधित भुगतान किए गए 77.33 लाख रु. के करों तथा शुल्कों के प्रति प्रतिपूर्ति दावों की जांच ने उजागर किया कि रा.ए.नि.सं. ने इस राशि का जून 2004 से जुलाई 2006 के दौरान स्वै.स्वा.से. को कुल परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति करते समय पहले ही भुगतान कर दिया था। परिणामतः 77.33 लाख रु. के दावों का रा.ए.नि. सं. द्वारा दो बार भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त, 2004-05 से 2006-07 के दौरान स्वै.स्वा.से. को रा.ए.नि.सं. द्वारा परियोजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति किए गए व्यय में 35.86 लाख रु. भी शामिल थे जो स्वै.स्वा.से. द्वारा उप-गार्स्टी से वसूली योग्य था तथा प्रतिपूर्ति हेतु ग्राह्य नहीं था।

स्वै.स्वा.से. को 1.13 करोड़ रु. का अधिक भुगतान मंत्रालय द्वारा दावों की संवीक्षा में त्रुटीपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को झंगित करता है। यह भुगतान प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

मंत्रालय ने अक्तूबर 2008 में लेखापरीक्षा आयुक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि स्वै.स्वा.से. से 2008-09 के उनके दावों से उन्हें किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सुचेता कृपलानी अस्पताल

5.5 जल प्रभारों के कारण कर्मचारियों को अनियमित लाभ

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सुचेता कृपलानी अस्पताल के प्रबन्धन ने स्टाफ क्वार्टरों के जल प्रभारों में आप्राधिकृत रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की। 2002-03 से 2007-2008 के दौरान कुल अनियमित आर्थिक सहायता 61.52 लाख रु. थी।

बेयड रोड, गोल मार्किट, नई दिल्ली पर 239 टाईप-I स्टाफ क्वार्टरों के प्रति अलग से चार सामूहिक जल संयोजनों का प्रबन्ध है। अस्पताल प्राधिकारियों ने 2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान चार सामूहिक मीटर संयोजनों से वास्तविक जल खपत प्रभारों के प्रति 49.53 लाख रु. का भुगतान किया। अधिभोक्ताओं से यथानुपात आधार पर इस राशि को प्रभारित करने की बजाय, अस्पताल प्राधिकारियों ने जल प्रभारों के प्रति 4.01 लाख रु. की वसूली की जो कि अस्पताल द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक प्रभारों से काफी कम थी। इसका परिणाम 45.52 लाख रु. की कम वसूली में हुआ था। इसके अतिरिक्त, इन 239 टाईप-I क्वार्टरों की सामूहिक मीटरों द्वारा जल आपूर्ति की जाती थी जो एक साथ अस्पताल को, अन्य 84 क्वार्टरों जिसमें टाईप-I तथा टाईप-IV तथा बंगलों शामिल थे का एक साथ प्रबंध करते थे। 239 टाईप-I क्वार्टरों के अधिभोक्ताओं से प्रभार्णीय यथानुपात राशि के आधार पर 2002-03 से 2007-08 के दौरान 84 क्वार्टरों के संबंध में 16 लाख रु. की कम वसूली आंकी गई थी। इस प्रकार, 2002-03 से 2007-08 के दौरान जल प्रभारों के कारण अग्राह्य लाभ उठा रहे सभी अधिभोक्ताओं से कुल वसूली योग्य राशि 61.52 लाख रु. परिकलित की गई थी।

⁵ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग

इस प्रकार, अस्पताल प्राधिकारियों ने स्टाफ क्वार्टरों के धारकों को न.दि.न.पा.⁶ को प्रदत्त जल प्रभारों से बहुत कम की वसूली कर द्वारा अस्वीकार्य लाभ प्रदान किया था। इंगित करने पर, अस्पताल ने मार्च 2007 में न.दि.न.पा. के साथ मामले को पृथक मीटरों की स्थापना हेतु उठाया था। तथापि, आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दौरान कम वसूली की जारी है।

अस्पताल को तुरन्त प्रभाव से व्यक्तिगत स्टाफ क्वार्टरों हेतु पृथक मीटरों की स्थापना तथा कम वसूली गई राशि के बकायों को सम्मिलित करते हुए न.दि.न.पा. को प्रदत्त प्रभारों के संबंध में यथानुपात आधार पर जल प्रभारों की वसूली करनी चाहिए।

मामला अगस्त 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

⁶ नई दिल्ली नगर पालिका

अध्याय VI : गृह मंत्रालय

6.1 कार्यालय भवन के निर्माण में विलम्ब के कारण किराए पर परिहार्य व्यय

प्राथमिक अनुमानों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा परिणामतः भवन के पूर्ण होने में विलम्ब का परिणाम 3.98 करोड़ रु. के किराए के परिहार्य भुगतान में हुआ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने कार्यालय निदेशक जनगणना प्रचालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (नि.ज.प्र.) हेतु कार्यालय भवन के निर्माण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल.वि.प्रा.) से लखनऊ में लगभग 6113.32 वर्ग मीटर की भूमि के क्रय हेतु 39.81 लाख रु. की प्रशासनिक संस्वीकृति तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान (दिसम्बर 1982) किया। भूमि¹ नि.ज.प्र. के नाम पंजीकृत थी (जून 1990)।

नि.ज.प्र. के अभिलेखों की संविक्षा (मई 2007) तथा इसके अतिरिक्त संचयित सूचना (मई 2008) ने उजागर किया कि नि.ज.प्र. ने भूमि आबंटन के सात वर्षों के उपरान्त भारत में महारजिस्ट्रार (भा.म.) को जुलाई 1997 में 9.11 करोड़ रु. के प्राथमिक अनुमानों को भेजा। उसके उपरान्त मामला पत्राचार के अधीन रहा। नि.ज.प्र. द्वारा सूचित संशोधनों के आधार पर के.लो.नि.वि. ने जून 1999 तथा अक्टूबर 1999 में दो बार अपने अनुमानों में बदलाव किया। के.लो.नि.वि. ने जून 2004 में 6.11 करोड़ रु. के नए अनुमान प्रस्तुत किए, चूंकि जगह की आवश्यकता को 5435.663 वर्ग मीटर (58509 वर्ग फी.) से 3146.533 वर्ग मीटर (33869 वर्ग फी.) तक कम कर दिया गया था। इन अनुमानों को भा.म. को जुलाई 2004 में अनुमोदन हेतु भेजा गया था। के.लो.नि.वि. ने अपने नए अनुमानों में बताया कि निर्माण कार्य को 21 महीनों में पूरा किया जाएगा। भवन के बकाया निर्माण के कारण कार्यालय किराए पर लिए गए भवन से प्रचालित था तथा 1997-98 से 2007-08 के दौरान किराए के रूप में 3.98 करोड़ रु. का भुगतान किया गया जो समय से कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के पूरा करने से बचाया जा सकता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2008) में बताया कि विलम्ब अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने तथा जुलाई 2004 में प्रस्तुत 6.11 करोड़ रु. के अनुमान सितम्बर 2008 में स्वीकृत होने के कारण था। तथ्य यह था कि इसने भूमि पर निर्माण हेतु भूमि के पंजीकरण से स्वीकृति प्रदान करने में 18 वर्षों से ज्यादा का समय लिया।

6.2 लेखायरीक्षा दृष्टिंत पर वसूली

असम सरकार को सुरक्षा पर व्यय की उपयुक्त राशि से अधिक की प्रतिपूर्ति इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने असम सरकार से 72 लाख रु. की वसूली की।

सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के अन्तर्गत ग्र.म.² ने नौ राज्यों को नक्सली हिंसा से बुरी तरह प्रभावित 76 जिलों में उनके द्वारा आयुद्ध, प्रशिक्षण तथा पुलिस पदों के उच्चीकरण

¹ सैक्टर पर "जी" अलीगंज, लखनऊ

² गृह मंत्रालय

आदि पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान जारी करता है। होम गार्डों की तैनाती पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति 45 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से की जाती है।

2005-06 हेतु असम में होमगार्डों का संस्थीकृत संख्याबल 4899 था। तथापि, असम सरकार ने 5355 होम गार्डों की तैनाती हेतु एक प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जिसका गृ.म. द्वारा पूरा भुगतान किया था। इसका परिणाम 75.34 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, गृ.म. ने नवम्बर 2007 में असम सरकार से 72 लाख रु. की वसूली की। गृ.म. से 3.34 लाख रु. के बकाया की वसूली हेतु अभिपुष्टि प्रतीक्षित थी।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2008 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

सीमा सुरक्षा बल

6.3 सी.सु.ब. द्वारा अधिकारी मैस में कार्मिकों का अप्राधिकृत संयोजन

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह के निर्देशों पर जारी मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में बड़ी संख्या में कार्मिकों को बड़ी संख्या में उनकी फील्ड ईकाईयों से अपर्वतक करके अश्वनी अधिकारी मैस, निजामुदीन तथा बल मुख्यालय अधिकारी मैस, टिगरी नई दिल्ली में संयोजित किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर म.स.³ के निर्णय के ऊर परिणामी गृ.म. के निर्देशों के उल्लंघन में सी.सु.ब.⁴ के महानिदेशक द्वारा फील्ड संघटनों/इकाईयों से हटाए गए कार्मिकों का बड़ी संख्या में अप्राधिकृत संयोजन तथा कई वर्षों के लिए मुख्यालय तथा दिल्ली कार्यालय में इनके परिनियोजन को भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (सिविल) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन⁵ में प्रतिवेदित किया गया था। सी.सु.ब. की ईकाईयों की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि पहले इंगित किए जाने के बावजूद भी, इसने भारत-सरकार के आदेशों की पूर्ण अवहेलना में स्थायी आधार पर अपनी दो अधिकारी मैसों में कार्मिकों का बड़ी संख्या में संयोजन जारी रखा।

सी.सु.ब. नई दिल्ली में दो अधिकारियों मैसों यथा अप्राधिकृत अश्वनी अधिकारी मैस, निजामुदीन तथा ब.मु.⁶ अधिकारी मैस, टिगरी को चला रही है। अधिकारी मैस पर व्यय को सी.सु.ब. अधिकारी मैस निधि से पूर्ण किया जाता है, जो आंशिक रूप से सरकार/ब.मु. द्वारा प्रारम्भिक अनुदान तथा मैस के सदस्यों के अंशदान से अनुरक्षित है। अनुदानों तथा सदस्यों द्वारा अंशदानों को अप्राधिकृत रूप से निजी निधि (सी.सु.ब.

³ मंत्रियों के समूह

⁴ सीमा सुरक्षा बल

⁵ 2008 की प्रतिवेदन सं. सी.ए. 1

⁶ बल मुख्यालय

अधिकारी मैस निधि) में जमा किया जा रहा है तथा भारत की संचित निधि के बाहर रखा गया है।

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि सी.सु.ब. ने इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हैड-कॉर्स्टैबल एवं वर्ग IV के पदों के कार्मिकों, को उनके सामान्य कार्य क्षेत्र में हटा कर 2004 -05 से जुलाई 2008 के दौरान 23 से 27 कार्मिकों को अशवनी मैस, निजामुदीन तथा 18 से 29 कार्मिकों को ब.मु. अधिकारी मैस, टिगरी में संयोजित किया (अनुबंध-XI) जिनका परिणाम अप्रैल 2004 से जुलाई 2008 तक उनके वेतन एवं भत्तों पर 1.64 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

महानिदेशक, सी.सु.ब. द्वारा कार्मिकों के निरन्तर अप्राधिकृत संयोजक फील्ड संघटनों के कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के अतिरिक्त विभिन्न वर्गों में संस्थीकृत पदों के प्रति श्रमशक्ति की नियुक्ति की प्रणाली को दुर्बल बनाया है।

अप्रैल 2008 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सी.सु.ब. ने सितम्बर 2008 में बताया कि इन मैसों के साथ संलग्न कार्मिकों को जुलाई 2008 से अलग किया जा चुका था।

मामला अगस्त 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

6.4 जमीन पर पड़े हेलीकाप्टर के संचालन एवं अनुरक्षण पर 55.65 लाख रु. का परिहार्य व्यय

दुर्घटना के कारण हेलीकाप्टर के निष्क्रिय होने के पश्चात भी समझौते की शर्तों को अनदेखा कर लगातार भुगतान करने में सीमा सुरक्षा बल की लापरवाही का परिणाम 55.65 लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

सी.सु.ब. ने जुलाई 2006 में सी.सु.ब. द्वारा स्वामित्व वाले एक चीता एवं एक चेतक हेलीकाप्टर के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मैसर्स सु.ऐ.प्रा.लि.⁷ के साथ एक समझौता किया था। समझौता, चीता हेतु 5.5 लाख रु. एवं चेतक हेलीकाप्टर हेतु 4.25 लाख रु. के मासिक भुगतान पर जुलाई 2006 से दो वर्षों की अवधि के लिए था।

चीता हेलीकाप्टर की सितम्बर 2006 को एक उड़ान दुर्घटना हो गई तथा मरम्मत के अभाव में जमीन पर पड़ा रहा। सी.सु.ब. ने सितम्बर 2006 में सु.ऐ.प्रा.लि. के इंजीनियर द्वारा हेलीकाप्टर का निरीक्षण करवाया परन्तु मैसर्स हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लि. बैंगलोर को क्षतिग्रस्त पुरजों के प्रेषण में दो महीनों का विलम्ब किया। इस मध्य, सी.सु.ब. ने हेलीकाप्टर के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मैसर्स सु.ऐ.प्रा.लि. को अक्टूबर 2007 तक भुगतान करना जारी रखा जबकि दुर्घटना में हुई क्षतियों के कारण हेलीकाप्टर अनुपयोगी था। सी.सु.ब. ने संविदा की अपरिहार्य घटना धारा 5 के अंतर्गत ठेकेदार को भुगतान में से 25.97 लाख रु. की क्षतियों की कटौती की तथा सितम्बर 2006 से अक्टूबर 2007 की अवधि हेतु 55.65 लाख रु. प्रदत्त किए। तथापि, यह धारा 9 (के) के अंतर्गत संविदा को समाप्त करने में विफल रहा, जो अनुबंध करती है कि यदि हेलीकाप्टर नष्ट हो गया

⁷ सुमित ऐविएशन प्राइवेट लिमिटेड

था, खो गया था या कोई अपूरणीय क्षति हुई हो अथवा ऐसी क्षति हुई हो जिसकी मरम्मत हेतु 30 दिनों से अधिक की आवश्यकता है तो सरकार को बिना नोटिस के संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा।

इस प्रकार, समझौते की उपयुक्त धारा लागू करने में सी.सु.ब. की विफलता का परिणाम जमीन पर पड़े हेलीकाप्टर के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 55.65 लाख रु. के परिहार्य भुगतान में हुआ। भुगतान एवं लेखा अधिकारी, सी.सु.ब., ने भी सु.ए.प्रा.लि. को भुगतान करते समय संविदा की शर्तों का अनदेखा किया।

सी.सु.ब. ने जनवरी 2008 में बताया कि उन्होंने संविदा को इसलिए समाप्त किया कि क्योंकि विमानन बाजार में योग्य इंजीनियरों एवं पायलटों की कमी थी तथा संविदा आधार पर चीता एवं चेतक दोनों हेलीकाप्टरों के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु बाजार में कोई अभिकरण उपलब्ध नहीं था। सी.सु.ब. का दावा समझौते की शर्तों के सामंजस्य में नहीं है जोकि एक या दोनों हेलीकाप्टरों के जमीन पर गिरने के मामले में समझौता संविदा की समाप्ति हेतु स्पष्ट प्रावधान करता था तथा दोनों हेलीकाप्टर हेतु भुगतान की शर्त अलग से निर्धारित थी।

मामला अगस्त 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

6.5 संभरक से परिनिर्धारित नुकसानी की अवसूली

संविदा की मानक शर्तों का संरक्षण करने में विफलता का परिणाम भुगतानकर्ता प्राधिकरण द्वारा उपकरणों की विलम्बित आपूर्ति हेतु 43.59 लाख रु. की परिनिर्धारित नुकसान की अवसूली में हुआ।

गृह मंत्रालय (गृ.म.) के प्रापण स्कंध ने 28 जून 2006 को महानिदेशालय, सी.सु.ब. की ओर से 31 दिसम्बर 2006 को सुपुर्दगी की देय तिथि सहित मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को 57 क्षेत्र तोप ट्रैक्टर (क्षे.तो.ट्रै.) हेतु आपूर्ति आदेश दिया था। बाद में मंत्रालय ने अतिरिक्त 14 क्षे.तो.ट्रै की सुपुर्दगी की देय तिथि 30 अप्रैल 2007 के साथ उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों पर अतिरिक्त 14 क्षे.तो.ट्रै. द्वारा मात्रा बढ़ा दी। महानिदेशक आपूर्ति एवं विक्रय मानक संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 14(7)(1) के अनुसार, भण्डारों की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, लम्बित आपूर्तियों हेतु प्रतिमाह कीमत की दो प्रतिशत की दर या उनके अंश से निर्णीत हर्जानें वसूलनीय थे। प्रतिष्ठान ने 7.81 करोड़ रु. की कुल कीमत पर 57 क्षे.तो.ट्रै. की 20 मार्च 2007 तथा शेष 14 क्षे.तो.ट्रै. की 18 जून 2007 को क्रमशः तीन महीने तथा दो महीने के विलम्ब के पश्चात आपूर्ति की।

क्षे.तो.ट्रै. की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठान को समय का विस्तार प्रदान करते समय, प्रापण स्कंध ने परिनिर्धारित नुकसानी की उगाही का अधिकार आरक्षित रखा तथा कमाण्डेट (ओ.आर.डी.), म.नि., सी.सु.ब. को लंबित आपूर्ति के कारण हुई आर्थिक हानिया असुविधा के बारे में उनको सूचित करने का अनुरोध किया। गृ.म. के प्रापण स्कंध ने सुपुर्दगी के विस्तृत समय की संस्वीकृति की प्रति भुगतान एवं लेखा अधिकारी को भी पृष्ठाकित की। किन्तु भुगतानकर्ता प्राधिकरण, उप निदेशक (लेखा) वे.एवं ले., सी.सु.ब. आपूर्ति में विलम्ब, परिनिर्धारित नुकसान से संबंधित, तथा उगाही से संबंधित प्रावधानों

के संरक्षण के बावजूद विफल रहा। इसका परिणाम 43.59 लाख रु. के परिनिर्धारित नुकसान की गैर-वसूली में हुआ।

नवम्बर 2008 में मंत्रालय ने बताया कि सी.सु.ब. को क्षे.तो.द्रै. की विलम्बित आपूर्ति के कारण कोई नुकसान या असुविधा नहीं हुई थी। तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बनास सॉ पाइप लि. (2003)5 उ.न्या. 705 के मामले में निर्णय दिया कि संविदा के प्रति असंतुष्ट पार्टी को संविदा के उल्लंघन हेतु अन्य पार्टी से हुई वास्तविक हानि या नुकसान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि संविदा की शर्त साफ तथा स्पष्ट थी, उल्लंघन हेतु परिनिर्धारित नुकसान को अनुबंधित करती है तो उल्लंघन करने वाली पार्टी अपेक्षित नुकसान की पूर्ति करेगी जब तक कि यह निर्णय न हो सके कि अनुमानित नुकसान/नुकसान की भरपाई अतर्कसंगत थी। इस संबंध में यह पाया कि महानिदेशक आपूर्ति तथा निपटान की सामान्य शर्तों की धारा 14(7) (1) के साथ पठित संविदा का प्रावधान 15 आपूर्ति में विलम्ब हेतु परिनिर्धारित नुकसान (अर्थात् दण्ड के रूप में नहीं) के भुगतान को अनुबंधित करता है।

आगे यह पाया गया कि आपूर्ति की देशी से प्राप्ति या नुकसान का व्यूरा की एक माह के भीतर सूचना तैयार करना जो परिनिर्धारित नुकसान की वसूली हेतु पूर्वापेक्षित है का परिणाम परिनिर्धारित नुकसान एक सामान्य प्रक्रिया की वसूली में विफलता में होगा जो महानिदेशक आपूर्ति तथा निपटान की सामान्य शर्तों के प्रावधान 14(7) को नकारता है तथा सरकार ने पक्ष का संरक्षण नहीं करेगा।

आसूचना व्यूरो

6.6 अतिरिक्त व्यय - 59.61 लाख रु.

वाराणसी में अपने कार्यालय भवन हेतु प्लाट की खरीद के लिए आसूचना व्यूरो द्वारा मामले के विलम्ब से संसाधन का परिणाम 59.61 लाख रु. के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

आ.व्यू.⁸ ने सितम्बर 2006 में 1.95 करोड़ रु. की कुल लागत पर उ.प्र.आ.वि.बो.⁹ से वाराणसी में अपने कार्यालय भवन हेतु 1600 वर्ग मीटर भाप का एक प्लाट खरीदा। लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि कीमत में 59.61 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- ० इस तथ्य के बावजूद भी कि 6 दिसम्बर 2004 को उ.प्र.आ.वि.बो. द्वारा दर्शाई आबंटन की शर्तों में निर्दिष्ट था कि यदि भुगतान 28 फरवरी 2005 तक नहीं किया गया तो प्रस्ताव अपने आप रद्द कर दिया जाएगा, आ.व्यू. मुख्यालय ने देय तिथि तक प्रस्ताव को प्रारम्भ भी नहीं किया। यह उ.प्र.आ.वि.बो. द्वारा प्रस्ताव के रद्द किये जाने का कारण बना।

⁸ आसूचना व्यूरो

⁹ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास बोर्ड

- ④ उ.प्र.आ.वि.बो. ने फरवरी 2006 में उसी प्लाट के आबंटन के प्रस्ताव को फिर से चालू किया तथा उनकी 1.79 करोड़ रु. की संशोधित माँग में भुगतान की मूल देय तिथि से 19 प्रतिशत की दर से 30.64 लाख रु. का ब्याज सम्मिलित था। समय पर भुगतान हेतु 10 प्रतिशत की छूट को भी उ.प्र.आ.वि.बो. द्वारा संशोधित प्रस्ताव में हटा दिया गया था।
- ⑤ यद्यपि 31 मार्च 2006 को भुगतान की देय तिथि थी, आ.ब्यू. ने राशि जमा करने में सात महीने (सितम्बर 2006) लिए जिसका परिणाम 15.27 लाख रु. के अतिरिक्त ब्याज तथा 0.43 लाख रु. के दण्ड के भुगतान में हुआ।

इस प्रकार प्लाट के प्राप्ति हेतु प्रस्ताव का लम्बित संसाधन मूल प्रस्ताव के अनुसार लागत का 44 प्रतिशत संघटित करके 59.61 लाख रु. के परिहार्य व्यय का कारण बना। परिहार्य अतिरिक्त व्यय 45.91 लाख रु. के ब्याज तथा 13.27 लाख रु. की छूट तथा 0.43 लाख रु. के दण्ड से संगत था।

दिसम्बर 2008 में मंत्रालय ने बताया कि 28 फरवरी 2005 तक भुगतान करने हेतु आ.ब्यू. के बजट में पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध नहीं थी। इसने आगे भी बताया कि उ.प्र.आ.वि.बो. से भूमि के आबंटन हेतु प्राप्त पेशकश पर आ.ब्यू. ने के.लो.नि.वि.¹⁰ से कार्यालय के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का क्षेत्र इंगित करते हुए प्रमाणपत्र के लिए पूछा था जो जून 2005 में प्राप्त हुआ था। इसने यह भी बताया कि गृ.म. तथा उसके ए.वि.प्र.¹¹ ने प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा था जिसकी पुनः जांच की जानी थी तथा प्रस्ताव ए.वि.प्र. द्वारा अगस्त 2006 में ही अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था।

उत्तर इस बात की व्याख्या नहीं करता कि प्रथम दृष्टांत पर आ.ब्यू. द्वारा गृ.म. से अतिरिक्त आबंटन के लिए क्यों नहीं कहा गया जैसा कि बाद में फरवरी 2006 में उन्होंने प्रस्तावित किया था जबकि मंत्रालय की भूमि क्रय हेतु स्वीकृति की अपेक्षा की जा रही थी। इसके अतिरिक्त के.लो.नि.वि. से भूमि-क्षेत्र इंगित करते हुए प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बारे में उनका दावा इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि के.लो.नि.वि. ने मई 2003 में उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। के.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत की गई मई 2003 तथा जून 2005 की दो रिपोर्टों की विषय वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण सामग्री बदलाव नहीं था। उत्तर ऐसे मामलों के समय से संसाधन हेतु गृ.म. की विभिन्न ईकाइयों में अच्छे समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मंत्रालय ने भविष्य में प्रक्रिया को शीघ्र सम्पादित करने में प्रत्येक प्रयास करने का आश्वासन दिया (दिसम्बर 2008)।

¹⁰ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

¹¹ एकीकृत वित्त प्रभाग

अनुबंध-XI

(पैराग्राफ 6.3 के संदर्भ में)

अधिकारियों की मेस में सी.सु.ब. कार्मिकों के अप्राधिकृत संयोजन को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपयों में)

सी.सु.ब. अधिकारी की मेस का नाम	संस्थीकृत कार्य बल (मार्च 2007)	2004-05 से जुलाई 2008 के दौरान संयोजित कार्मिकों की रेंज	2004-05 से जुलाई 2008 के दौरान वेतन एवं भत्ते पर व्यय	अभ्युक्तियां
अश्विनी अधिकारियों की मेस, निजामुद्दीन, नई दिल्ली	शून्य	23 से 27	70.76	संयोजित कर्मचारियों में 1 इंस्पेक्टर, 3 हैड कांस्टेबल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग से 8 कांस्टेबल शामिल से जिन्हें सीमाओं पर युद्ध कर्तव्यों को निभाने पर लगाया जाना था तथा 11 वर्ग- IV कर्मचारी जिनमें रसोइए, सफाई कर्मचारी तथा धोबी आदि शामिल हैं।
बल मुख्यालय अधिकारियों की मेस, टिगरी, नई दिल्ली	शून्य	18 से 29	92.92	संयोजित कर्मचारियों में 1 इंस्पेक्टर, 1 से 4 कांस्टेबल, 8 से 15 कांस्टेबल शामिल हैं तथा 9 से 11 वर्ग-IV कर्मचारी जिनमें रसोइए, सफाई कर्मचारी तथा धोबी आदि शामिल हैं।
योग			163.68	

अध्याय VII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

7.1 अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण अव्ययित अनुदान का प्रतिधारण

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु बिहार सरकार को निर्गत अनुदानों के उपयोग की मानीटरिंग में मंत्रालय के विफलता का परिणाम 5 से 14 वर्षों तक बिहार सरकार द्वारा 8.73 करोड़ रु. के प्रतिधारण में हुआ। अप्रयुक्त शेष पर भारत की समेकित निधि पर व्याज प्रभाव 11.41 करोड़ रु. था।

जि.शि.प्र.सं.¹/शि.शि.म.² की स्थापना हेतु बिहार सरकार को मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अनुदान के उपयोग की जांच ने अनुदान के उपयोग में कमज़ोर नियंत्रण प्रक्रिया को उजागर किया जिसका परिणाम 5 से 14 वर्षों हेतु बिहार सरकार के पास 8.73 करोड़ रु. पड़े रहने में हुआ।

मंत्रालय ने 25 जि.शि.प्र.सं. तथा तीन शि.शि.म. की स्थापना/उच्चीकरण हेतु प्रथम किश्त के रूप में बिहार सरकार को 1991-92 से 1993-94 तक सिविल कार्यों एवं उपकरण हेतु अनावर्ती अनुदान के रूप में 12.47 करोड़ रु. जारी किए। दिसम्बर 2000 में, बिहार राज्य के बंटवारे के बाद 18 जि.शि.प्र.सं. तथा 2 शि.शि.म. बिहार में तथा 7 जि.शि.प्र.सं. तथा 1 शि.शि.म. झारखण्ड में रहे।

नवम्बर 2002 में, बिहार सरकार ने सात जि.शि.प्र.सं., जिनमें कार्य प्रगति पर था, हेतु अनावर्ती अनुदान की दूसरी किश्त को जारी करने का प्रस्ताव भेजा। उसने यह भी बताया कि 11 जि.शि.प्र.सं. में निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था और आग्रह किया कि उसे 11 जि.शि.प्र.सं. के अव्ययित अनुदान को आगे ले जाने की अनुमति दी जाए।

मंत्रालय में अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि बिहार सरकार ने नौ जि.शि.प्र.सं. (जिनमें बिहार के सात जि.शि.प्र.सं. तथा झारखण्ड के दो जि.शि.प्र.सं. शामिल थे) पर नवम्बर 2002 तक 3.58 करोड़ रु. प्रयुक्त किए थे, तथा 8.89 करोड़ रु. अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि बिहार के 11 जि.शि.प्र.सं. तथा झारखण्ड के 5 जि.शि.प्र.सं. में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। इसके बावजूद, मंत्रालय ने अव्ययित अनुदान को समायोजित किए बिना दिसम्बर 2002 में सात जि.शि.प्र.सं. हेतु 3.20 करोड़ रु. के अनुवर्ती अनुदान की दूसरी किश्त जारी की।

3.20 करोड़ रु. के अनुदान की निर्मुक्ति प्रथम किश्त जारी करने वाले मंत्रालय की संस्वीकृति के प्रावधानों के उल्लंघन में भी थी जो व्याख्या करती थी कि अगले अनुदान को सिविल कार्य एवं उपकरण के 75 प्रतिशत तक के तथा कार्य की भौतिक प्रगति के

¹ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

² शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

समरूप हेतु सहायता के उपयोग पर राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही जारी किया जाएगा।

अप्रैल 2007 में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय के आंकड़े ने प्रकट किया कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 15.66 करोड़ रु. के अनुदान के प्रति 8.73 करोड़ रु. के अव्ययित शेष, झारखण्ड में जि.शि.प्र.सं. से संबंधित 3 करोड़ रु. सहित, को छोड़ते हुए 6.93 करोड़ रु. का व्यय किया गया था।

इस प्रकार, अनुदान के उपयोग की मानीटरिंग में मंत्रालय की विफलता तथा इसके अपने निर्देशों के उल्लंघन में नए अनुदानों की परिणामी निर्मुक्ति का परिणाम भारत की समेकित निधि पर 11.41 करोड़ रु. के परिणामी ब्याज प्रभाव के साथ जनवरी 2008 तक 5-14 वर्षी तक के लिए बिहार सरकार के पास 8.73 करोड़ रु. के अव्ययित शेष के रूप में हुआ।

मामले को सितम्बर 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

7.2 राष्ट्रीय सहायता दल के सर्जन पर निष्कल व्यय

दोपहर के भोजन की योजना के पर्यवेक्षण, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु भारतीय शैक्षिक सलाहकार लिमिटेड के माध्यम से रा.स.द.³ के अन्तर्गत कार्मिकों को रोजगार तथा मंत्रालय में उनके संयोजन ने वित्त मंत्रालय के पदों के सर्जन पर रोक लगाने के आदेशों का उल्लंघन किया था। चूंकि रा.स.द. परिचलनात्मक नहीं था इसलिए परियोजना पर 82.82 लाख रु. का सम्पूर्ण व्यय निष्कल रहा था।

मंत्रालय ने दोपहर के भोजन की योजना के प्रबन्धन, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु रा.स.द. की स्थापना हेतु दिसम्बर 2005 में भा.शै.स.लि.⁴ से एक समझौता किया। इस योजना पर किए गए व्यय की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को उजागर किया:

भा.शै.स.लि./रा.स.द. की भूमिका

समझौते के अनुसार, रा.स.द. को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए व्यवसायियों से बनना था तथा सलाहकारों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य सलाहकार द्वारा नेतृत्व किया जाना था।

तथापि समझौता केवल कर्मचारियों की भर्ती पर रोक के नवम्बर 2005 के आदेशों का उल्लंघन कर मंत्रालय द्वारा प्रयोग हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही था। 2005-06 से जून 2008 के दौरान भा.शै.स.लि. ने तीन से 20 सहायता कर्मचारी की भर्ती की जिसमें मंत्रालय के पास नौ वर्ड प्रोसेसिंग प्रचालक, छः संदेशवाहक, एक दफ्तरी, एक चालक तथा एक स्टैनो थे। वे मंत्रालय में विभिन्न अधिकारियों के साथ संलग्न थे। मुख्य सलाहकार जो रा.स.द. का अध्यक्ष था का चयन

³ राष्ट्रीय सहायता दल

⁴ भारतीय शैक्षिक सलाहकार लिमिटेड

नवम्बर 2008 तक नहीं किया गया था। लघु अधिकारी आधार पर रा.स.द. हेतु भा.शै.स.लि. द्वारा किराये पर लिए गए अन्य तीन सलाहकारों में से दो चले गए थे तथा जून 2008 तक मंत्रालय के साथ एक ही कार्य कर रहा था। इस प्रकार, जब तक रा.स.द. परिचलनात्मक नहीं हुआ था, सहायता कर्मचारी ने मंत्रालय के साथ संलग्न रहना जारी रखा।

कर्मचारियों की अनियमित भर्ती

यद्यपि मंत्रालय ने अपने नवम्बर 2005 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पदों के सर्जन पर रोक लगाई थी। मंत्रालय की रा.शै.स.लि. के माध्यम से सहायता कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की कार्रवाई ने वित्त मंत्रालय द्वारा पदों के सर्जन पर लगाई गई रोक का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने 2005-08 के दौरान मंत्रालय के साथ लगाए गए कर्मचारियों के लिए भा.शै.स.लि. को 37.12 लाख रु. का भुगतान किया है।

निष्फल व्यय

2005-08 के दौरान भा.शै.स.लि. को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 1.05 करोड़ रु. के कुल अनुदान में से भा.शै.स.लि. ने मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के प्रदत्त वेतन के अलावा 45.70 लाख रु. के व्यय का दावा किया था। इसमें 12.52 लाख रु. का परामर्श प्रभार तथा 33.17 लाख रु. का अवसंरचनात्मक तथा अन्य व्यय शामिल था। इसके अतिरिक्त, रा.स.द. को अपरिचलनात्मक रहने से संपूर्ण व्यय निष्फल रहा था।

मंत्रालय का प्रत्युत्तर

मंत्रालय ने अप्रैल 2008 में बताया कि कर्मचारी मंत्रालय के अधिकारियों, जो अपने कार्य के अतिरिक्त दो.भो.⁵ योजना की मानीटरिंग कर रहे थे, को सहायता प्रदान कर रहे थे क्योंकि दो.भो. योजना हेतु मंत्रालय में टंकक, कम्प्यूटर आपरेटर/वर्ड प्रोसेसिंग आपरेटर का कोई पद संस्कीर्त नहीं किया गया था। इसने दिसम्बर 2008 में आगे बताया कि भा.शै.स.लि. ने दो सलाहकारों तथा तीन अनुसंधान सहयोगियों को नियुक्त किया था तथा दिसम्बर 2008 से रा.स.द. को परिचलनात्मक बना दिया जाएगा।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता का उल्लंघन कर अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान किए गए थे जो नवम्बर 2005 के रोक आदेशों के उल्लंघन में था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का उत्तर यह नहीं दर्शता कि कैसे संदेश वाहक, दफतरी तथा ड्राईवर से बना स्टाफ योजना के प्रबंध, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन में भूमिका निभा सकता है।

मंत्रालय द्वारा लोक क्षेत्र उपक्रम के साथ परामर्शी समझौते के माध्यम से स्वयं का अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान करने का तरीका संदेहास्पद था। मंत्रालय को तुरन्त प्रभाव से इस समझौते को समाप्त करना चाहिए।

⁵ दोपहर भोजन

अध्याय VIII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रैस सूचना बूर्झा

8.1 निधियों की असामयिक निर्मुक्ति

संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में तथा निधियों की तत्कालिक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना राष्ट्रीय प्रैस केन्द्र के निर्माण हेतु निधियों की असामयिक निर्मुक्ति का परिणाम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को प्रदत्त 7 करोड़ रु. के अग्रिम के निष्क्रिय रहने में हुआ।

मंत्रालय ने जनवरी 2005 में 35 करोड़ रु. की लागत पर मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल हेतु राष्ट्रीय प्रैस केन्द्र (रा.प्रै.के.) संस्थापन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन अप्रैल 2005 में प्रदान किया गया था। मंत्रालय ने रा.प्रै.के. के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) को सौंपा तथा उसके साथ फरवरी 2006 में एक स.ज्ञा.¹ पर हस्ताक्षर किए।

स.ज्ञा. की शर्तों के अनुसार, रा.भ.नि.नि. द्वारा परियोजना को अभिकल्पना की स्वीकृति, प्रारंभिक जमा की निर्मुक्ति तथा भूमि के हस्तांतरण, जो भी बाद में था, के दो वर्षों के भीतर निष्पादन करना था।

दस्तावेजों की जांच ने प्रकट किया कि रा.प्रै.के. के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों न.दि.न.प.², के.लो.नि.वि.³ एवं दि.श.क.आ.⁴ से सांविधिक अनुमति मई 2008 तक प्रतीक्षित थी। स्थानीय निकायों से आपेक्षित सांविधिक स्वीकृति के प्राप्त होने से पहले ही मंत्रालय ने परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के रूप में रा.भ.नि.नि. को मार्च 2006 से 7 करोड़ रु. का ब्याज रहित अग्रिम निर्मुक्ति किया जो कि रा.भ.नि.नि. के अंतिम बिल के प्रति समायोजित किया जाना था।

कार्य को आरम्भ करने हेतु निगम की तैयारी को सुनिश्चित किए बिना मंत्रालय द्वारा रा.भ.नि.नि. को 7 करोड़ रु. के अग्रिम की निर्मुक्ति भारत की संचित निधि से असामयिक नगदी के बर्हिगमन का कारण बनी। वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2006 में प्रदत्त 7 करोड़ रु. का अग्रिम के.लो.नि.वि. की नियमपुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में था जो अग्रिमों को या तो सामग्री एवं पूर्तियों की प्रतिभूति पर अथवा अग्रिम के परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या एक करोड़ रु. से अधिक न होने के अधीन पूंजीगत गहन परियोजनाओं हेतु प्रदान करने का प्रावधान करती है।

¹ समझौता ज्ञापन

² नई दिल्ली नगर पालिका

³ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

⁴ दिल्ली शहरी कला आयोग

मंत्रालय ने अक्टूबर 2008 में बताया कि रा.भ.नि.नि. को जारी किए गए 7 करोड़ रु स.ज्ञा. में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार थे। उत्तर, स.ज्ञा. की शर्तों जो कि दोषपूर्ण थी तथा संहिता प्रावधानों के सामजस्यं नहीं थी की स्थापना के दृष्टिकोण पर मूक है।

मंत्रालय को समझौते की शर्तों के निर्धारण में कर्मिष्ठता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि संहिता प्रावधानों के अनुसार समझौतों को कड़ा बनाया जा सके तथा भारत की संचित निधि से निधियों की निर्मुक्ति नियत समय सीमा के अंतर्गत परियोजना पूरा करने की कार्यान्वयन अभिकरण की क्षमता एवं तैयारी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

अध्याय IX : जनजातीय कार्य मंत्रालय

9.1 अव्ययित अनुदान की वसूली

जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मार्च 1998 में निर्मुक्त 4.00 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान को बिहार सरकार से वसूलनी/समायोजन करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम 2.60 करोड़ रु. के ब्याज प्रभाव के साथ 10 वर्षों से अधिक हेतु अनुदान के अनियमित अवरोधन में हुआ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों हेतु चार¹ आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रु. की कुल आवश्यकता के प्रति मार्च 1998 में बिहार सरकार को 4.00 करोड़ रु. का अग्रिम अनुदान जारी किया। नवम्बर 2000 में झारखण्ड राज्य के सृजन के परिणामस्वरूप सभी चारों विद्यालय, जिनके लिए अनुदान निर्मुक्त किया था, झारखण्ड राज्य के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। जब से, अनुदान की पूर्ण राशि बिहार सरकार के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 2002 में बिहार सरकार को ये निधियाँ झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने को कहा। मंत्रालय ने नवम्बर 2008 तक बिहार को निमुक्तियों में से ना तो वापसी प्राप्त की और ना ही राशि का समायोजन किया।

इसी बीच, मंत्रालय ने इन आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रु. का पूर्ण अंश झारखण्ड सरकार को निर्मुक्त कर दिया (फरवरी 2003 में 6.00 करोड़ रु. तथा मार्च 2006 में 4.00 करोड़ रु.)।

इस प्रकार, अव्ययित अनुदान की वसूली/समायोजन में मंत्रालय की विफलता का परिणाम 10 वर्षों से अधिक के लिए बिहार सरकार द्वारा 4.00 करोड़ रु. के अवरोधन के साथ संघ सरकार की औसतन उधार दर पर परिकलित 2.60 करोड़ रु. के अनुवर्ती ब्याज प्रभाव में हुआ।

मंत्रालय ने अगस्त 2008 में बताया कि चूंकि बिहार सरकार ने झारखण्ड सरकार को राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया इसलिए इसने शोधक मापदण्डों के रूप में 2007-08 हेतु झारखण्ड के आबंटन से 4.00 करोड़ रु. का समायोजन किया था। इसने यह भी बताया कि इसने झारखण्ड को निधि का हस्तांतरण की पुष्टि करने हेतु बिहार सरकार को सलाह दी थी। इस प्रकार, मंत्रालय ने बिहार सरकार द्वारा राशि के हस्तांतरण को सुनिश्चित किए बिना झारखण्ड सरकार की भावी निमुक्ति में से राशि का समायोजन किया।

¹ विद्यालयों को रांची, दुमका, साहिबगंज तथा पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रतिक्रिया में झारखण्ड सरकार से राशि का समायोजन करने की मंत्रालय की कार्रवाई बिहार सरकार से आधिक्य अनुदान की वसूली की कठिनाई को समाधान नहीं करती है।

यदि झारखण्ड सरकार में राशि के हस्तांतरण को पुष्टि तथा सबूत इसके द्वारा निर्धारित नियत अवधि के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते हैं तो मंत्रालय बिहार सरकार को अनुवर्ती नियुक्तियों में से इस राशि का तुरन्त समायोजन करें।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2008 में प्रेषित किया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय X : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

10.1 अनुदान का अनियमित प्रतिधारण

मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं मानीटरिंग का परिणाम भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा 97.76 लाख के अनियमित प्रतिधारण में हुआ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ (भा.आ.जा.से.सं.) को राजीव गांधी राष्ट्रीय बालवाड़ी योजना हेतु सहायता अनुदान के संवितरण की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया उपयोग प्रमाण-पत्र एवं निष्पादन की मानीटरिंग में निम्नलिखित त्रुटियों को प्रकट किया।

- भा.आ.जा.से.सं. ने 14.28 करोड़ रु. के अनुदान के प्रति 2005-07 के दौरान 13.74 करोड़ रु. का उपयोग सूचित किया। तथापि, भा.आ.जा.से.सं. के लेखों की लेखापरीक्षा ने इसके द्वारा व्यक्तिगत बालवाड़ियों को 13.31 करोड़ रु. के संवितरण को उजागर किया। इस प्रकार भा.आ.जा.से.सं. ने दो वर्षों के दौरान 43.57 लाख रु. का प्रतिधारण किया तथा गलत उपयोग प्रमाणपत्र एवं लेखे के विवरण प्रस्तुत किए। मंत्रालय ने भा.आ.जा.से.सं. द्वारा उपयोग की गई के रूप में दर्शाई राशि की यथातथ्यता के सत्यापन हेतु प्रभावी जाँच नहीं की थी।
- मंत्रालय ने 2005-07 वापसियों हेतु उपयोग प्रमाणपत्र एवं लेखे के विवरण के संदर्भ के साथ 54.19¹ लाख रु. की अनुपयुक्त राशि भी प्राप्त नहीं की थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पहले इसे यह भी अभिज्ञात नहीं था कि भा.आ.जा.से.सं. से राशि वसूलनीय थी।
- बालवाड़ी कार्यकर्ताओं को योजना के अंतर्गत अनुदान मानदेय हेतु 2000 रु. प्रति बालवाड़ी की दर पर, प्रति बालवाड़ी अनुपूरक पोषण पर 1352 रु. प्रतिमाह की सीमा का 90 प्रतिशत तथा आकस्मिकताओं तथा आपातकालीन दवाओं पर 350 रु. का 90 प्रतिशत या वयय की वास्तविक राशि जो भी कम हो, नियामक आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि मंत्रालय नियामक दरों पर भा.आ.जा.से.सं. एक उप-संवितरण निकाय है को अनुदान जारी किये, मंत्रालय न बालवाड़ियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय पर कोई रिपोर्ट कभी भी प्राप्त नहीं की। इसलिए मंत्रालय द्वारा बालवाड़ियों जिन्हें भा.आ.जा.से.सं. ने अनुदान दिया, का वास्तविक संचालन तथा उनका वास्तविक व्यय मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया गया था।

मंत्रालय को चाहिए कि

- (i) भा.आ.जा.से.सं. से 97.76 लाख रु. की शेष राशि वापस प्राप्त करें;

¹ बालवाड़ियों के पास पढ़े अव्ययित शेष सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि भा.आ.जा.से.सं. के पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

- (ii) बालवाड़ियों जिन्हें भा.आ.जा.से.सं. ने भारत समेकित निधि से जारी धन में से सहायता अनुदान दिया था, द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के विवरण प्राप्त करें; तथा
- (iii) अपने द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के उपयोग की मानीटरिंग हेतु अपने तंत्र को सुदृढ़ करें।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2008 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 प्रतीक्षित था।

अध्याय XII : संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान निकोबार प्रशासन

अण्डमान लोक निर्माण विभाग

11.1 जल आपूर्ति योजना की समाप्ति में अत्यधिक विलम्ब

दक्षिणी अण्डमान में जल आपूर्ति योजना की समाप्ति में अ.लो.नि.वि. द्वारा अनुचित योजना एवं निष्पादन के कारण तेरह वर्षों के पश्चात भी उद्देश्यों को पूर्ण किए बिना 9.50 करोड़ रु. का व्यय हुआ।

सितम्बर 1995 में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) ने जल के अभाव को कम करने हेतु दक्षिणी अण्डमान में आठ समस्या वाले गाँव हेतु उपचारित जल प्रदान करने के लिए इंदिरा नल्लाह जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की। कार्य दो वर्षों में पूर्ण किया जाना था। मंत्रालय ने, परियोजना अनुमोदित करते समय, कार्य आरम्भ करने से पहले बाँध हेतु उद्दिष्ट 24.94 हैक्टर के वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता को महत्व दिया था। संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2006) के परिणाम निम्न थे:

- ① यद्यपि अण्डमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.) ने कार्यक्षेत्र से अतिक्रमण को हटाने हेतु वन विभाग को प्रस्ताव किया था फिर भी दिसम्बर 2008 तक ऐसे परिवारों का निष्कासन एवं पुनर्वास नहीं किया गया था।
- ② सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिजाइनों पर आधारित, मुख्य अभियंता, अ.लो.नि.वि. द्वारा तैयार किए गए विस्तृत अनुमान में सी.डब्ल्यू.सी. एवं जी.एस.आई. के परामर्श प्रभार भूमि की क्षतिपूर्ति, वनरोपण, द्वितीयक एवं तृतीयक ग्राउटिंग आदि जैसी आवश्यक मर्दों हेतु प्रावधान नहीं था। अनुमानों को फरवरी 2002 तथा अप्रैल 2008 के बीच तीन बार संशोधित किया जाना था।
- ③ अ.लो.नि.वि. ने ठेकेदार 'एक्स' को योजना का सबसे उच्चतम मूल्य घटक, पाईप लाईन डालने का कार्य अप्रैल 1999 तक इसकी समाप्ति की संविदा सहित 3.89 करोड़ रु. की लागत पर प्रदान किया (सितम्बर 1997) यद्यपि मिट्टी के बाँध, डाइक, उमड़ मार्ग का निर्माण एवं मूल जल के भण्डारण हेतु ग्राउटिंग कार्य जैसे अनिवार्य सिविल घटक अभी भी आरम्भ किए जाने थे फिर भी पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हो गई थी तथा उद्देश्य हेतु आवश्यक पूर्ण भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। ठेकेदार को सुस्पष्ट कार्यस्थल सौंपने में अ.लो.नि.वि. के पक्ष में विफलता के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जबकि 1.80 करोड़ रु. का व्यय हो चुका था।

- दिसम्बर 2004 में भूकम्प एवं सुनामी से पहले से लगाई गई पार्इप लाईने क्षतिग्रस्त हो गई थीं तथा 43.97 लाख रु. कीमत के पार्इप जो कि खुले पड़े थे बह गए।
- यद्यपि मिट्टी के बांध के नीचे नीवं अभिक्रिया हेतु जैसा कि सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा सुझाव दिया गया, दिसम्बर 1994 की परियोजना रिपोर्ट में प्रावधान किया गया था, यह अभी जून 1999 में ही था कि सी.डब्ल्यू.सी. एवं जी.एस.आई. ने प्रारम्भ किए जाने वाले ग्राउटिंग कार्य की स्परेखा एवं विवरण सौंपे थे। अ.लो.नि.वि. ने 29.69 लाख रु. की लागत पर ठेकेदार ‘वाई’ को प्राथमिक एवं द्वितीयक ग्राउटिंग सौंपी (जनवरी 2001) जो कि मई 2002 में पूर्ण हुआ था। चूंकि प्राथमिक एवं द्वितीयक ग्राउटिंग तीन लूजियंस¹ की अपेक्षित पारगम्यता प्राप्त करने में विफल रही इसलिए मार्च 2002 में जी.एस.आई. ने तृतीयक ग्राउटिंग निष्पादन करने की सलाह दी। इसे ठेकेदार ‘जेड’ के द्वारा अगस्त 2004 में 30.42 लाख रु. की लागत पर निष्पादित किया गया था। चूंकि तृतीयक ग्राउटिंग के नमूना परिणाम भी संतोषजनक नहीं थे इसलिए सी.डब्ल्यू.सी. ने ग्राउटिंग आगे जारी रखने की जून 2007 में सलाह दी जिसे अभी भी अ.लो.नि.वि. द्वारा आरम्भ किया जाना था।

मई 2008 तक, अ.लो.नि.वि. ने वास्तविक अनुमान के छः मुख्य मदों में से मूल जल कुंड के निर्माण एवं पार्इप लाईन बिछाने का कार्य कर दिया था। परियोजना अपूर्ण रही तथा इस पर किया गया 9.50 करोड़ रु. के व्यय से अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ था। आठ दक्षिणी अण्डमान गाँवों को पेय जल प्रदान करने का उद्देश्य 13 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी भ्रमजनक रहा जो कि ‘हटबेय पर रामकृष्णापुर बाँध के निर्माण’ जिसके संबंध में कमियों को 2003 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2 के पैरा 14.2 में उल्लेखित किया गया था से कोई सीख न लेने के लिए मुख्यतः अ.लो.नि.वि. को आरोप्य था।

मामला जुलाई 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

¹ लूजियंस एक विभंजन के परिणामस्वरूप बैडरॉक की जल पारगम्यता तथा हाइड्रोलिक संचालन की मात्रा निर्धारित करने की ईकाई है।

जहाजरानी सेवा महानिदेशालय

11.2 निष्कल व्यय

सीमित क्षमताधारी यार्ड को जलयान निर्माण संविदा प्रदान करने के साथ-साथ निर्णय लेने में देरी के कारण 54.99 करोड़ रु. की निधि अवरुद्ध हुई। सबसे महत्वपूर्ण कि पोर्टब्ल्यैर और अन्य दक्षिणी द्वीप समूहों के बीच आवागमन बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अप्डमान-निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने 400 पाक्स जलयान के निर्माण एवं सुपुर्दगी हेतु 63.00 करोड़ रु. मूल्य एवं बिक्री कर पर अलकॉक असडग (गुजरात) लिमिटेड, भावनगर (यार्ड), गुजरात सरकार के एक उपक्रम के साथ फरवरी 2000 में एक समझौता किया। जलयान को पोर्टब्ल्यैर और दक्षिणी द्वीप समूह के मध्यवेल तक के बीच इस्तेमाल करके आवागमन की सुविधा को बढ़ाना था तथा इसे सितम्बर 2002 में सुपुर्द किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रशासन ने उचित योजना और फर्म की तकनीकी क्षमता का आंकलन किए बिना संविदा को अंतिम रूप दिया। कार्य की प्रगति से संबंध स्थापित किए बिना निधियाँ जारी की गई थीं जिससे ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया गया। पोर्टब्ल्यैर और दक्षिणी द्वीप समूह के बीच आवागमन बढ़ाने का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था (फरवरी 2009) जबकि फरवरी 2000 में कार्य दिया गया था जो कि निम्न से स्पष्ट है:

- सूखी गोदी में निर्माण कार्य सितम्बर 2002 में ही आरम्भ हुआ जबकि यार्ड को कार्य फरवरी 2000 में प्रदान किया गया था। जहाजरानी और वाणिज्य नौसेनिक विभाग ने निरीक्षण के बाद कहा (फरवरी 2002) कि यार्ड बाहरी प्रबंधकीय सहायता के बिना जलयान निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सकता है।
- ठेकेदार ने सितम्बर 2002 में सूचित किया कि जलयान में एस.ओ.एल.ए.एस.² के अनुसार जैसे कि डी.जी.एस. द्वारा सलाह दी गई थी सुधार की आवश्यकता है। प्रशासन ने लगभग एक साल छ: महीने बाद (मार्च 2004) में इस आवश्यकता से छूट पाने का निश्चय किया। इसे अनुसरण करते हुए, निर्माण असमय में बन्द कर दिया। अन्ततः डी.जी.एस. ने सितम्बर 2008 में छूट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार एस.ओ.एल.ए.एस. के अनुपालन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में छ: वर्ष लगे।
- मार्च 2000 से दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान यार्ड को 54.99 करोड़ रु. की संविदागत लागत का अस्सी प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मार्च 2001 में समझौते के उल्लंघन में तदर्थ अग्रिम के रूप में 15.75 करोड़ रु. की तृतीय किश्त का भुगतान किया गया था। 12.60 करोड़ रु. की चौथी किश्त का भुगतान पानी के अन्दर का

² सरवाईवेल ऑफ लाईट एट सी

वाल्व, उपकरण फिटिंग और टूल पैंटिंग से सुसज्जित जलयान को पानी में उतारने पर किया जाना था, परन्तु सितम्बर 2004 में इसका भुगतान कर दिया गया, यद्यपि निर्णय की क्या जलयान का निर्माण एस.ओ.एल.ए.एस. की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा अभी लिया जाना था।

इस प्रकार, 54.99 करोड़ रु. के अवरोधन करने के बावजूद पोर्टब्लेयर और अन्य दक्षिणी द्वीप समूह के बीच आवागमन को बढ़ाने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था।

भासला जून 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2009 तक प्रतीक्षित था।

11.3 अनुचित लाभ के कारण निधियों का अवरोधन

रूपान्तरण कार्य हेतु चरणबद्ध भुगतान का समयपूर्व निर्गम से प्रतिष्ठान को 27.83 लाख रु. का अनुचित लाभ हुआ। साथ ही, चूंकि रूपान्तरण की प्रगति नहीं हुई इसलिए 51.68 लाख रु. की राशि का अवरोधन हुआ तथा पोत वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रहा।

अन्तर्देशीय पोत (अ.पो.) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशसन) के स्वामित्व वाले कुछ पोत अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित अन्तर्देशीय जल सीमाओं से परे अन्तर-द्वीप सेवाओं हेतु नियुक्त किए गए थे। चंकि यह समुद्र में जीवन एवं पोत की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था इसलिए महानिदेशक, जहाजरानी सेवा ने चरणबद्ध तरीके से अ.पो. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पोतों को वाणिज्य-पोत (वा.पो.) अधिनियम में तुरन्त बदले जाने की अनुशंसा की।

अनुशंसा के आधार पर, प्रशासन ने वा.पो. अधिनियम के अनुसार एम.वी. कलपोंग के परिवर्तन हेतु मैं इनलैण्ड मेरीन वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर (फर्म) से मार्च 1999 में करार किया, जिसमें 79.50 लाख रु. की कुल लागत पर लोड लाइन का पुनर्परिवर्तन, बेहतर अग्नि शामक उपकरण, अधिक जीवन रक्षक उपकरण, बेहतर रेडियो संचार आदि शामिल थे। इस रूपान्तरण को अनुबंध पर हस्ताक्षर होने या भुगतान के प्रथम चरण की तिथि, जो भी बाद में हो, से सात महीनों के अन्दर पूर्ण किया जाना था। फर्म को पोत सौंपे जाने के पूर्व, जहाजरानी सेवाएँ महानिदेशालय (ज.से.म.) द्वारा कुछ पूर्व रूपान्तरण कार्य किए जाने थे।

7.95 लाख रु. का प्रथम चरण भुगतान मार्च 1999 में जारी किया गया था तथा तदनुसार रूपान्तरण कार्य को अक्तूबर 1999 तक पूरा किया जाना था। तदनन्तर द्वितीय चरण भुगतान जो 15.90 लाख रु. की राशि का 20 प्रतिशत था, का भी भुगतान फर्म को अगस्त 1999 में किया गया था।

तथापि, पोत को फर्म को उनके कई अनुसारकों के बावजूद भी प्रशासन द्वारा नहीं सौंपा गया था तथा जून 2001 तक प्रचालन में रखा गया था। पूर्व-रूपान्तरण कार्य, पूर्व-आवश्यक कार्य जून 2001 में ज.से.म. द्वारा ही किया गया और अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तिथि से छः वर्षों के बीत जाने के बाद अप्रैल 2005 में पोत को अन्तिम रूप से फर्म को सौंपा गया था।

फर्म भारतीय जहाज-रानी निबन्धक (भा.ज.नि.) से लोड लाइन प्रमाणपत्र जो कि तृतीय चरण भुगतान को जारी करने के लिए आपेक्षित था, प्राप्त करने में असमर्थ था, क्योंकि पेटा और मशीनों का विशिष्ट सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हुआ था। यद्यपि फर्म ने जनवरी 2006 में सूचित किया था कि ज.से.म. द्वारा पूर्व-रूपान्तरण कार्य को लंबित छोड़ दिए जाने के कारण कार्य की कोई प्रगति नहीं हो सकी थी इसलिए प्रशासन ने संविदा अनुबंध के उल्लंघन में फर्म को 27.83 लाख रु. की राशि का तृतीय चरण भुगतान मार्च 2006 में जारी किया।

चूंकि छ: वर्षों के बीत जाने के बाद फर्म को पोत सौंपा गया था और कार्य की कोई प्रगति नहीं हुई थी इसलिए 51.68 लाख रु. की सम्पूर्ण राशि का अवरोधन हुआ तथा पोत चार वर्षों से अधिक तक निष्क्रिय पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, एम.वी. कलपेंग को वा.पो. अधिनियम का अनुपालनकर्ता बनाने के लिए प्रशासन के निर्णय के लगभग दस वर्षों के बाद भी समुद्र में जीवन एवं पोत की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु बेहतर अग्निशामक यंत्र, अधिक जीवन रक्षक उपकरण, बेहतर रेडियो संचार आदि उपलब्ध कराकर पोत को वाणिज्य-पोत में परिवर्तित करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामले को जून 2008 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अक्टूबर 2008 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XII : सामान्य


12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के बास-बार निर्देशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने 28 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही टिप्पणियां लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालयों/विभागों को इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सभी पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां (का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए।

लो.ले.स. ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर का.टि. प्रस्तुत करने में अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की ओर से अत्यधिक विलम्ब तथा निरन्तर विफलता को गम्भीरता से लिया। संसद में 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किये गये अपने नींवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने यह इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 तक समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. को तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करके प्रस्तुत किया जाये तथा सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा मुनरीक्षण के पश्चात प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा विवरण हेतु 15 सितम्बर 2008 को लो.ले.स. द्वारा की गई बैठक में, माननीय अध्यक्ष ने व्यय सचिव को निर्देश दिया कि सभी लम्बित उपचारी/शोधक कार्यवाही टिप्पणियों को ऐसे विलम्ब हेतु कारणों सहित तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अधिकारियों को भी पैराओं, जिन पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कार्यवाही टिप्पणियाँ प्रतीक्षित थी, की मंत्रालय-वार स्थिति प्रस्तुत करने को कहा जो लो.ले.स. को अक्तूबर 2008 में प्रस्तुत किया गया था।

अक्तूबर 2008 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल) में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया का.टि. की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने 28 पैराग्राफों पर का.टि. प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, वहाँ 104 पैरा थे जिन पर अन्तिम का.टि. प्रतीक्षित थी जिसमें से तीन मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए तथा तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित है जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।



यद्यपि मार्च 1996 से मार्च 2007 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर मई 1997 और मई 2008 के बीच प्रस्तुत किये गये थे तथा का.टि. प्रस्तुत करने की निर्धारित चार माह की समय-सीमा प्रत्येक मामले में समाप्त हो गई थी, मंत्रालयों/विभागों द्वारा 101 पैराग्राफों पर का.टि. अभी अक्टूबर 2008 तक प्रस्तुत की जानी थी (परिशिष्ट-III)।

12.2 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली के उपबंधों के अनुसार, वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति वाले विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों को ऐसे सहायक लेखे या प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करने होते हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा निर्धारित हों।

मार्च 2008 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 12 सरकारी उपक्रम विभागीय रूप से प्रबंधित थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, जो सामान्यतः व्यापार लेखे, लाभ-हानि लेखे तथा तुलन पत्र से बनते हैं। जबकि भारत सरकार मुद्रणालय, व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करता है, प्रकाशन विभाग केवल भण्डार लेखे तैयार करता है।

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के अद्यतन उपलब्ध लेखाओं के आधार पर तैयार संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति परिशिष्ट-IV में दर्शायी गई है।

परिशिष्ट से यह देखा जाएगा कि 10 उपक्रमों के संबंध में एक वर्ष से लेकर ग्यारह वर्ष तक की अवधि तक के प्रोफार्मा लेखे बकाया थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि जब से बकाया पड़े थे		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-5	2003-04 से 2007-2008	8
6-8	2000-01 से 2002-2003	2
योग		10

प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में इन संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की लागत, जिनकी वाणिज्यिक आधार पर प्रबन्धित किए जाने की अपेक्षा है; का पता नहीं लगाया जा सका। सामान्य निष्पादक संकेतकों जैसे निवेश पर प्राप्ति, लाभकारिता आदि के क्रियाकलापों को परिकलित करना भी संभव नहीं था।

विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रम से संबंधित लेखाओं के संकलन में विलम्ब को संबंधित मंत्रालय के सचिवों को सूचित कर दिया गया था।

12.3 बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा गेस-वसूली योग्य देय राशि

2007-08 के दौरान मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत हानियों तथा वसूल न किए जाने वाले प्राप्यों, शुल्कों, बट्टे खाते में डाले गए। छोड़े गए अग्रिमों की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-V में दी गई हैं। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि वर्ष 2007-08 के दौरान 6284 मामलों में मुख्यतः प्रणाली की विफलता के कारण 10.29 लाख रु. की हानियों, 5.86 लाख रु. सरकारी कर्मियों की व्यक्तिगत लापरवाही/जालसाजी आदि के कारण, तथा अन्य कारणों के लिए 2.03 करोड़ रु. बट्टेखाते में डाले गये थे। वर्ष के दौरान, 66274 मामलों में कुल 25.36 करोड़ रु. की वसूली तथा अनुग्रही अदायगी को छोड़ा गया था।

12.4 ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 38 में से 28 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में छ: सप्ताह के अन्दर अपना उत्तर भेजने के लिए जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किये। ड्राफ्ट पैराग्राफ सदैव संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छ:

सप्ताह के अन्दर उनका उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं। मंत्रालयों से प्राप्ति की स्थिति के उत्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल प्रत्येक पैराग्राफ में दर्शाए जाते हैं।

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शामिल 38 पैराग्राफों में से 28 में मंत्रालय/विभागों के सचिवों से उत्तर प्रतीक्षित थे। ब्यौरा अनुबंध-VII में दिया गया है।

नई दिल्ली

दिनांक: 9 जून 2009

(के.आर. श्रीराम)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली


दिनांक: 10 जून 2009

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट-॥

(पैराग्राफ 1.2 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षिती रूपरेखा

विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (वि.म.) विदेशी तथा कॉमनवेल्थ देशों के साथ संबंध संचालित करने हेतु उत्तरदायी है। वि.म. के मुख्य कार्यों में विदेशी राजनयिक तथा कांसुल संबंधी कार्यालयों तथा भारत में इसके विशिष्ट अभिकरणों, विदेशी तथा कॉमनवेल्थ देशों के साथ राजनैतिक संधियां, समझौते तथा संयोजन में भाग लेना तथा पासपोर्ट, वीजा प्रदान करना, विदेशी प्रचार को करने वाली सभी कांसुल संबंधी सेवाएं पञ्चोसी देशों आदि को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना को प्रभावित करते सभी मामले शामिल हैं। वि.म. के कार्यकलाप इसके विभिन्न संगठनों जैसे भारतीय विश्व कार्य परिषद, विदेश सेवा संस्थान, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आदि के माध्यम से किए जाते हैं। विदेशों में मिशनों/केन्द्रों में मंत्रालय के प्रतिनिधि मंत्रालय को इसके अध्यादेशित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने में सहायता करते हैं।

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों तथा आर्थिक प्रबन्धन के घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलूओं पर आचरण करते हुए कार्यक्रमों को प्रतिपादित तथा मॉनीटर करने में संघ सरकार का केन्द्रक अभिकरण है। इस विभाग का मुख्य उत्तरदायित्व संघ बजट वार्षिक रूप से (रेलवे बजट को छोड़कर) तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में दीर्घ आर्थिक नीतियों का प्रतिपादित तथा मानीटरिंग शामिल है जिसमें राजकोषीय नीति तथा लोक वित्त, लोक ऋण प्रबंधन तथा स्टॉक एक्सचेन्ज सहित पूँजीगत विपणन के कार्यकलाप, बाह्य संसाधनों की मानीटरिंग तथा बढ़ाना, बैंक नोटों तथा सिक्कों का उत्पादन आदि सम्मिलित है।

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग दो सांविधिक बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.) के माध्यम से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में नियंत्रण करता है। सभी प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण तथा संचयन से संबंधित मामलों को के.प्र.क.बो. द्वारा देखभाल की जाती है जबकि सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा बिक्री-कर की उद्ग्रहण तथा संचयन से संबंधित मामले के.उ.सी.शु.बो. के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

व्यय विभाग

व्यय विभाग राजकोषीय नियमों एवं विनियमों को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है जिसमें केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की सेवा स्थिति भी शामिल है। विभाग कई मामलों को निपटाता है जिसमें बहुत रूप से कर्मचारियों के वेतन संरचना तथा संवर्ग, मजदूरी के संबंध में नीतियां, वेतनमान प्रणाली के संशोधन पर निर्णय लेना शामिल है। व्यय विभाग हेतु अन्य चिन्ता के क्षेत्रों में मकान किराया भत्ता, दैनिक यात्रा भत्ता, सरकारी कर्मचारियों हेतु कई अन्य भत्ते सम्मिलित होते हैं। व्यय विभाग के कार्यकलापों में वित्तीय शक्तियां नियमावली, सामान्य वित्तीय नियम, स्टाफ कार नियमावली आदि, विभिन्न समितियों तथा आयोगों हेतु सदस्यों की नियुक्त करते समय शर्तों एवं अनुबंधनों का सूत्रीकरण, व्यय की गैर-योजनागत योजनाओं से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न प्रस्तावों की संवीक्षा करना भी शामिल है। विभाग अपनी विभिन्न इकाईयों अर्थात् लेखा वित्त आयोग प्रभाग, नियंत्रक महालेखा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान, कर्मचारी जांच इकाई के कार्यालय आदि के माध्यम से निष्पादित करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण तथा औषधि की परम्परागत एवं देशी प्रणालियों के उन्नयन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय पैमाने पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। विभाग तकनीकी सहायता के माध्यम से मौसमी बिमारियों तथा महामारियों के फैलने की रोकथाम तथा नियंत्रण करने में राज्यों की सहायता भी करता है। विभाग इससे जुड़े कार्यालय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा कार्यालयों तथा विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों को अनुदान के रूप में सहायता द्वारा, गैर सरकारी संस्थानों आदि के माध्यम से कार्य करता है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एड्स, मलेरिया, कुष्ठ रोग तथा तपेदिक के नियंत्रण हेतु कई कार्यक्रमों का विभाग द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है।

आयुष विभाग

आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) को आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा तथा होम्योपैथी में शिक्षा एवं अनुसंधान के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। विभाग के उद्देश्यों में देश में मेडिसिन तथा होम्योपैथी महाविद्यालय की भारतीय प्रणाली में शिक्षा मानकों का उन्नयन, मौजूदा अनुसंधान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना, उन्नति हेतु योजना बनाना, इस प्रणाली में प्रयोग किए गए चिकित्सीय प्लान्ट की खेती तथा पुनर्सृजन करना, भारतीय मेडिसिन तथा होम्योपैथी औषधि हेतु फार्माकोपियल मानकों के विकास करना शामिल है।

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के मुख्य उत्तरदायित्व आंतरिक सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आदि) का प्रबन्धन, केन्द्र राज्य सम्बद्ध आपदा प्रबन्धन आदि करना है। मंत्रालय सुरक्षा, शांति तथा सौहार्द के अनुरक्षण हेतु राज्य सरकारों को मानवशक्ति तथा वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञता भी प्रदान करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन के विकास हेतु उत्तरदायी है तथा दो विभागों के माध्यम से अपने कार्यकलापों का संचालन करता है:

विद्यालयी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

विभाग प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापी अपने उद्देश्य के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्राथमिक शिक्षा हेतु उत्तरदायी है। केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जो कि इस उद्देश्य के समर्थन हेतु मंत्रालय द्वारा चलाई गई हैं, वे कुछ सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के पोषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (दोपहर के भोजन की योजना) हैं।

उच्चतम शिक्षा विभाग

विभाग माध्यमिक तथा पश्च-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग का अधिकांश कार्य लगभग 90 स्वायत्त निकायों जिनका यह निरीक्षण करता है, के माध्यम से किया जाता है। कुछ मुख्य स्वायत्त निकाय जो विभाग के कार्यकलापों में सहायता करते हैं वे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है तथा सरकार को उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु उपायों के लिए सरकार को सलाह भी देता है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद - अनुसंधान के उन्नयन तथा संबद्ध शिक्षण में सहायता, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय- अध्ययन के 36 केन्द्रों से बने इसके दस विद्यालयों के माध्यम से विविध विद्या विशेष में शिक्षा प्रदान करना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद - नए तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने तथा ऐसे संस्थानों हेतु मानदण्डों को निर्धारित करने हेतु अनुदान स्वीकृति।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, समाज के सभी वर्गों को ज्ञान तथा मनोरंजन का प्रबंध करते हुए संचार तथा मीडिया के माध्यम से सूचना का मुक्त प्रवाह प्रदान करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अध्यादेश लोगों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से नई सेवाएं प्रदान करना, प्रसारण सेवाओं का विकास, फ़िल्म उद्योग का उन्नयन, भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार करना है। मंत्रालय अपने अध्यादेशित कार्यकलापों को अपने स्वायत्त संगठनों तथा लो.क्षे.उ. जैसे कि प्रसार

भारती, भारतीय फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान, सत्यजीत राय फिल्म तथा दूरदर्शन संस्थान, भारतीय बाल फिल्म समिति, भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय प्रैस परिषद, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, प्रसारण अभियंत्र परामर्शदाता (भारत) लिमिटेड आदि के माध्यम से करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विस्तृत अध्यादेश महिला एवं बाल विकास के साकल्यवादी विकास के लिए है। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों दोनों के प्रयासों का मार्गदर्शन एवं समन्वय करना, योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम, विधि निर्माण (संशोधन का सूत्रीकरण करता है। मंत्रालय महिला एवं बाल हेतु कल्याण एवं सहायता सेवाएं, रोजगार एवं आय उपार्जन हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता उत्पत्ति तथा लिंग सुग्राहीकरण जैसे निर्धारित प्रवर्तित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य समन्वित तथा नियोजित रिति से भारतीय समाज के अधिकांश कम सुविधा प्राप्त वर्ग नामतः अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अ.ज. के विकास हेतु कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना तथा समन्वय, हेतु केन्द्रक मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप अनुसूचित जातियों की सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, जनजातीय कल्याण पर स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन तथा विकास, अनुसूचित जातियों का विकास, वन भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के वनों में रहने के अधिकार से संबंधित विधान सहित सभी मामलों का संचालन करना है।

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ संख्या 12.1 के सन्दर्भ में)

अक्तूबर 2008 को मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	वित्त	1994	2	-	2
2.	सूचना एवं प्रसारण	1995	1	-	1
योग			3	-	3

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ संख्या 12.1 के सन्दर्भ में)

अक्तूबर 2008 को मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	संस्कृति	2003	1	1	-
		2004	1	-	1
		2006	2	2	-
2.	निगम कार्य	2005	1	1	-
		2006	1	1	-
3.	डाक विभाग	2001	1	-	1
		2003	1	-	1
		2005	5	-	5
		2006	6	-	6
4.	दूरसंचार विभाग	1997	1	-	1
		1999	2	-	2
		2000	1	-	1
		2001	1	-	1
		2003	3	1	2
		2004	2	-	2
		2006	2	-	2
5.	विदेश कार्य	2000	3	-	3
		2001	1	-	1
		2002	3	-	3
		2003	9	-	9
		2004	7	3	4
		2005	3	2	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्रावाराधीन
		2006	11	2	9
6.	वित्त	1998	1	-	1
		1999	2	1	1
		2000	1	-	1
		2002	1	1	-
		2003	1	1	-
		2005	1	1	-
		2006	2	-	2
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1997	1	-	1
		1999	1	-	1
		2000	3	1	2
		2001	3	1	2
		2002	1	-	1
		2003	2	-	2
		2004	3	-	3
		2005	6	3	3
		2006	3	1	2
8.	गृह मामले	2003*	1	-	1
		2004	1	-	1
		2005*	1	-	1
9.	मानव संसाधन विकास	1999	2	-	2
		2000	1	-	1
		2001	1	-	1
		2003	3	1	2

* अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र से संबंधित

2008-09 का प्रतिवेदन सं. सी ए 14

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल		
			प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचारधीन
		2004	1	-	1
		2006	1	-	1
10.	सूचना एवं प्रसारण	1997	1	-	1
		1998	1	-	1
		2000	3	-	3
		2001	2	-	2
		2004	1	-	1
		2005	1	1	-
11.	श्रम	2006	1	-	1
12.	विधि एवं न्याय	2003	1	1	-
13.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2003	1	-	1
		2006	1	1	-
14.	सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1997	1	-	1
		2000	1	-	1
15.	जनजातीय मामले	1998	1	-	1
		2004	1	1	-
	योग		129	28	101

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ संख्या 12.2 के सन्दर्भ में)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपकरणों के सांकेति वित्तीय परिणाम

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपकरण का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूँजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियां (निवाल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर व्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूँजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अमुक्तियाँ
वित्त मंत्रालय										
1.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, गाजीपुर	2006-07	606.51	378.84	223.47	(-) 733.70	262.82	(-) 470.88	0.00	3158.95*
2.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, नीमच	2006-07	1645.64	1083.34	555.90	2110.68	15.48	2126.16	1142.92	186.03*
3.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2006-07	431.64	209.03	239.60	1533.74	1327.82	2861.56	17.93	15959.38*
4.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2006-07	636.85	450.23	188.09	(-) 20.63	982.14	961.51	8.15	11804.58*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
5.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2005-06	918.08	240.72	113.38	(-) 160.11	144.62	436.59	27.74	
6.	चिकित्सा भण्डार डिपो, हैदराबाद	2006-07	3132.87	73.61	37.62	(+) 34.23	--	--	--	अगस्त 2008 में संस्थान की लेखापरीक्षा के दौरान विवरण एकत्रित किए गए थे।
7.	चिकित्सा भण्डार डिपो, कोलकाता	2005-06	2275.68	49.21	27.06	(-) 34.82	77.49	42.66	3.88	1099.10*
8.	चिकित्सा भण्डार डिपो, करनाल	2005-06	86.99	18.43	14.93	(-) 64.53	--	386.44	--	
9.	चिकित्सा भण्डार डिपो, नई दिल्ली	2007-08	28.33	27.16	6.33	(-) 17.01	--	--	--	

* माध्य पूँजी

2008-09 का प्रतिवेदन सं. सी ए 14

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियाँ (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
10.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कनके, रांची	2007-08	0.31	0.27	0.00116	0.333	0.149	0.698	69.32	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
11.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	2000-01	3553.20	3544.43	1828.56	(-) 764.45	413.20	--	--	
12.	एचपीटी दूरदर्शन, आसनसोल	1999-00	291.83	291.83	1.20	(-) 101.59	-	(-) 101.59	-	

परिशिष्ट -V

(पैराग्राफ संख्या 12.3 के सन्दर्भ में)

2007-2008 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों की विवरणी

(लाख रुपयों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	निम्न के कारण हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का बट्टे खाते में डाला जाना									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली छोड़ना		अनुग्रही राशि का भुगतान	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7.90
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड	-	-	-	-	20	11.05	205	0.40	2	2.00
भारतीय चुनाव आयोग	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	10.29	-	-	5	15.26	-	-	-	-
गृह	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-
सूचना एवं प्रसारण	-	-	-	-	2	1.07	-	-	-	-
राष्ट्रपति सचिवालय	-	-	-	-	3	0.42	-	-	-	-
योजना आयोग					8	0.83				
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.00*
डाक एवं दूरसंचार	-	-	18	5.86	6222	174.10	65178	2482.23	874	33.30
योग	1	10.29	18	5.86	6265	203.28	65383	2482.63	891	53.20

* कार्य के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए सरकारी कर्मचारियों (एस पी जी) को भुगतान को दर्शाता है।

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ संख्या 12.4 के सन्दर्भ में)

द्वापट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल सं.	पैराग्राफों की सं. जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों का संदर्भ
1.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	9	9	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
2.	विदेश मामले	8	5	3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6
3.	वित्त	2	1	4.2
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	4	5.1, 5.2, 5.3, 5.5
5.	गृह मामले	6	3	6.2, 6.3, 6.4
6.	मानव संसाधन विकास	2	1	7.1
7.	सूचना एवं प्रसारण	1	-	-
8.	जनजातीय मामले	1	1	9.1
9.	महिला एवं बाल विकास	1	1	10.1
10.	संघ शासित क्षेत्र	3	3	11.1, 11.2, 11.3
योग		38	28	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2008-09

मूल्य : अन्तर्राष्ट्रीय : 65 रु
विदेश में : 5 अमरीकी डालर
(डाक खर्च/वायुमेल सहित)